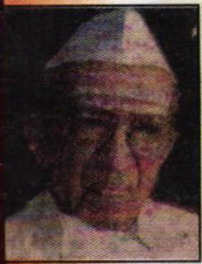

विचार दृष्टि

वर्ष : 4 | अंक : 12 | जुलाई–सितंबर : 2002 | 15 रुपये

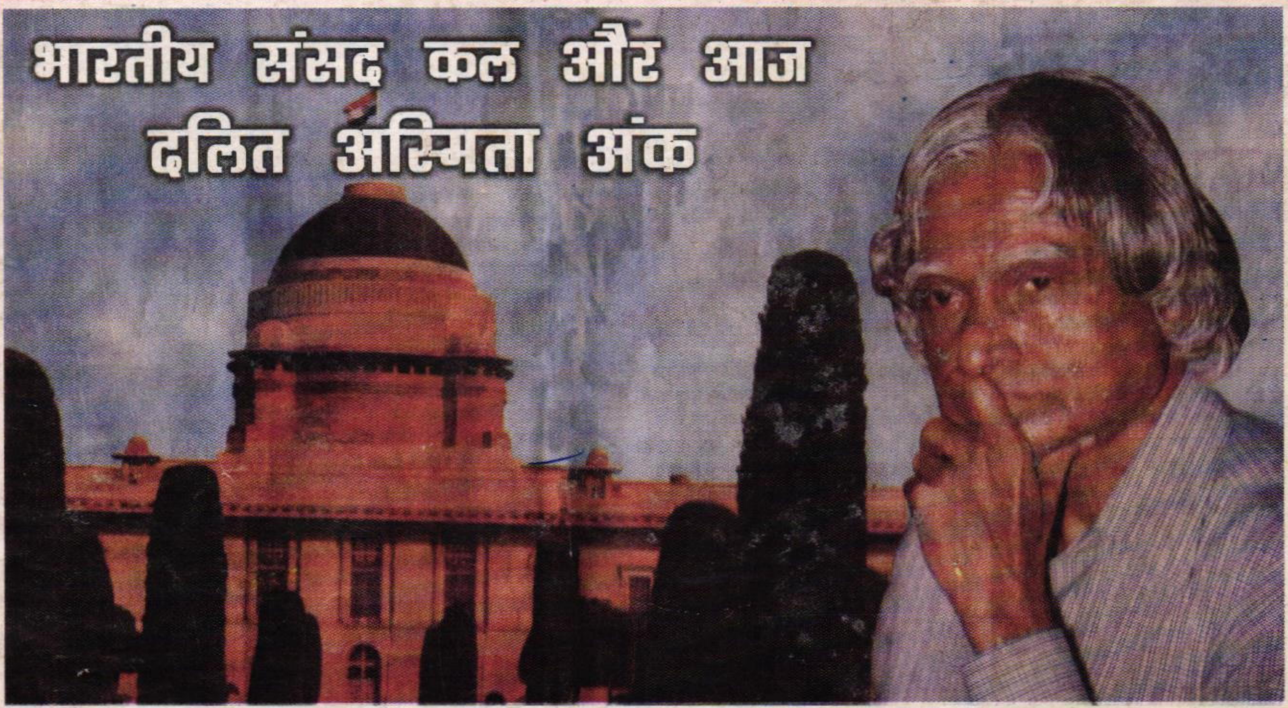

- युद्ध के मंडराते बादल
- भारतीय संविधान की समीक्षा
- दलित आज भी गुलाम क्यों ?
- तेजी से बिखरतें गाँवों के सपनें
- बेटी, सजा, नवचेतना तीन कहानियाँ
- न्यायमूर्ति यादव : संस्कृति के अनन्य उपासक दो क्रांतिकारी कविताएं–डा. हेमराज सुंदर

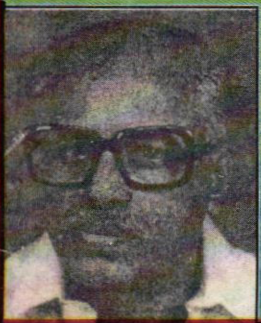

Science and Ethics work together
at

PATNA BONE AND SPINE HOSPITAL

(A MODERN CENTER FOR ADVANCED ORTHOPAEDIC SURGERY)

ORTHOPAEDIC SURGERY ONLY

- All Kinds of specialised Spinal Surgery
- Interdisciplinary Super Speciality Services like Thoracic, Vascular or Ruver, Plastic, Micro Surgery, Physiatry, Facio Maxillary Surgery etc.
- Operation theatre equipped with Cardiac Monior, Oxymater, Modern Ortho Traction table, etc.
- Economy, uncompromised with High Standerd Quality & Care

All modern procedures for trauma & fractures.

Illizorov - The ultimate for Limb Deformities, Shortening & difficult fracture and Bone Gap
ESFS - The best possible for Compound Fractures
Interlocking Nails,
Gamma Nails - No plaster technique
DHS, ICS, CCS etc. For Articular Fractures
Total Joint Replacement indtiding total elbow replacement
Total care centre for Acutespinal Cord Injury.
Arthroscopic Surgery.

THE DEDICATED TEAM

Dr. Shankar Acharya. Mch, Liverpool, MS, DNB, FRCS (Glaso), FRCS, Ortho (UK)
Dr. Surendra Rai. MS, FICS, Mch (Plastic) Dr. Girish Sharan. MS, Mch (Neuro)
Dr. Birendra Kishore. MS, MCH-MICRO Dr. Q. Hoda. MS (Ortho)
Dr. K.P. Yadav.MS, (Thoraco-Vascular) Dr. Alok Kumar. BDS, Facio Maxillary. FFDRCSI.

A-3, Doctor's Colony, Kankarbagh, Patna_800 020. Tel.: 0612 -361180

विचार दृष्टि

(राष्ट्रीय चेतना की वैचारिक त्रैमासिकी)
वर्ष-4 जुलाई-सितम्बर, 2002 अंक-12

संपादक व प्रकाशक:
सिद्धेश्वर
कार्य० संपादक : डॉ० शिवनारायण
सह संपादक : कामेश्वर मानव
प्रबंध संपादक : सुधीर रंजन
सहा.संपादक : मनोज कुमार
संपादन सहायक : अंजलि
शब्द संयोजन : कुमारटेक कंप्यूटर्स
(शशि भूषण, दीपक कुमार)
सज्जा: सुधांशु कुमार

प्रकाशकीय कार्यालय:
'दृष्टि', 6 विचार विहार, यू०-207
शकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली-92
दूरभाष: (011) 2230652
फैक्स: (011) 2225118
E-mail- vicharbharat@hotmail.com
पटना कार्यालय:
'बसेरा', पुरन्दरपुर, पटना-1
दूरभाष:0612-228519·

ब्यूरो प्रमुख
मुम्बई: वीरेन्द्र याज्ञिक ☎:8897962
कोलकाता: जितेन्द्रधीर ☎4692624
चेन्नई: डॉ० मधु धवन ☎6262778
तिरूवनंतपुरम:डॉ० रति सक्सेना
☎446243
बैंगलूर:पी०एस०चन्द्रशेखर,☎6568867
हैदराबाद: डॉ० ऋषभदेव शर्मा
जयपुर: डॉ० सत्येंद्र चतुर्वेदी☎ 225676
अहमदाबाद: वीरेंद्र सिंह
ठाकुर☎2870167

मूल्य: एक प्रति 15 रुपये
द्विवार्षिक: 100 रुपये
आजीवन सदस्य: 1000
रुपये
विदेश में:
एक प्रति:US $3, द्विवार्षिक:US
$20,
आजीवन: US $250

(पत्रिका-परिवार के सभी सदस्य अवैतनिक हैं।)

रचना और रचनाकार

पाठकीय पन्ना /2
संपादकीय /3
विचार-प्रवाह:
भारतीय संविधान की समीक्षा /5
डॉ० साधुशरण
साहित्य:
हिन्दी में हाइकु-आर०बी०साई प्रसाद /8
कहानी:
बेटी-गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव /9
सज़ा-डॉ० राजनारायण राय /13
दृष्टि:
स्वतंत्र भारत में दुरूपयोग /16
व्यग्य:
किसी से कहिऐगा नहीं /18
प्रो० रामभगवान सिंह
जलते प्रश्न:
सूचना का अधिकार......../20
अरुण कुमार भगत
काव्य कुंज:
दो क्रांतिकारी कविताएं /21
डॉ० हेमराज सुन्दर
वह दिन कैसा होगा.....?/22
डॉ० मधु धवन
दलित अस्मिता पर विशेष:
दलित आज भी गुलाम क्यों? /24
दलित चेतना का उत्कर्ष........../27
डॉ० लखन लाल 'आरोही'
देश की विकट स्थिति............/29
गणंतत्र का भविष्य............../33
डॉ० तंकमणि अम्मा
नवचेतना-राज चतुर्वेदी /35
दलितोद्धार की विडंबना /36
डॉ० महीप सिंह
गतिविधियां: /38
समीक्षा: /41
राजनीतिक नजरिया:
भारतीय संसद: कल और आज /43
सिद्धेश्वर
समाचार-विश्लेषण: /45
सम्मान: /48
गांव-जवार:
तेजी से बिखरते गांवों के सपने /49
शख्सियत:
कवि बहजाद फातमी: जिसने
किलास्की शायरी की रिवायत को
जिंदा रखा /53
विज्ञान जगत:
काव्य और विज्ञान /54
सेहत-सलाह: /56
समाज: /57
संस्मरण: /58
श्रद्धांजलि: /59
खेल और खिलाड़ी:
राष्ट्र निमार्ण में खेल की भूमिका/62
डॉ० सी० रा० प्रसाद

भारतीय संसद

दो क्रांतिकारी कविताएं

श्रद्धांजलि

पत्रिका-परामर्शी

❑पद्मश्री डॉ.श्यामसिंह 'शशि'❑प्रो .रामबुझावन सिंह❑श्री गिरीशचंद्र श्रीवास्तव, ❑ श्री जियालाल आर्य ❑ डॉ० बालशौरि रेड्डी,❑ श्री जे.एन.पी.सिन्हा ❑श्री बाँकेनन्दन प्रसाद सिन्हा ❑ डॉ० सच्चिदानंद सिंह 'साथी'

रचनाकार के विचारों से पत्रिका-परिवार का सहमत होना आवश्यक नहीं।

धर्म को लोकतंत्र देना होगा

'विचार-दृष्टि'-अप्रैल-जून, 2002 का अंक मिला। यह एक अच्छी पत्रिका है और राष्ट्रीय चेतना इसके केन्द्र में है तो यह मेरे विचारों के अनुकूल है। इसमें आपका संपादकीय महत्वपूर्ण है। आपकी चिन्ता राष्ट्रीय चिन्ता है और मन्दिर-मस्जिद तथा गुजरात के दंगों के प्रसंग से जो हैवानियत सामने आयी है, वह प्रत्येक दृष्टि से शर्मनाक, वीभत्स, अमानवीय और प्रताड़ना के योग्य है। आपके विचारों से स्पष्ट है कि कहीं-न-कहीं धार्मिक कट्टरता इसके मूल में है। हमें इस धार्मिक कट्टरता, जिहादी मनोरचना और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की तानाशाही प्रवृत्ति का विश्लेषण करना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूँ कि धर्म घृणा नहीं सिखाता। हमारे धर्म की धारणा तो यही है कि सत्य एक है और उसकी उपासना के मार्ग भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। आज एक बड़ा पक्ष है धर्म के सामने-क्या मेरा धर्म आपके धर्म की सत्ता को स्वीकार करता है? क्या एक धर्म दूसरे धर्म को भी ईश्वरीय धर्म मानता है? हमें इस प्रश्न पर संवाद करना ही होगा कि क्या इस्लाम और ईसाई धर्म, जैसा कि वे मानते हैं, वही केवल ईश्वरीय धर्म हैं और उन्हें उनके ईश्वर ने यह अधिकार दिया है कि वे अबोध मनुष्यों को अपने धर्म में लाकर ईश्वर का मार्ग दिखायें। यह मध्ययुग की दृष्टि हो सकती थी, आज की नहीं हो सकती। किसी भी एक धर्म का एकाधिकार अथवा विश्व को एक धर्म में दीक्षित करने की कोई भी ईश्वरीय आज्ञा इस धार्मिक कट्टरता के मूल में यदि है तो निश्चय ही ऐसे धर्मावलम्बियों को इस मध्ययुगीन धारणा को बदलना होगा। आप स्वीकार करेंगे कि हिन्दू धर्म का कोई ग्रन्थ ऐसे एकाधिकार की बात नहीं करता। क्या आपको नहीं लगता कि हमें धर्म को लोकतन्त्र देना चाहिए? एक ऐसा लोकतन्त्र जिसमें व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वह अपनी चेतना और विवेक से जी और मर सके तथा ऐसे सब विचारों को चुनौती दे सके जो जीवन जीने का एक मार्ग, केवल एक मार्ग ही बताता हो? भारत बहुलतावादी है, अनेकता में एकत्व देखता है, अत: धर्मों की बहुलता भी इसी लोकतन्त्र की विजय है। बस प्रश्न यही है, क्या हम धर्म की बहुलता की रक्षा करने को तैयार हैं? क्या हम उन शक्तियों से संवाद करने को तैयार हैं? आज का संकट, विध्वंस, जिहाद, कट्टरता आदि को यदि हम इस संदर्भ में देखें और उसमें संवाद करें तो मेरे विचार में धर्म मनुष्य का कल्याण ही करेगा। आपके संपादकीय की चिन्ता भी यही है-प्रयत्न हो कि नयी चीज आये, नये विचार आयें।

-डॉ० कमल किशोर गोयनका, दिल्ली

अर्थ गांभीर्य के उत्तरोत्तर सुधार

पत्रिका समय पर मिल रही है और उसके कलेवर तथा अर्थ गांभीर्य के उत्तरोत्तर सुधार से अत्यंत प्रसन्नता होती है। यह सब आपके उत्कट प्रयत्नों और उत्साह के ही कारण सम्भव हो पा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र वह देश की प्रतिष्ठित प्रतिकाओं में एक अन्यतम स्थान पायेगी।

-गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, अहमदाबाद

पत्रिका में काफी जानकारी

पत्रिका का अद्यतन अंक पढ़ा, आनंद आया और काफी कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई। मैं आपकी पत्रिका से प्रभावित हूँ।

-रामप्रीत व्यास, पंचदेवरी, कटेया, गोपालगंज-841337

सरकार संवेदनहीन

'विचार दृष्टि' का अप्रैल-जून, 2002 अंक अघोषित रूप से गोपीवल्लभ अंक है। मैं गोपी जी को उनकी रचनाओं से ही जानता हूँ। किसी लेखक को उनकी रचनाओं से जानना ही सच्चा जानना है। आज बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की कुर्सी से उत्पन्न नेताओं की सरकार है और प्रतिपक्ष में भी ऐसे ही लोग हैं! फिर यह कैसी विडंबना है कि गोपी जी बुरी तरह रोगग्रस्त हैं और सरकार के सिर पर कोई शिकन नहीं! जे०पी० आंदोलन को गोपी जी ने अपने स्वरों से गति दी थी। बिहार में शब्द नपुंसक हो गया है-सरकार संवेदनहीन हो गई है-तभी तो जनता का कवि असहाय पड़ा हुआ है। आप अपने मंच से आवाज उठाएं-गोपी जी को बचाने के लिए कुछ करें! आपका अग्र लेख संवेदना पर चोट करता है-पर सत्ता ने राजनीति को संवेदहीन कर दिया है! सभी रचनाएं पठनीय हैं। धन्यवाद!

-डॉ० लखन लाल 'आरोही', बाँका

जरा इनकी भी सुनें

जम्मू-कश्मीर में स्थायी तौर से घुसपैठ रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर निगरानी तंत्र बनाने का वह प्रयास कर रहे हैं।

-रिचर्ड आर्मिटेज, अमेरिका के विदेश उप मंत्री

राष्ट्र व्यक्ति से बड़ा है।

-ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

जब तक पाकिस्तान सीमा पार से जारी आतंकवाद नहीं रोकता और भारत द्वारा वांछित चौदह आतंकवादियों को नहीं सौपता तब तक भारत-पाक सीमा पर सैनिकों की संख्या जारी रहेगी।

-जार्ज फर्नांडीस, भारत के रक्षा मंत्री

पाकिस्तान आतंक फैलाने की मशीन बंद कर दे तो क्षेत्र में तनाव अपने आप कम हो जाएगा।

-उमर अब्दुल्ला, भारत के विदेश राज्य मंत्री

भारत की कार्रवाई को विश्व समुदाय भी उचित मानेगा।

गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवानी,

आतंकवादी संगठन अलकायदा भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव से उत्पन्न स्थिति से फायदा उठा सकता है।

-डोनाल्ड रम्सफील्ड, अमरीकी रक्षा मंत्री

आतंकवादियों का सफाया करें खुफिया एजेंसियाँ।

-अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश

पाकिस्तान से वार्ता के लिए अनुकूल माहौल नहीं।

- अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री

युद्ध के मंडराते बादलों के छटने के संकेत

पाक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का पिछले दिनों दूरदर्शन पर जो भाषण आया और अलमाटी में उसने जो उद्गार व्यक्त किये, उससे निराशा होना स्वाभाविक है। उम्मीद यह की जा रही थी कि जनरल मुशर्रफ आतंकवाद के खिलाफ कुछ अधिक साहसिक सदमों की घोषणा करेंगे जिससे भारत-पाक सीमा पर तनाव कम हो। लेकिन उनके भाषण में आतंकवाद के विरोध से ज्यादा भारत का विरोध और राष्ट्रीय व धार्मिक उन्माद तथा संकीर्णता को बढ़ानेवाले तत्व थे।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मुशर्रफ जितने बड़े विश्वासघाती हैं, उतने ही मक्कार, झूठे और आतंक के पोषक हैं। दरअसल हम मानसिकता तो समझते नहीं, 'सुकरात' अवश्य बन जाते हैं। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी और अहमदशाह अब्दाली से हम सीख नहीं ले पाते हैं। इसी मानसिकता ने इस देश को बाँटा, जिन्ना जैसा पृथकतावादी पैदा किया, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत बनाया और यही मानसिकता आज मुशर्रफ के व्यक्तित्व का एक अंग है। जर्जर, भूखा-नंगा और अमेरिका के टूकड़ों पर पलते पाक के राष्ट्रपति मुशर्रफ घुमा-फिराकर वही बातें कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं। आपने सुना नहीं, उन्होंने पुन: अपने भाषण में दुहराया-कश्मीर का आतंकवाद, आतंकवाद नहीं तहरीके आजादी है, पाकिस्तान उसे नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देता रहेगा। इस बार पहली बार उन्होंने एक और शातिराना बात की-"भारत में हिंदू आतंकवादी कश्मीर, गुजरात और अन्य जगहों में मुस्लिम, सिखों, ईसाइयों और अनुसूचित जातियों पर कातिलाना कार्रवाई कर रहे हैं।"

इस समय भारत व पाक की सीमा पर तनाव चरम सीमा पर है। एक छोटी सी चिंगारी युद्ध को भड़का सकती है। भारत और पाकिस्तान के हुकमरानों ने पिछले पचपन सालों में चार बड़ी जंगे लड़ीं। इन जंगों में न तो आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी मरे और न पाकिस्तान के तानाशाह। जंगों में मौतें राजनीति और शासन के उच्च पदों पर बैठे लोगों की नहीं बल्कि सेना के सिपाहियों और साधारण लोगों की होती है। यह बात ठीक है जंग किसी भी देश की तबाही की गारंटी है क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। कश्मीर समस्या के सभी विकल्प तकलीफदेह हो सकते हैं, किन्तु इस भावनात्मक जाल से हमें उबरना होगा और देश की बुनियादी समस्याओं के मद्दे नजर दुनिया के और मुल्कों की तरह हमें भी कुछ तकलीफदेह निर्णय लेने होंगे।

नि:संदेह भारत में आतंकवादी कुकृत्यों की भर्त्सना करने में अमेरिका ने शाब्दिक लिहाज से कोई कोताही नहीं बरती है और संयम बरतने की सलाह दी है। संयम के उपदेशों के अलावा उससे और कोई अपेक्षा निरर्थक है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी भारत की हिमायत कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जनरल मुशर्रफ और प्रधानमंत्री वाजपेयी को युद्ध के खतरे की रोकथाम के लिए बातचीत की है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री ताग जुआन ने अमेरिकी विदेश मंत्री पावेल से बात कर भारत और पाक के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की आशंका को टालने के लिए राजनयिक प्रयासों में तेजी लाने के उद्येश्य से ब्रिटेन के विदेश मंत्री जैक स्ट्रा ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है।

जहाँ तक युद्ध का सवाल है भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास नाभिकीय शस्त्र हैं, दोनों ओर कट्टरपंथ और असहिष्णुता है। अगर जंग छिड़ती है तो दोनों देशों में लाखों लोगों को जानमाल का गंभीर खतरा है और इस बंदरबांट में अरबों रुपए के शस्त्र और जंगीजहाज बेचनेवाले मुल्कों को लाभ ही लाभ है। इसलिए 'सीमित युद्ध' नाम की कोई बात अब नहीं है यद्यपि पारंपरिक युद्ध में भारत के जीतने की संभावना अधिक है। पाकिस्तान ने हाल ही में दो मिसाइलों गौरी और गजनवी का परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन परीक्षणों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर भारत को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने यह कई बार कहा है कि भारत की धैर्य की अपनी सीमा है स्थिति अब हद पार कर चुकी है और भारत का सब्र का बाँध टूट रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में यह भी स्वीकार किया कि 'संसद पर हमले के तुरंत बाद ही पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए था-पर दुनिया भर से हमसे की गई संयम बरतने की अपील के कारण भारत को कार्रवाई का इरादा छोड़ना पड़ा।' प्रधानमंत्री की यह स्वीकारोक्ति के बाद भी भारत को संयम बरतने की सलाह पश्चिमी देशों से आज जारी है। ऐसी स्थिति में जब दुश्मन की ओर से दिन प्रतिदिन न केवल धमकियाँ मिल रही हैं बल्कि सीमा पर घुसपैठियों का आतंक कायम है, सेना के साथ भारतीय जनता का मनोबल भी घटता है। सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिए।

स्थिति तथा नेताओं के बयानबाजी को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार के पास पाकिस्तान से निपटने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति ही नहीं है। भारत को आक्रामक कूटनीति का परिचय देते हुए अमेरिका व यूरोपीय समुदाय के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं देशों के दम पर भारत को आँखें दिखा रहा है। आखिर पाक राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ सारे दबावों को धता कैसे

बता रहे हैं। जिस मुल्क में 87 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे, भूखे और नंगे हों, उसे परमाणु युद्ध क्यों सूझ रहा है?

आपको याद होगा अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त होने के पश्चात विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियन डेवलपयमेंट बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने पाकिस्तान के लिए अपने खजाने के मुहँ खोल दिए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बिलियन डॉलर दिए तो कनाडा ने 490 मिलियन डॉलर। भारत को तभी यह शोर मचाना चाहिए था कि इस पैसे का इस्तेमाल जेहादी संगठनों व अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को मजबूत करने में होगा।

इस समय भारत व पाकिस्तान के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है अगर वह जारी रहा तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारत के न चाहने पर भी परिस्थितियाँ निरंतर उसे जंग की ओर ढकेल रही है। दो दशकों से अधिक समय से पाकिस्तान छद्मयुद्ध चलाए जा रहा है। इस छद्मयुद्ध में अबतक लगभग 70 हजार भारतीयों की मौत हो चुकी है और लाखों व्यक्तियों को पलायन करना पड़ा है। पाकिस्तानी उग्रवादियों का दुस्साहस सीमा पार करता जा रहा है। जिसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय संसद भवन, जम्मू-कश्मीर विधान सभा, लाल किला और सैन्य छाबनी पर किया गया हमला है। 14 मई को जम्मू में बस तथा सैन्य छावनी पर हुए आत्मघाती हमले से भारत के भरे हुए जख्म फिर से जिन्दे हो गए। एक जख्म भरता भी नहीं कि दूसरा उभर जाता है। आज हर भारतवासी इस बात का जवाब चाहता है कि पाकिस्तान द्वारा थोपे गए छद्मयुद्ध से कब और कैसे निपटा जाएगा। भारत-पाक के बीच उत्पन्न उग्रवाद रूपी बीमारी का आखिरी इलाज यही होगा कि उसकी चुनौतियों को स्वीकार कर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अत्यधिक संयम और हमारी शांतिप्रियता को हमारे पड़ोसी राष्ट्रों ने कायरता समझ ली है। इसलिए अब वह समय आ गया है जब आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए और यह काम भारत को किसी दूसरे देशों के सहयोग की अपेक्षा किए बिना करना होगा।

सच कहा जाए तो भारत न तो युद्धोन्माद चाहता है और न ही वह युद्ध का पक्षधर है, लेकिन उसे अपने सम्मान की रक्षा तो करनी ही होगी। जनरल मुशर्रफ अपने देश में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। उन्होंने अपने लिए एक नाटकीय जनमत संग्रह भी करा डाला। एक तरफ वे आतंकवाद से लड़ने का ढोंग बार-बार करते हैं और दूसरी ओर उन्होंने करीब 2 हजार दुर्दांत अलकायदा तथा अन्य आतंकियों को पाकिस्तान की जेलों से मुक्त कर दिया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लगभग 30 हजार की संख्या में पूरी तरह प्रशिक्षित आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध अभ्यास में भी संलग्न हैं। ऐसी भयावह परिस्थिति में पाकिस्तानी हरकतों का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए उसे उसकी औकात बताई जानी चाहिए।

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की समाप्ति के लिए भारत द्वारा कभी आर-पार की लड़ाई की बात की जाती है और कभी कहा जाता है कि निर्णायक युद्ध का समय आ गया है। इतना ही नहीं कुछ दिनों पूर्व तक देश में एक ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि ऐसा प्रतीत होता था कि भारत द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाया ही जाएगा, लेकिन चंद दिनों में सारा माहौल बदल गया। अब न सबक सिखाने की बात की जा रही है और न प्रतिकार की और ना ही निर्णायक युद्ध की। क्या भारतीय नेताओं के भाषणों अथवा संसद में प्रस्ताव पारित करने मात्र से पाकिस्तान सही रास्ते पर आ जाएगा? परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली धमकियाँ पाकिस्तान द्वारा मिल रही हैं और आतंकवाद को खुले तौर पर उसके द्वारा बढ़ावा मिल रहा है फिर भी हम खामोश बैठे हैं।

आजादी के बाद से ही पाक कश्मीर हथियाने का मंसूबे पालता रहा और तब से आज तक कुल चार घोषित युद्ध में हार के बावजूद निर्लज्जता की हर रेखा पार कर एक बार फिर वह युद्ध के लिए तैयार है। यह भी सच है कि पिछले बार की तरह फिर उसे मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि भारतीय सेना उससे लड़ने के लिए हर तरह से सक्षम है। भारतीय जनमानस भी अब इस बात के लिए तैयार है कि रोज-रोज की चिक-चिक से बेहतर है एक बार पाकिस्तान से आर-पार की लड़ाई लड़ ली जाए। हालाँकि यह सही है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है पर यह भी सही है कि उसके बिना शायद दूसरे विकल्पों का मार्ग भी प्रशस्त नहीं हो। इसलिए भारतीय जनमानस पूरी तरह युद्ध की मानसिकता में है और पाकिस्तान से निपट लेने को तैयार है। अपने हितों की रक्षा के लिए देश को यह खतरा मोल लेना होगा। पाकिस्तान इतना दुस्साहस इसलिए कर रहा है कि उसकी समझ में है कि कुछ भी हो जाए भारत युद्ध कर ही नहीं सकता। भारत को सबसे पहले उसकी इस भंगिमा को तोड़ना होगा। युद्ध की दृष्टि से पाकिस्तान की न तो भौगोलिक स्थिति अच्छी है और न ही उसकी सामरिक सामर्थ्य की जड़ें ही मज़बूत हैं। वह सिर्फ अपनी परमाणु ताकत को **'ब्लैकमेल'** करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लड़ाई के लिए नहीं। क्योंकि वह जानता है कि भारत का परमाणु प्रहार पाकिस्तान को पूरी तरह नेस्तनाबूत कर देगा। इसलिए जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो भारत को परमाणु अस्त्र पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति में कुछ लचीलापन लाना होगा ताकि पाक आणविक धौंस की हवा निकल सके। इधर अमेरिका तथा अन्य देशों के दबावों के कारण पाकिस्तान ने अपना रवैया बदला है। सीमा पार से घुसपैठियों तथा गोली-बारी कम होने की खबरें आ रही हैं। इसलिए अब युद्ध के मंडराते बादलों के छटने के संकेत हैं।

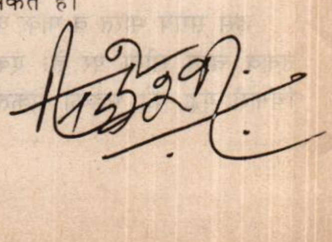

भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा आयोग की कुछ सिफारिशें

❑ प्रो० (डॉ०) साधु शरण

लिखित संविधान दुष्परिवर्तनशील होते हुए भी समय के क्रम से परिवर्तित, विकसित एवं प्रशस्त होते रहता है और स्थिति विशेष से निबटने हेतु अपने को गतिमान बनाए रखता है। अमेरीकी संविधान में मात्र सात अनुच्छेद होने पर भी 1789 से 1980 के बीच सत्ताइस संशोधन स्वीकृत हुए। भारतीय संविधान ने विगत वर्षों में अस्सी से अधिक संशोधनों को अंगीकार किया। जिसमें तीस संशोधनों को तो राज्य के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति मिली।

विगत वर्षों में भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु मांग की गई। भारत में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अनुशासन, निर्वाचन, राष्ट्रीय एकता, न्याय पाने में देरी, अधिकांश भारतीयों के जीवन-स्तर में अपेक्षित सुधार की कमी, सामाजिक सौहार्द, वित्तीय अनुशासन आदि कई ऐसे मुद्दे थे जो कहीं न कहीं सामान्य एवं विशिष्ट जन की पीड़ा का केन्द्र बनते चले जा रहे थे। चुनाव वर्ष में राजग ने अपने घोषणा-पत्र 1998 के Agenda for institutional rejuvenation में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु एक आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा था। अतः राजग ने सत्तासीन होने के उपरान्त न्यायमूर्ति एम० वेंकटचेलैया की अध्यक्षता में फरवरी 2000 में एक ग्यारह-सदस्यीय समिति के गठन की औपचारिकता पूरी कर दी। इसका नाम पड़ा N C R W C अर्थात् National Commission to Review the Working of the Constitution. आयोग में चार न्यायाधीश(अवकाश प्राप्त), दो एटार्नी जेनरल, एक लोकसभा के पूर्व महासचिव, एक लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद, दो अवकाश प्राप्त आ०ए०एस० पदाधिकारी शामिल किए गए।

आयोग का प्रारंभिक कार्यकाल छह माह का था। इस अवधि को अपरिहार्य कारणों से तीन बार विस्तार किया गया। आयोग ने अपने कार्यकाल के प्रथम 21 माह में 12 बैठकें की। इसके प्रारूप एवं संपादकीय समिति ने 15 फरवरी 2002 को भारत सरकार को दो खण्डों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन 31 मार्च 2002 को भारत सरकार के विधि मंत्री अरुण जेटली को सौंप दिया गया। 1500 पन्नोंवाली रिपोर्ट को तैयार करने में पच्चीस माह लगा जो महत्वपूर्ण उलझन भरे दूरगामी परिणाम देनेवाले विषयों से जुड़े होने के कारण अधिक भी नहीं कहा जा सकता।

यद्यपि कि प्रतिवेदन को इंटरनेट पर ही अभी सार्वजनिक किया गया है, उसके कई अंशों पर मीडिया में चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। संभव है देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर विस्तृत चर्चा भी होगी। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 249 अनुशंसाएं की है जिसे तीन श्रेणियों में रखा जा रहा है। सबसे कम संख्या (मात्र 58) की वह श्रेणी है जिसमें संविधान के संशोधन से संबंधित अंश हैं। आयोग को संवधिान के मूलभूत ढांचे, यथा संसदीय पद्धति, संघात्मक व्यवस्था, कानून का शासन, पंथ-निरपेक्षता आदि के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं थी जिसके कारण यह भ्रांति दूर हो चुकी थी कि यह आयोग संविधान की कार्य-प्रणाली की समीक्षा हेतु गठित है, इसे संविधान समीक्षा आयोग कहना युक्ति संगत नहीं। यूं तो आयोग ने अनेक समस्यायों, वनाम संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें दी हैं जिनमें यहाँ कुछ पर चर्चा करना आवश्यक दीखता है।

निर्वाचन प्रक्रिया/चुनाव सुधार: आयोग ने चुनाव सुधारों के लिए संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं बतायी, क्योंकि यह काम संसद द्वारा ही विधेयक लाकर जन-प्रतिनिधि कानून में संशोधन कर संपन्न किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा आरोपी बताया गया है, उन्हें आयोग ने संसद या विधानमंडल हेतु चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

कोई भी वैसा व्यक्ति जिस पर अपराध अथवा भ्रष्टाचार के मामले में आरोप बनते हैं जिसके कारण उसे पांच या पांच से अधिक वर्षों की सजा हो सकती है, उसे संसद या विधानमंडल के निर्वाचन के लिए आयोग्य समझा जाएगा। यह न्यायालय द्वारा आरोप लगने के एक वर्ष बाद प्रभावी होगा।

न्यायालय द्वारा यदि एक वर्ष की अवधि के अन्दर उस व्यक्ति को दोषमुक्त नहीं घोषित किया जाता तो मुकदमें की कार्रवाई चलने तक वह आरोपी व्यक्ति अयोग्य बना रहेगा।

यदि न्यायालय किसी आरोपी को छह माह या उससे अधिक की सजा सुनाता है तो सजा भुगतने की अवधि तक उसपर चुनाव लड़ने संबंधी प्रतिबंध लागू रहेगा एवं सजा की अवधि बीत जाने के उपरान्त अगले छह वर्षों तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त तथ्यों का उल्लंघन करता है और कोई राजनीतिक दल उसे जान बुझकर अपना उम्मीदवार बनाता है तो उस राजनीतिक दल की मंजूरी एवं निबंधन को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति जघन्य एवं घृणित अपराध, यथा हत्या, यौनाचार, स्मग्लींग और डकैती जैसे अपराध के लिए दंडित किया गया हो तो उस व्यक्ति को स्थायी तौर पर किसी भी राजनीतिक पद की उम्मीदवारी के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

जन प्रतिनिधि कानून की धारा 8 ए के आधार पर अयोग्य घोषित व्यक्ति की अयोग्यता अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की राय के आलोक में किया जाय। इससे निर्णय में विलम्ब होने की संभावना नहीं रहेगी।

मतदाता सूची बनाने हेतु किसी योग्य पेशेवर एजेंसी को सौंपने की अनुशंसा भी आयोग ने की है। इस तरह की एजेंसी केन्द्र एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नियंत्रित होगी

चुनाव की अवधि में धर्म और जाति को आधार बनाकर प्रचार करनेवाले व्यक्ति को अनिवार्य दण्ड व्यवस्था की अनुशंसा आयोग ने की है, तथा उसे उम्मीदवारी के अयोग्य करार

करने की बात की है। इससे सांप्रदायिक तथा जातीय तनाव दूर होगा।

सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को संविधान की भावनाओं के विपरीत बताते हुए आयोग ने इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने की सिफारिश की है। अभी एक सांसद को ऐसी योजना हेतु प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।

भारत में राजनीतिक दलों को अनुशासित करने की एक विकराल समस्या है, क्योंकि सभी दल अपने लिए किसी अनुशासनात्मक सरहद खींचे जाने का मूक और मुखर विरोधी रहा है। अभी तक 1990 की गोस्वामी समिति, 1998 की इन्द्रजीत गुप्त समिति, 1999 की विधि आयोग की सिफारिशें और व्होरा समिति के प्रतिवेदन की तरह यदि वेंकटचेलैया आयोग की सिफारिशें भी फाइलों की धूल खाने की नियति लेकर रह जाती हैं तो यहाँ के किसी भी तंत्र और पद्धति के पतन होने में भला देर क्या होगी? आम जनता का यह प्रश्न हो सकता है कि क्या व्यापक जन-प्रतिनिधि सुधार विधेयक को संसद की सम्मिलित बैठक द्वारा पारित नहीं कराया जा सकता? क्या सांसद या राजनीतिक दल इन सुधारों का सैद्धान्तिक या व्यवहारिक विरोध करेंगे? राजनीतिक दल की मान्यता, मान्यता की समाप्ति, कुछ आधारभुत संरचनात्मक प्रावधानों द्वारा दलों की संख्या का परिसीमन हेतु जनप्रतिनिधि कानून में आयोग द्वारा प्रदत अवसर को अभी भी गंवाया नहीं जा सकता। राज्यसभा में पारित कराने हेतु प्रतिपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका अवश्य निभायेगा।

स्थिर सरकार: देश के नेता, राजनीतिक दल एवं देश की जनता को प्रौढ़ता-प्राप्ति की आभा में खोना पड़ता है, किन्तु इतना अधिक नहीं जितना भारत में विगत अवधि में खोने की रफ्तार रही है। यह सीमित राजनीतिक दलों के बनने की बात हो, व्यक्तिनिष्ठ, क्षेत्रनिष्ठ, भावनानिष्ठ, प्रतिशोधनिष्ठ होने से लेकर सिद्धान्तनिष्ठ या हित -संधियोजननिष्ठ तक पहुंचने की बात हो-इसके पूवार्द्ध के मूल्य ने "पद्धति, मानदण्ड, कसौटी" को ही चरमराकर रख दिया है, इसकी कीमत साधारण जन जब गुलामी से अधिक पीड़ादायक कहने लगे तो निश्चित ही कोई खतरनाक रास्ते की ओर राष्ट्र मुड़ गया है। आयोग ने सारी पीड़ा को संवैधानिक तराजू पर तौला या नहीं, गरीब राष्ट्र को बारम्बार अल्पावधि में आम चुनाव की ओर धकेले जाने के आर्थिक दर्द को अथवा अस्थिरता के दंश को अवश्य अनुभव किया है। अत: आयोग ने सुझाया कि सदन में अविश्वास के प्रस्ताव को एक रचनात्मक प्रस्ताव के रूप में लाया जाय जिसके द्वारा वैकाल्पिक सरकार की योजना परिलक्षित हो। अत: मात्र सरकार गिराने के उद्देश्य से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यह विश्वास प्रस्ताव भी होना चाहिए।

आयोग ने जहां एक ओर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller& Auditor General of India) के कार्यकाल की अवधि को छ: वर्ष से घटाकर पांच वर्ष करने का सुझाव दिया है, वहीं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की उम्र-सीमा क्रमश: 65 वर्ष और 62 वर्ष से बढ़ाकर 68 एवं 65 वर्ष कर देने की सिफारिश की है। दोनो ही सिफारिशों को औचित्पूर्ण बताया है एवं न्यायाधीशों की उम्र सीमा को अमेरिका एवं इंगलैंड की तुलनात्मक दृष्टि से ठीक प्रतीत होता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति संबंधी सिफारिशें स्वतंत्र समिति द्वारा की जानी चाहिए। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान की प्रक्रिया में आयोग ने किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं समझी।

आयोग ने भूमि सुधार कानून को लागू करने, वन कानून में वनवासियों से सहयोग लेने एवं आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा के लिए भी सिफारिशें की है।

आयोग की एक महत्वपूर्ण अनुशंसा यह भी कही जा सकती है कि यदि किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर कोई गलती की जाती है और उससे सरकार को घाटा होता है, तो उस रकम की वसूली, भरपाई उसी अधिकारी से की जाये और नाजायज, बेनामी या चोरी की संपत्ति जब्त की जाये।

यहां यह ज्ञातव्य है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भी सरकार को इसी आशय से संबंधित कानून बनाने हेतु लिखा है। यह भ्रष्टाचार के नियंत्रण में एक कारगर कदम होगा। देश की जनता ऐसे कानून बनाने की माँग करेंगी। जो राजनीतिक दल इसमें सहयोग नहीं करेंगे, तो उनकी मंशा इससे उजागर होगी। बल्कि स्वयंसेवी संस्थाओं को ऐसा करने हेतु जन आंदोलन खड़े करने चाहिए।

संवैधानिक शीर्ष पदों पर विदेश में जन्में नागरिकों को पदस्थ करने के संदर्भ में विगत कुछ वर्षों से एक विवाद उपजा एवं गहराया है। आशा थी आयोग अपना मत स्पष्ट करेगा। किन्तु आयोग ने इसे राष्ट्रीय चर्चा के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा गहराई से जाँचने एवं परखने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे बिन्दू पर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा से निश्चित ही इसके सारे आयाम राष्ट्रवासियों के समक्ष आ सकेंगे।

जिन लागों ने भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा आयोग से भारत के बीते पच्चास वर्षों की बीमारी की सर्वौषधि पाने की अपेक्षा की थी, उन्हें निराशा मिली होगी। जिन्हें सामाजिक सौहार्द, राजनीति पर अपराध का बढ़ता नियंत्रण, भ्रष्टाचार, जातीय तथा धार्मिक उन्माद की पोषक तंत्रिकाओं के निर्मूल का कारगर नुस्खा तलाशने की चाह है-उन्हें कुछ हाथ आया या नहीं-यह भी शायद एक प्रश्न ही रह गया हो, किन्तु आयोग की कतिपय ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जिनके द्वारा प्रजातांत्रिक पद्धति से सुधार हेतु राष्ट्र अनेक मील का पत्थर गाड़ सकता है।

संपर्क: 'गीतिका', 2/15, आदित्य नगर, पत्रालय-केशरीनगर, पटना-24

एक निवेदन

पत्र-पत्रिकाएं खरीदकर पढ़ने में जो मजा आता है वह मुफ्त में नहीं। अब तक प्राप्त 'विचार दृष्टि' के अंकों से आपको यह भान हो गया होगा कि यह शुद्ध रुप से राष्ट्रीय चेतना की वैचारिक पत्रिका है व्यवसायिक नहीं इसलिए इसकी सदस्यता ग्रहण कर इसके नियमित एवं सफल प्रकाशन में सहयोग अपेक्षित सहयोग प्रदान करना आपका दायित्व बनता है और यह आपकी गरिमा के अनुरुप भी होगा।

-संपादक व प्रकाशक

DENSA
PHARMACEUTICALS PVT. LTD.

Fact. Add. :Plot No. 10, Dewan & Sons Udyog Nagar,
Taluka Palghar, Dist. Thane, MAHARASHTRA

Phone No.: (952525) 55285/54471, Fax: 55286

&

DANBAXY
PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
(SOFT GELATIN)

Fact. Add: Plot No. K-38, MIDC Tarapur,
Boisar, Dist. Thane, MAHARASHTRA

Office Address:

1, Anurag Mansion, Ashokvan,
Shiv Vallabh Raod, Dahisar (E),
Mumbai-400068
Phone No.: 8974777, Fax: 8972458

MR. DEVENDRA KUMAR SINGH, C.M.D

हिंदी में हाइकु

आर०बी०साई प्रसाद

हास्य के चित्र/प्रकृति के सुबिम्ब / हाइकु काव्य। तीन पदों वाले-5-7-5 इस जापानी अक्षर छंद को एक आधुनिक कवि ने यों समझाया है: दोहानुजा तू/ जापानी त्रिपदी तू/मन भावनी। हाइकु छन्द में ही इसका परिचय कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है: नयी पुरानी/आयात निप्पान से/मधु कविता। इस छंद का अविर्भाव जापान में सोलहवीं सदी में हुआ था। पर सत्रहवीं सदी में ही यह छंद पूर्ण रूप से विकसित हो पाया था। शायद इसीलिए इस छंद में पांच-सात-पांच के हिसाब से सत्रह अक्षरों का समावेश होता है। जापान के सुप्रसिद्ध हाइकु कवि इसे संपूर्ण कविता नहीं मानते हैं। जिस प्रकार मूल क्रिया वाक्य होते हुए भी संपूर्ण वाक्य नहीं है ठीक इसी प्रकार यह भी एक प्रकार से अपूर्ण कविता है। इसे विराट एवं अनंत सत्य दिशा की ओर इंगित करने वाला संकेत था अभिव्यक्ति का प्रयास मात्र मानते हैं। 'पतझर की सांझ' हाइकु संग्रह के कवि सिद्धेश्वर के अनुसार हाइकु जापानी पद्य शैली की एक आक्षरिक छंद प्रणाली है। पांच-सात-पांच वर्णों के क्रम में त्रिपदी-17 वर्णों एक ऐसी विधा है जिसमें कम से कम शब्दों में पाठकों के समक्ष अपने भाव व्यक्त कर दिये जायं। हास्य और व्यंग्य हाइकु कविता के लिए प्राण वायु होते हैं। जरा इन दो उदाहरणों को दखिए:

हैं सब नंगे/नहीं यह गरीबी/फैशन नया। इसमें नये पहनाव-ओढ़ाव पर तीव्र व्यंग्य देख सकते हैं। हाइकु की खूबी कही बात में नहीं, अनकही बात में ज्यादा होती है। इस हाइकु को जरा देखें: आम चुनाव/कारगिल का युद्ध/सत्ता हाथ में। पंक्तियों के बीच जो भाव होते हैं इसी पर इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। अंग्रेजी साहित्य के द्वारा हाइकु का आगमन हिंदी साहित्य में हुआ है। 1960 में छपी 'अरी ओ करुणा प्रभामय' कविता संग्रह में अज्ञेय जी की हाइकु कविताएं संग्रहीत हैं। उनके छंद हाइकु जापानी कवियों के अनुवाद हैं तो छंद उनके अपने। भाषा पर संपूर्ण अधिकार होने तथा अपने लय और गति के कारण उन्होंने अपने हाइकुओं को काफ़ी रोचक बनाया था। पर न जाने क्यों हिन्दी के कवियों की दृष्टि हाइकु पर कम पड़ने लगी। फिर भी श्रीकांत वर्मा जैसे सशक्त कवि ने दिनारम्भ कविता संग्रह द्वारा इसे काफी बढ़ावा दिया है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के जापानी भाषा के आचार्य डॉ० सत्यभूषण वर्मा इस विधा के अग्रदूत माने जाते हैं। वे हाइकु को जीवन सत्यों को प्रकट करने का माध्यम मानते हैं। इसके अनुसार इसके द्वारा कवि वास्तविक सत्य एवं काव्यात्मक सत्य दोनों को प्रकट करने की कोशिश करता है। इस बात को वे सुप्रसिद्ध हाइकु के कवि बासो की एक कविता का उदाहरण देकर समझाते हैं। फुरू इके था/काबाजु तो बिकोमु/ मिजुनो ओतो। कवि अपने घर के पास वाले तालाब के किनारे पर बैठा था। वह तो खयालों में चिंतन में खोया हुआ था। अचानक एक मेंढ़क तालाब में कुद पड़ा। धीमी सी आवाज आयी। कवि की कल्पना भी तरंगाइत हुई। उस तरंगाइत क्षण का वर्णन कवि ने किया है। उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है। ताल पुराना/ कूदा दादुर/ पानी की आवाज।

बड़े बड़े वृक्षों को नाटा बनाने की जापानी कला को अंग्रेजी में बोनसाइ(Bonsai) कहते है। लंबी कविता से उबे लोगों को राहत दिलाने के लिए हाइकु छोटी कविता बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। अज्ञेय द्वारा प्रशस्त किये गये पथ पर राही बनकर सर्वश्री त्रिलोचन शास्त्री, डॉ० सत्य भूषण वर्मा, डॉ० सुधा गुप्त, डॉ० भगवत शरण अग्रवाल, प्रो० आदित्य प्रताप सिंह, उर्मिला कौल, डॉ० मनोज सोनकर, लक्ष्मण प्रसाद नायक, सिद्धेश्वर, महेश चन्द्र गुप्त जैसे नामी हस्ताक्षर उत्साह के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। खुशी की बात यह है कि उड़ीसा जैसे अहिंदी प्रांत से **गुंजन** नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकल रही है जो हाइकु के लिए अर्पित है। इसके संपादक डॉ० लक्ष्मण प्रसाद नायक हैं। इस प्रत्रिका में छपी प्रकृति चित्रण संबंधी सिद्धेश्वर की इस हाइकु को देखिए: लहर पर/मचलती चांदनी/मछली जैसी।

प्रकृति चित्रण संबंधी सिद्धेश्वर जी की यह हाइकु कविता भी अति सुन्दर है: सुबह हुई/ अनुराग से भरा/ सारा क्षितिज। हमें कदापि यह नहीं समझना चाहिए कि हाइकु कविता सिर्फ हिन्दी में लिखी जा रही है। सुब्रहमण्यम् भारती के अनुसार हमलोगों के सोचने की भाषा एक होने के कारण सभी भारतीय भाषाओं में यह विधा खूब प्रचलित है। हाइकु भारती के मानद संपादक डॉ० भगवत शरण अग्रवाल विश्व भर की भाषाओं में प्रकाशित हाइकुओं को लिप्यंतरित कर हाइकु भारती में छाप रहे हैं। प्रतापगढ़ के 'प्रताप शोभा' वालों ने हाल ही में एक हाइकु विशेषांक निकाला। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में इसकी चर्चा दूर दूर तक हुई है। संपादक प्रदीप नारायण सिंह ने इस विशेषांक के लिए गुंजन के डॉ० लक्ष्मण प्रसाद नायक को अतिथि संपादक बनाया था।

हाल ही में चेन्नै महानगर के दी इंस्टिट्यूट ऑफ ऐशियन स्टडीस वालों ने एक त्रिदिवसीय हाइकु सेमिनार का आयोजन किया था। सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हाइकु कविताओं का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक प्रस्तुतीकरण हुआ था। चेन्नै के डॉ० एन० सुन्दरम ने हिन्दी हाइकू संबंधी शोध पत्र प्रस्तुत किया था।

अस्तु, कारगिल के संदर्भ में लिखी गई मेरी इस हाइकु कविता को देखें: नारा दोस्ती का/ बगल में छुरी है/ जीता बोफोर्स। हाँ, हाइकु का एक दूसरा रूप भी है। उसका नाम है सैर्न्यू। उस के बारे में फिर कभी......

संपर्क- W-5, Maitri, 8th. Street, B-Sector, Anna Nagar, West Extn., Chennai-600101

बेटी

❑ गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव

कल शाम से ही सोनम को अम्मा के व्यवहार में परिवर्तन नजर आने लगा था। रात सोने से पहले उन्होंने उसके हाथ से कॉफी बनवा कर नहीं पी और सुबह उठकर उन्होंने उससे पूजा के बर्तन नहीं धुलवाये। पूजा के बाद चाय पीते समय उन्होंने कहा.......

'सोनम, क्या हो गया है तुम्हें? चाय में कोई स्वाद ही नहीं आता है। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? वह चुप रह गई। अखबार पढ़ रहे पापा ने कहा. ....

'पार्वती, ठीक तो बनी है चाय, क्यों बेकार में सुबह सुबह अपना मूड खराब करती हो?'

बिना चाय पिये ही अम्मा उठ गई और वह किचेन में जाकर दूसरी चाय बनाने लगी। उसने सोचा अभी राजा भइया और महिमा तो उठे नहीं हैं उनके लिये चाय तो फिर से बनानी ही है, उसी समय अच्छी सी चाय बनाकर अम्मा के पास ले जायगी और उन्हें पिला देगी।

चाय बनाते बनाते सोनम सोचने लगी कि आखिर अम्मा की खीज का क्या कारण हो सकता है। वह जानती है कि अम्मा का मूड कभी कभी यूँ ही खराब हो जाया करता है। उसके पीछे प्रायः पापा का गिरता हुआ स्वास्थ्य एक मुख्य कारण हुआ करता है, लेकिन इधर तो पापा की डायबेटीज और ब्लडप्रेशर नियंत्रण में चल रहे हैं इसलिये इस कारण से उनके मूड खराब होने का कोई औचित्य नहीं है। उसे लगा, हो सकता है उनके नर्सिंग होम में कोई परेशानी चल रही हो, लेकिन ऐसा कुछ होता तो घर में चर्चा होती। तो फिर क्या कारण हो सकता है? कहीं उनकी खीज महिमा और जयेश के विवाह की बात को लेकर तो नहीं है? और अचानक हाल में घटी बहुत सारी घटनाएं उसकी आँखों के आगे से गुजरने लगी।

जयेश विश्वविद्यालय रसायन विभाग में प्राध्यापक था। महिमा और सोनम दोनों ही एम०एससी० की छात्राएं थी और कक्षा के अतिरिक्त लैबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स के लिये अक्सर उससे मुलाकात हो जाया करती थी। धीरे-धीरे दोनों का जयेश से घनिष्ट परिचय हो गया। एक बार जब महिमा और सोनम अन्य सहपाठियों के साथ स्टडी टूर पर जबलपुर गये थे तब जयेश भी साथ गया था। नर्मदा नदी को घेर कर खड़ी हुई संगमरमर की चट्टानों में घूमते-घूमते जब महिमा और सोनम थक गई तब वे दोनों चट्टान के ऊपर बैठ कर विश्राम करने लगी। सोनम ने बास्केट में से सैंडविचेस निकाल कर महिमा की ओर बढ़ाया ही था कि जयेश उधर आ गया। महिमा खड़ी हो गई और अपने हाथ की सैंडविच उसे देते हुए बोली....

'लीजिये खाइये न? मैंने जूठा नहीं किया है।'

उसने कहा.............

'आप खाइये। मैं यूँ ही चला आया था यह देखने कि कोई समस्या तो नहीं है। आप जानती हैं इस ग्रुप में आप ही दो लड़कियाँ हैं।'

तब तक सोनम ने बास्केट से एक नैपकिन निकाल कर उस पर एक सैंडविच रखकर उसे दिया और बोली..........

'लीजिये खाइये 'सर'। मैंने स्वयं बनाया है।'

उसने सैंडविच लेते हुए कहा...........

'अच्छा, लाइये। जब आपने बनाया है तब तो खाना ही पड़ेगा।'

महिमा ने सोनम की ओर अर्थ भरी दृष्टि से देखा पर उसका ध्यान जयेश की ओर था।

इधर अम्मा पापा ने जयेश के पिता के पास महिमा के विवाह का प्रस्ताव भेज दिया और उन्होंने कहलाया कि अगले दशहरे में महिमा को देखकर शगुन कर देगें। लेकिन दशहरे की छुट्टियों से पहले ही एक दिन ऐसा कुछ घट गया जिसने सोनम के जीवन की धारा ही बदल दी।

बस में लौटते समय संगीत का कार्यक्रम हुआ। महिमा ने जयेश से कहा............

'आप भी गाइये न।'

उसने एक ग़ज़ल सुनाई। महिमा खुश थी कि उसने उसका आग्रह माना। लेकिन सोनम आँखें बन्द किये हुये संगीत का आनन्द लेती रही।

इसके बाद जयेश कई बार उनके घर भी आया था और अम्मा पापा से भी मिला था। एक बार अम्मा ने पापा से कहा था........

'जयेश अच्छा लड़का है। महिमा के लिए कैसा रहेगा?'

पापा बोले थे............

'अच्छा लड़का है। बात आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है।'

महिमा अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, सोनम ने जाकर अम्मा पापा की बात बतायी थी। जयेश के सम्बन्ध में उनके विचार जानकर वह मन ही मन खुश हुई थी और सोनम से बोली थी...........

'सोनम, जयेश के सम्बन्ध में तुम्हारा क्या विचार है?'

उसने कहा था..........

'जयेश 'सर' तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें तो बहुत पसन्द भी करते हैं।'

वह बोली थी..........

'पता नहीं। कभी कहा तो नहीं।'

सोनम कुछ क्षण चुप रही फिर बोली थी.

'महिमा, सब बातें कही थोड़े ही जाती हैं।'

उसने कहा था.........

'क्यों नहीं। यदि कोई किसी को पसन्द करता है तो कहना चाहिए।'

सोनम ने कहा था..........

'तुम कभी पूछना।'

इधर अम्मा पापा ने जयेश के पिता के पास महिमा के विवाह का प्रस्ताव भेज दिया और उन्होंने कहलाया कि अगले दशहरे में महिमा को देखकर शगुन कर देगें। लेकिन

दशहरे की छुट्टियों से पहले ही एक दिन ऐसा कुछ घट गया जिसने सोनम के जीवन की धारा ही बदल दी। उस दिन महिमा यूनिवर्सिटी नहीं गई थी अकेली सोनम ही क्लास गई थी। क्लास के बाद प्रैक्टिकल्स थे। प्रैक्टिकल्स करते-करते शाम हो गई तभी जयेश लैब में घुसा। उस को देखकर बोला था.......

'अरे सोनम जी, अभी तक आप लैब में हैं?'

जयेश के आ जाने से वह अचकाचा गई किन्तु स्वयं को सामान्य बनाते हुये बोली थी......

'बस, अब रीडिंग लेनी बाकी है 'सर'।'

जयेश उसके पास आकर बोला था........

'लाइये मैं रीडिंग लेता हूँ। आप नोट कीजिए।'

वह स्वयं अलग हटती इससे पहले जयेश रीडिंग लेने के लिये झुका और अचानक उसका सर सोनम के चेहरे के बहुत करीब आ गया था। कुछ क्षणों के लिए उन दोनों की दृष्टियाँ एक दूसरे से मिल गई थी। सोनम के शरीर में रोमांच की लहर दौड़ गई थी और जयेश को लगा था जैसे उसने ज्वालामुखी के अंगारों को छू लिया हो। जयेश ने सकुचाते हुये कहा था............

'आई ऐम सारी...........।'

वह भी संकोच-वश सिकुड़ कर पीछे हट गई थी। लेकिन फिर प्रकृतिस्थ होकर रीडिंग लेने लगी थी। वह पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था और बोला था...........

'देखो सोनम, मुझे 'सर' मत कहा करो।'

पहली बार जयेश का उसे केवल सोनम कहना उसके मन को गुदगुदा गया था। उसका हृदय जोर-जोर से धड़कने लगा था और उसकी हथेलियां थरथराने लगी थीं। उसने बहुत धीमे स्वरों में कहा था...........

'जी स..........

वह खिलखिला पड़ा था और बोला था. ......

'सोनम, केवल जयेश कहो।'

उसके गाल लाज से लाल पड़ गये थे और वह बोली थी............

'अच्छी बात है। लेकिन कुछ दिनों बाद तो आप हमारे जीजा जी हो जायेंगे। आखिर महिमा मेरी बड़ी बहन है।'

जयेश कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके पास आकर बोला था..........

'सोनम, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ।'

उसका हृदय जोर-जोर से धड़कने लगा था और अपनी आँखे झुकाये हुये वह बोली थी. ...

'सोनम, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी?' सोनम की धड़कने रूकने को हो गई थी। उस समय लैब में अन्य कोई नहीं था और धीरे-धीरे शाम का धुंधलका छाने लगा था। जयेश ने प्रायः फुसफुसाते हुये पूछा था............

'कहिए न।'

जयेश अचानक उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसका हाथ पकड़ते हुये बोला था........

'सोनम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है उसी क्षण से..........

सोनम को लगा था जैसे वह केसर से छलकती हुई आकाश-गंगा की लहरों में हौले-हौले डुबकियाँ लगा रही हो। जी चाहा था जयेश बोलता चला जाय और वह अपनी सारी इन्द्रियों से केवल सुनती चली जाय। लेकिन तभी महिमा का ध्यान आ गया था और उसने पूछा था...........

'और महिमा?

उसने कहा था............

'महिमा अच्छी लड़की है पर मैंने उसे कभी उस दृष्टि से नहीं देखा।'

फिर उसने कहा था..............

'सोनम, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी?'

सोनम की धड़कने रूकने को हो गई थी। उस समय लैब में अन्य कोई नहीं था और धीरे-धीरे शाम का धुंधलका छाने लगा था। जयेश ने प्रायः फुसफुसाते हुये पूछा था.........

'सोनम, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।'

सोनम का स्वर थरथराने लगा था और अपना चेहरा झुकाये वह बोली थी............

'मैं क्या बोलूं? पर मुझे बहुत डर लगता है।'

जयेश ने कहा था।'

'सब बातें मुझ पर छोड़ दो।'

फिर वह बोला था..........

'चलो सोनम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ।'

इसी के बाद अम्मा के पास जयेश की माँ का फोन आया था और उन्होंने बताया था कि जयेश महिमा से नहीं सोनम से विवाह करना चाहता है। अम्मा का चेहरा फक पड़ गया था और वह कुछ कहती इससे पहले जयेश की माँ बोली थी...........

'बहन जी, वह भी तो आप की बेटी है और उसका विवाह तो करना ही है।'

अम्मा बुझे मन से बोली थी..........

'हाँ, वह तो है। पर बड़ी तो महिमा है।'

जयेश की माँ बोली थी............

'कोई बात नहीं। कोई रसम कर लेगें विवाह बाद में हो जायगा।'

सोनम पास में ही बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि जयेश के कहने पर ही उस की मां ने अम्मा को फोन किया था। यह जानकर कि वह महिमा से विवाह नहीं करना चाहता है अम्मा का दुखी होना स्वाभाविक है लेकिन वह सोनम से विवाह करना चाहता है उस बात से उन्हें बिल्कुछ भी खुशी नहीं हुई यह बात भी उनके चेहरे से स्पष्ट हो गई थी। फोन आने के बाद से अम्मा खामोश ही रही और उसकी ओर उखड़ी हुई दृष्टि से देखती हुई नर्सिंग-होम चली गई। रात में खाने के समय लगभग मौन ही रहीं और जल्दी ही अपने कमरे में चली गईं। सोनम रात भर सो नहीं पाई और सुबह-सुबह अम्मा का रूखा व्यवहार उसे रूला गया।

सोनम अपने ख्यालों में डूबी रहती कि तभी चाय का पानी खौल गया और उसने चाय की पत्ती डाल केतली में छान ली। दूध, कप, चीनी आदि ट्रे में रखकर वह राजा भइया के कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे का दरवाजा आधा उढ़का हुआ था। कमरे के भीतर जाने से पहले सोनम के कानों में उसके संबंध में अम्मा

के कुछ वाक्य पड़े और उसके पाँव ठिठक गये। वह बाहर ही खड़ी हो गई और सुनने लगी। अम्मा राजा भइया से कह रहीं थीं---

'बेटा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोनम इस तरह महिमा के साथ विश्वासघात करेगी।'

वह बोले---

'क्यों अम्मा, क्या हुआ? सोनम ने क्या किया।

उन्होंने कहा----

तुम तो जानते ही हो महिमा के विवाह की बात जयेश के साथ चल रही है। उसके माता-पिता ने भी हामी भर दी थी। लेकिन अब जयेश महिमा से विवाह नहीं करना चाहता है। उसे सोनम पसंद है।'

'तो इसमें क्या बात है? वह भी तो विवाह योग्य हो गई है। उसका भी तो विवाह करना है। महिमा के लिये और लड़का मिल जायेगा।' वह बोलीं----

'बेटा, तुम नहीं समझोगे मेरे मन की द्विविधा।'

बाहर खड़ी सोनम के पांव वहीं ठिठक गये और वह सांस रोक कर अम्मा और राज भइया के बीच चल रहे वार्तालाप को सुनने लगी। राजा भइया ने कहा---

'बोलो न अम्मा, क्या द्विविधा है तुम्हारे मन में? अम्मा ने कहा---

'बेटा, अभी तक मैंने तुम से और महिमा से सोनम के संबंध में एक रहस्य छिपाकर रखा है। केवल मैं और पापा जानते हैं।'

सोनम का हृदय जोर-जोर से धड़कने लगा वह कौन सा रहस्य है जो अम्मा राजा भइया को बताने जा रही हैं। अम्मा ने मन्द स्वरों में कहा----

'बेटा, सोनम हमारी बेटी नहीं है...........

सोनम को लगा जैसे किसी ने उसे सातवें आसमान से कठोर चट्टान पर फेंक दिया हो। ट्रे टेबल पर रखकर वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा कह रही थी-----

'सोनम इसी नर्सिंग-होम में जन्मी थी। जन्म के बाद इसकी मां चल बसी थी। तब तक जो लोग उसकी मां को प्रसव के लिए यहां लाये थे वे लोग भी जा चुके थे। इसके पिता आदि का कोई पता न होने के कारण इसे मैंने ही रख लिया। तब से मैंने इस अपनी बेटी की तरह पाला है।'

सोनम का सिर घूमने लगा। उसने मन ही मन चाहा कि धरती वहीं फट जाय और वह उसी में समा जाय। वह ट्रे आदि छोड़कर अपने कमरे की ओर भागी और दरवाजा बन्द करके अपने बेड पर औंधे मुंह गिर पड़ी। बड़ी देरतक वह फूट-फूट कर रोती रही और भीतर मनाती हरी कि अम्मा की यह बात सच न हो।

काफी देर बार जब आँसुओं की बाढ़ रूकी तब उसने अपनी स्थिति पर विचार करना प्रारम्भ किया। जब से होश संभाला है तब से अम्मा और पापा ने कभी यह आभास तक नहीं होने दिया कि वह उनकी बेटी नहीं है। कितनी ही घटनाएं उसकी आंखों के आग से गुजरने लगी। उसे याद है जब उसे टायफाइड हो गया था तब अम्मा उसे रात भर अपने सीने से लगाये हुये बैठी रहीं थीं।

पापा ने कहा था---

'पार्वती, लावो इस मुझे दे दो। तुम कुछ देर आराम कर लो।' और सिरहाने बैठकर पापा उसके मस्तक पर बड़ी देर तक यूडीकोलान की पट्टी रखते रहे थे। उसे याद है उसके दसवें जन्मदिन पर अम्मा उसके लिये बड़ी सुन्दर सी फ्राक लाई थीं और पापा ने उसके नाम से बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट एकाउंट खोला था। राज भइया और महिमा के साथ गाड़ी में वह भी स्कूल जाती थी और वापस आती थी। एक बार सब लोग पुरी मन्दिर गये थे तब सोनम अम्मा-पापा से दूर कहीं खो गई थी। पापा ने तुरन्त माइक पर घोषणा करवाई थी और अन्त में सोनम इन्क्वायरी आफिस में मिल गई थी। अम्मा उसे अपनी छाती से लगा कर रोने लगी थी और उसके मुहं पर चुम्बनों की झड़ी लगाते हुये बोली थी----

'मेरी बच्ची, कहां चली गई थी। अब तो मुझे छोड़ कर नहीं जायेगी न ?

छोटी सी सोनम ने अम्मा के आँसू पोंछते हुये कहा था---

'चुप हो जावो अम्मा। मैं अब तुम्हें छोड़ कर कभी नहीं जाऊँगी।'

एक बार अम्मा को मलेरिया हो गया था तब वह बारह-तेरह साल की थी। उसी ने कम्बल लाकर उन्हें उढ़ाया था और कपकपी बढ़ने पर उनके शरीर को अपने से चिपका कर गर्मी दी थी। रात में कई बार उठ कर दवा दी थी और गरम दूध पिलाया था।

अम्मा कहती.............

'सो जावो बेटी, तुम भी बीमार पड़ जावोगी तब कौन करेगा?

महिमा की परीक्षाएं आती तब वह रात-रात भर जग कर उसके लिये चाय-काफी आदि बनाती। राजा भइया के कमरे की सफाई करती और टेबल पर बिखरी हुई पुस्तकें रैक के कायदे से लगाती।

सोनम ने कल्पना में भी यह कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को वह अभी तक अपना समझती आई है, वही उसके लिये इस तरह बेगाना हो जायगा और जिन्हें वह अम्मा-पापा और भाई बहन मानती आई है उन सब के लिये वह पल भर में परायी हो जायेगी। वह सोचने लगी क्या खून के रिश्ते इतने कठोर होते हैं कि ममता के बन्धन को इतनी सरलता से चिन्दी-चिन्दी कर देते हैं। महिमा तो अम्मा की अपनी बेटी है और स्वाभाविक है कि उसके विवाह के मार्ग में यदि कोई भी अड़चन बनेगा तो वह उनका सबसे बड़ा शत्रु होगा।

वह सोचने लगी कि यह जानते हुये भी कि वह उनकी बेटी नहीं है अम्मा और पापा ने उसे बराबर बहुत प्यार दिया है। अब जब कि जयेश ने महिमा के साथ विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और अम्मा का मन उसके प्रति खट्टा हो गया है क्या उसका यह कर्तव्य नहीं बनता है कि वह अपने स्वार्थ की बलि देकर जयेश के प्यार को ठुकरा दे और अम्मा की इच्छा के अनुरूप महिमा का विवाह जयेश से करवा दे। सहसा उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जागा और उसने निश्चय किया कि वह शीघ्रातिशीघ्र जयेश से मिल कर अपने मन की बात कहेगी।

उसी दिन सोनम क्लास के बाद जयेश के पास गई। वह स्टाफ रूम में बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था। वह उसके पास गई और बोली-------

'सर'.................

सोनम के उसे फिर 'सर' कह कर संबोधित करने से वह आश्चर्य में पड़ गया और खड़ा होता हुआ बोला...........................

'क्या बात है सोनम? कुछ परेशानी है?

वह बोली.......................................

'सर', जरा बात करनी है।'

उसने कहा...................................

'हाँ, हाँ, बोलो क्या बात है?

वह बोली...................................

'सर यहाँ नहीं कुछ परसनल बात है।'

जयेश ने कहा..............

'अच्छा ठीक है। मैं प्रैक्टिकल के बाद बी०एससी० लैब के पास मिलूँगा।'

दोपहर के समय जयेश और सोनम एक रेस्टोरेन्ट में मिले। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद वह बोला–'क्या बात है सोनम?

सोनम ने कहा.........

'आप मुझे भूल जाइये। मैं आप के योग्य नहीं हूँ...........

कहते–कहते उसकी आँखों से आँसू ढुलक पड़े जिसे उसने अपनी रूमाल में छिपाने का प्रयास किया। लेकिन जयेश ने देख लिया और बोला........

'सोनम, पहेलियां मत बुझाओ। साफ–साफ बताओ।'

'बस, आप महिमा से विवाह कर लीजिए। वह आपके लिये हर तरह से एक अच्छी पत्नी सिद्ध होगी।'

उसकी उगलियां छूते हुये जयेश बोला....

'तुम्हें मेरी सौगन्ध है, क्या हुआ है?

वह विवश हो गई और उसने अपने जन्म के विषय में सारी बातें बताई और अन्त में बोली.......

'अम्मा बहुत दुखी है। आप महिमा को अपना लीजिए। मेरी चिन्ता मत कीजिए।'

वह कुछ क्षणों तक चुप रहा फिर बोला 'तुम किसकी बेटी हो यह मेरे लिये महत्वपूर्ण नहीं है। बस तुम सोनम हो जिसे मैं हृदय से . ...प्यार.........

'बस चुप रहिए। आगे मत कहियेगा।'

मौन हो कर वह विचारों में खो गया। तभी वह बोली......

'आपको मेरी यह बात माननी होगी। मानेंगे न?

जयेश ने कहा.....

'सोनम, अपने मन पर किसी का वश नहीं होता। वादा तो नहीं करता पर तुम कहती हो तो कोशिश कर सकता हूँ। पर क्या तुम मुझे भूल पावोगी?'

'पता नहीं। चलिये अब चलें।'

घर लौटते ही सोनम को पता चला कि पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें नर्सिंग-होम में भर्ती कर दिया गया है। वह भागी–भागी नर्सिंग होम गई। अम्मा से मिलकर पूछा–'क्या हुआ अम्मा?

उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। उन्होंने कहा.........

'पापा की किडनीज का फंक्शन बहुत पुअर हो गया है। उन्हें किडनी ट्रान्सप्लांट करना होगा।'

उसने पूछा...........

'पापा किसी वार्ड में हैं?'

वह बोली.......

'आई०सी०यू० में.........।'

सोनम भागती हुई आई०सी०यू० में गई। पापा को ड्रिप लगी हुई थी और वह आँखें बंद किये लेटे थे। महिमा और राजा भइया पास ही खड़े थे। वह पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और उनके मस्तक पर हाथ सहलाने लगी। पापा ने आँखें खोली और बोले..........

'तुम आ गई बेटी।'

उसने कहा..........

'पापा, आप ठीक हो जायेंगे। चिंता मत कीजिए।'

पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले........

'हाँ बेटी..........।'

शाम के समय जब अम्मा घर वापस आई तब सोनम किचेन में थी। किचेन में आकर वह बोलीं......

'जल्दी खाना तयार कर दो बेटी, मैं जल्दी ही नर्सिंग होम जाऊँगी।'

उसने पूछा.......

'कैसे हैं पापा?'

अम्मा ने कहा........

'हालत ठीक नहीं है। किडनीज धीरे–धीरे फेल कर रही हैं। किडनी ट्रान्सप्लांट ही एक उपाय है।'

सोनम ने पूछा–

'कोई डोनर मिला?

'तलाश जारी है। देखो क्या होता है?'

उसने अम्मा के कंधे पर हाथ रख दिया और बोली........

'अम्मा, सब ठीक हो जायगा।'

'अम्मा की आँखों में आँसू थे। सोनम ने उन्हें अपने हाथों से पोंछा।

अगले दिन से किडनी–मैचिंग–टैस्ट शुरू हो गये। राजा भइया और महिमा की किडनी मैच नहीं कर पाई। सोनम ने अम्मा से कहा. ....

'अम्मा, मेरी किडनी का भी मैचिंग टैस्ट करवा दो। हो सकता है मैच कर जाय।'

अम्मा, चौंक पड़ी किन्तु अपने आश्चर्य को छिपाते हुये बोली............

'अच्छा, कल करा दूँगी।'

अगले दिन से सोनम के टैस्ट शुरू हो गये और अन्त में किडनी स्पेशलिस्ट ने सर्जन से कहा.......

'इसकी किडनी परफेक्टली मैच करती है। अब आप आपरेशन की तैयारी कर सकते हैं।'

एक सप्ताह बाद पापा और सोनम का आपरेशन हुआ और उसकी एक किडनी पापा को लगा दी गई। आपरेशन के बाद जब सोनम को होश आया तब उसने अम्मा, राजा भइया और महिमा के अतिरिक्त जयेश को भी वहां खड़े पाया। अम्मा उसके पास दौड़ी हुई आयी और उसका माथा सहलाते हुये बोली..

'सोनम, कैसी हो?

उसने मद्धिम स्वरों में कहा.......

'मैं ठीक हूँ, पापा कैसे हैं अम्मा?'

अम्मा ने कहा..........

'आपरेशन सफल रहा। अभी आई०सी०यू० में हैं।'

तभी सोनम ने जयेश की ओर देखा और बोली.........

'आप कब आये 'सर'?'

अम्मा ने उसके ओठों पर अपनी उंगलियां रखते हुये कहा........

'सोनम, अब और शर्मिन्दा मत करो। जयेश ने सब कुछ बता दिया है। वह केवल तुम्हारा है।'

'क्या कह रही हो अम्मा.............?'

अम्मा ने कहा...........

'हाँ सोनम, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम तो बेटी से भी बढ़ कर हो..........

सोनम ने अम्मा के ओठों पर अपनी उंगलियां रखते हुये कहा........

'बस, अम्मा, मत कहो बेटी से बढ़कर। केवल बेटी कहो........।

'हाँ बेटी। मेरी अपनी बेटी.........

अम्मा ने उसका मस्तक चूमते हुये कहा।

संपर्क: सदस्य (प्रशा०),कैट, सी–5, सुन्दरम फ्लैट्स, एल० डी०इंजीनियरींग कॉलेज हॉस्टेल कैम्पस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–9

सज़ा

❑ डॉ० राजनारायण राय

मौसम बरसात का था और समय रात का। बादल बूँदें टपका रहा था- टप-टप, टिप-टिप टप........। चारो तरफ दहशतभरा सन्नाटा था जिसे झींगुर की आवाज तोड़ती थी। कभी-कभी कुत्ते भौंक उठते शायद सियार के हुआँ-हुआँ से चिढ़कर। वह दौड़ता जा रहा था। हाँफता हुआ, घबराया, बदहवास। लैन्टाना जैसे कँटीली पौधों ने उसके कपड़ों और हाथों पर अपनी जंगली होने का अच्छा सबूत दे दिया था। वह टूटी रोड पर पड़े नुकीले रोड़ों से कई बार टकराकर गिर चुका था, ठेहुने छिल चुके थे सो वह अब चलने लगा था तेज़ी से। उसके दिमाग में हलचल का तुफान उठ और गिर रहा था। वह आवेश से भरा एक बहुत बड़ा गुब्बारा सा-था जो फटने के लिए तैयार था। सोच रहा था, मैं पहुँचते ही बिना पूछे ही सारी बातें शुरू से अंत तक बता दूँगा। कुछ भी पेट में नहीं रखूँगा। सच-सच उगल कर सज़ा की माँग करूँगा। न कुछ छिपाऊँगा और न दण्ड भोगने में जी चुराऊँगा फाँसी की सज़ा तजवीज की जाएगी तो खुशी- खुशी सूली पर चढ़ जाऊँगा। कभी दौड़ते, कभी चलते, कभी भागते वह तरसती रोड पर आ गया। लगा कि आधे घंटे मे थाने तक पहुँच जाएगा। सोचा. पाँच मिनट क्यों न सुस्ता लूँ, फिर दौड़ पड़ूँ।

धूल भरी टूटी-फूटी पुलिया पर जिसका प्लास्टर कहीं-कहीं उखड़ गया था, बैठ गया वह। दिमाग की सुई घूम कर फिर घटित घटना की ओर खिसक गई। उसे लगा, मैंने प्रेम जैसी पवित्र अलौकिक वस्तु को दूषित कर दिया है। शाम को प्रवचन करते हुए एक गेरूआ वस्त्रधारी सन्यासी जी ने कहा था, "प्रेम ही ईश्वर है बेटा। वह स्वर्ग से भी महान् है। प्रेमी के लिए अपनी जान का कोई मूल्य नहीं है।" हाय री किस्मत कैसा प्रेमी निकला मैं! पतिव्रता पत्नी और सन्तान दोनों के प्रति क्या यही फर्ज था मेरा कि असमय में ही मैंने मौत का शिकार उसे बना दिया। मेरी समझ और बुद्धि कहाँ चली गई थी! ऐसी मूर्खता क्यों कर बैठा? हे भगवान! पछतावे की आग में कब तक जलना-झुलसना होगा। जब तक सज़ा न भुगत लूँ या आत्महत्या न कर लूँ तब तक ग्लानि के ग्राह से छुटकारा न मिलेगा।

वह धीरे से उठा। फिर दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। अचानक सामने आती हुई तेज़ रोशनी में उसे मालूम हुआ कि ट्रक आ रही है। उसके मन में आया कि इस अंधकार में सर्पीली रोड पर लेट जाय और कुचला-पिसा जाय, इस तरह दम तोड़ दे! जब तक वह फैसला करता तब तक ट्रक जा चुकी थी। उसे लगा कि एक अच्छा मौका निकल गया, हाथ से।

लगभग दस बजे वह थाना परिसर में पहुँच गया। अंदर आते ही वह रूक कर साँस लेने लगा। गेट खटखटाने पर भीतर से तल्ख कड़कती आवाज आई, "कौन?"

"जी, नगेसर।" एक भर्रायी आवाज़ फैल गई।

"ऐसी कुरात में क्या चाहते हो?"

"क्या चाहूँगा हुजूर?" इतना कह सिसकने लगा।

"अंदर आ जाओ।"

नगेसर सहमता-डरता, ऑफिस में घुसा। दौलत सिंह ने देखा, एक फटे फुलपैंट और मैली बुशर्ट में कंकाल हैं आँखें धँसी, उदासी, चेहरा पसीने से लथपथ।

" क्या नाम बताया? नगेसर?" सिपाही सिंह डायरी का पन्ना पलटने लगा।

" जी.........जी...... " हकलाता बोला वह।"

"क्यों आए तू?" घर में चोरी-डकैती हो गई?

"नहीं, हुजूर।"

"रहते कहाँ हो?"

"इसी शहर में पश्चिम में बनी नयी कॉलोनी में, ठेकेदार अनोखे लाल के आउट हाउस में।"

"आने की वजह?" किसी ने मारा पीटा।"

"झूठ क्यों बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुजूर, मैं कातिल हूँ......."

"किसकी हत्या की, बाप या भाई की?"

"नहीं हुजूर, अपनी वाइफ की......."

"अरे सूअर, बीवी की क्यों की? दहेज के लिए? कितनी रकम की माँग की थी? ज़मीन जायदाद लेना चाहता था?"

"मैं तो साहब उसे पाकर बेहद खुश था। लगता था, संसार का सब सुख पा लिया। पूरी तरह मैं ज़नपरस्त बन गया था।"

"तो दहेज का मामला नहीं है? अरे, तुम्हारी औरत का नाम क्या है?"

"नाम था लाजवंती हुजूर, पर मैं पुकारता था लज्जो कह कर।"

"लज्जो को किस हथियार से मारा? डंडे से पीटा होगा?"

"डंडे, तलवार, चाकू से भी नहीं हुजूर।"

गला दबा दिया होगा जब सो रही होगी?

"नहीं हुजूर,"

"अच्छा, यह बताओ कि लज्जो आलसी और कामचोर तो न थी?"

"साहब, क्या बताऊँ! वह रात-दिन खटती रहती। कभी चैन न लेती।"

"तो क्या बदजबान थी? रात-दिन गाली बकती या कोसती रहती थी?"

"साहब, उसकी ज़बान बेहद मीठी थी। कर्कशा तो थी नहीं। आज तक किसी ने शिकायत नहीं की।"

नगेसर लज्जो खूबसूरत और जवान होगी न? किसी और के साथ............।

" ऐसा न कहिए हुजूर। बड़ी नेक खुशमिजाज और होशियार थी। बदचलन बेवफा तो थी नहीं। पूरी तरह शौहरपरस्त थी.....साल भर कोई न कोई व्रत करती रहती महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, करवाचौथ, अहोई, अष्टमी आदि। कोई भी व्रत उससे छूटता न था।

" ऐसा न कहिए हुजूर। बड़ी नेक खुशमिजाज और होशियार थी। बदचलन बेवफा तो थी नहीं। पूरी तरह शौहरपरस्त थी.....

पूछताछ कर ही रहा था कि दौलत सिंह की काली मोटर साइकिल की आवाज़ सुनकर खड़ा हो गया। पुलिस इस्पेक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के घुसते ही झट उसने बूट पटक सेल्यूट किया। फिर बोला, "सर! यह अपने को कातिल बताया है।" इतना सुनते ही वह चौंक गया और फटकारता बोला, "दौलत! कितनी बार कहा,

"मुजरिम को सबसे पहले हथकड़ी पहनाया करो। भाग जाने का डर रहता है। फिर पूछताछ करो। सवाल करो। सुन रहा हूँ।"

दौलत सिंह ने फौरन आदेश का पालन किया।

नगेसर ने देखा, "मोटी-सी गर्दन, शेर-सा बड़ा सिर, गभरू-प्रौढ़ अफसर है करीब चालीस साल का।

"क्या पीने के लिए पैसे नहीं देती थी?"

"हुजूर, भगवान की कसम! दारू-ताड़ी को कभी हाथ नहीं लगाता साहब। हाँ, बीड़ी फूँक लेता हूँ। मुफत कोई दे दे तो सिगरेट का कश लगा लेता हूँ।

"तब जुआ खेलते होगे? और हार-लूट जाने पर गहने नहीं देती होगी? तु छिनना चाहते होगे, पर या जली-कटी सुनाने का मौका पाते ही गला घोंट दिया होगा।"

"बात ऐसी नहीं है साहब।"

"सच-सच बताओ बात क्या है? कोठे पर रात बिताते हो? कौन है वो बाई जिसने अपराध करने के लिए मज़बूर किया?"

"हनूमान जी की कसम, कोठे का शौक नहीं रहा कभी साहेब।"

नगेसर उम्र कितनी है?

"इकतीस पार करने वाला हूँ।"

> **"हुजूर, इश्क-मोहब्बत के जान लेवा दलदल में कभी न फँसा। सच कहूँ, साहेब तीन साल पहले संतान की उम्मीद में एक औरत ने मेरे साथ रात बिताने को आरजू मिन्नत की थी। पर, मैंने भगा दिया था।"**

तो, तुम छः फुटा जवान हो, गज भर का सीना है, हाथ-पैर बलिष्ट है। शेर की तरह माँस-पेशियाँ हैं, चेहरे पर लुनाई है-औरतों के लिए तुम सपने के राजा होगे.......

पास-पड़ोस की किस औरत के चक्कर में पड़े? उसे पाने के लिए तुमने गुनाह किया हो? वह रोक-टोक करती होगी, है न?

"हुजूर, इश्क-मोहब्बत के जान लेवा दलदल में कभी न फँसा। सच कहूँ, साहेब तीन साल पहले संतान की उम्मीद में एक औरत ने मेरे साथ रात बिताने को आरजू मिन्नत की थी। पर, मैंने भगा दिया था।"

"क्यों छोड़ दिया?"

"हुजूर, भगाता-दुत्कारता न तो क्या करता! वाइफ का विश्वासघात करता न!"

नरेन्द्र प्रताप सिंह को लगा कि इस गुनहगार से इसी तरह सवाल पर सवाल करता रहेगा तो दस बीस मिनटों में रहस्य जान लेगा। बोला,

"हाँ, नगेसर जिसे तुमने मारा वह रिश्ते में कौन होती थी?"

"वाइफ, हुजूर बीवी।"

"तुमसे उम्र में बीस थी?"

"बड़ी कहाँ हुजूर, पाँच साल छोटी थी।"

"चेहरे पर चेचक के दागवाली, कानी काली, बदसूरत होगी। है न?"

"नहीं हुजूर, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसी फिल्म की छोकरियों की तरह खुबसूरत थी। बेहद हँसमुख, लम्बी और छरहरी थी। जब मुस्कराती तो मधुबाला की मुस्कान-सी लगती थी। दो बच्चों की माँ-बन गई थी, फिर भी उसे देखते रहने की प्यास बनी रहती थी मेरे दिल में।

"विवाह कब हुआ था?"

"जी यही सात साल पहले। लव मेरेज किया था साहब।"

"लव मैरेज?" इंसपेक्टर चौंक पड़ा।

"दिल्ली में किया था हम दोनों ने। कोर्ट में साहेब।"

"माँ-बाप की राय से नहीं थी न? पूरी बात बताओ?"

"नहीं साहब! लज्जो का बाप दिल्ली में एक नामी-गरामी बिजनेस मैन है, मैं उसके घर का ड्राइवर-नौकर सब कुछ था। लज्जो जब दस साल की थी तो ब्लड कैंसर से उसकी माँ गुज़र गई। जब से उसकी सेवा-टहल में लगा दिया गया था। मैं पहले साइकिल से, फिर कार से छोड़ने जाता था-कॉलेज पिकनिक पार्टी सब जगह। कभी बैडमिंटन, कभी हॉकी खेल कर थकी-मांदी आती तो जूते में निकाल देता, उसके कहने पर बाल रहित टाँगें सहलाता दबाता। सोने-सी गोरी चिकनी पीठ पर खुशबूदार साबुन मलता। रंगीन, फूल छाप ब्रा और बिकनी धोता-केयर फ्री तक फेंकने मैं ही जाता। साहब, इस तरह नजदीक आता गया। और, एक दिन टी० वी० देखते-देखते एक हो गये हम दोनों। फिर विवाह करने का फैसला ले लिया। उसके बाप ने सख्ती बरती तो घर से भाग कर कोर्ट में जाकर मेरेज कर लिया। उसका डैडी कुछ न कर सका। कारण, साहब वह इक्कीस की हो चुकी थी।"

तब जिस लड़की ने तुम्हारे लिए घर-बाड़ यहाँ तक कि माँ बाप को छोड़ दिया। उसे मार डाला तुमने? स्टुपिड! साफ-साफ बताओ। क्या किया उसके साथ?"

"हुजूर, पहली बार गर्भ धारण किया तो लेडी डॉक्टर मालती वर्मा को दिखाया। उसने बताया कि बच्चा होगा पर सिजेरियन होगा। उसके ही नर्सिंग होम में डिलवरी हुई। दो साल के बाद फिर गर्भ रह गया। नर्सिंग होम में भरती किया उसे। फिर सिजेरियन, पर उसने साफ हिदायत दी थी कि तीसरी संतान की इच्छा तुम दोनों फिर कभी न करना। पर क्या करूँ, वासनावेग में मैं अंधा हो गया और गर्भ-निरोधक का प्रसाधन था नहीं घर में और गलती कर बैठा। बात ऐसी थी कि दो हफ्ते के बाद घर लौटा था सो मेरे आग्रह करने पर वह गिड़गिड़ायी, हाथ जोड़ती रही, कमरे में इस कोने से उस कोने भागती रही, देवी-देवताओं की कसम देती रही, लेडी डाक्टर की बात याद दिलाती रही। मैं भूखा शेर बन गया था, वह मासूम, कमजोर हिरनी थी। सो शिकार कर बैठा। जब पेट निकला तो लेडी डाक्टर ने वाश करने से इन्कार कर दिया। लाचार हो भगवान के भरोसे बैठ गया। कल प्रसव-पीड़ा शुरू हुई। मैं भागने का जुगाड़ करने निकला। देर हो गई, आठ बजे का गया लौटा दो बजे। पर दस हजार मिल गया

था एक दोस्त से। पड़ोस में दोनों बच्चों को छोड़ा। पहले सरकारी अस्पताल ले गया उसे। मगर लेडी डाक्टर ने साफ कह दिया दो बार पेट काटा जा चुका है, अब मैं नहीं करूँगी"। तब नर्सिंग होम ले गया किसी तरह। मेरी बदकिस्मती देखिए हुजूर, कि उसी दिन टेम्पो रिक्शा-सबकी चक्का जाम हड़ताल। किसी तरह मैं धूल भरे ढीले-ढाले ठेले पर लिटाकर ले गया। लेडी डाक्टर ने देखते ही डाँटा, "यू ब्लडी फूल, यह क्या किया तुमने। मना करने पर भी नहीं सुना।" वह नब्ज आदि टटोल कर जाँच कर लम्बी नि:श्वास छोड़ती बाली, "जाओ अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर हो चुकी।" और वह छोड़कर चली गई-हमेशा के लिए छटपटाती, कराहती हाथ पटकती। नगेसर इतना बयान करते-करते रोने लगा फूट-फूट कर। सिसकते हुए प्रलाप करने लगा "मैं हत्यारा हूँ पापी हूँ, अपनी प्यारी पत्नी को मार डाला है। दगाबाज हूँ, बलात्कारी हूँ साहेब, खुदगर्ज जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता वह इस संसार में और किसका हो सकता है? मुझ बदबख्त पत्नीखोर को जो भी सजा मिलेगी वह कम होगी। मेरे पाप को संसार का कोई भी दण्ड धो-पोछ नहीं सकता। जानता हूँ। चाहे मुझे हंटर से पीटें, कोड़े लगाएँ, जूतों से मेरी रीढ तोड़ दें मेरे सिर का गुनाह हल्का न होगा। सिर्फ अपनी जोरू की नहीं गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान ले ली है। दो-दो गुनाह करनेवाले को कानून भले हो छोड़ दे, अपने को कैसे माफ कर सकता है कोई अपराधी।"

नगेंद्र प्रताप सोच की अंधी खाई में कूद पड़ा। उसकी नजरें नगेसर के बदहवास घबड़ाये चेहरे से हटकर इधर-इधर फिसलने लगीं। फिर उसने आँखें बंद कर लीं पर दिमाग में अनेक सवाल उठते और लुप्त हो जाते। क्या नगेसर का अपराध इतना संगीन है कि उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन कबूल करता है कि जो कुछ किया है वह एक भयंकर गुनाह है। वह दण्ड की माँग भी कर रहा है, फिर क्यों न कड़ा दण्ड दे दिया जाय। पत्नी के वियोग में तो पागल होता जा रहा है। सजा न मिलने पर आत्म दंश से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या भी तो कर सकता है, रेल के पहिए के नीचे जाकर, गले में फंदे लगाकर या नदी में छलांग मारकर तब मासूम बच्चों का क्या होगा।

इंस्पेक्टर के शादी के कितने साल गुजर चुके थे। संतान का सुख देखने के लिए उसकी पत्नी किरण ओर खुद-दोनों ने मन्नतें मानीं, गंगा के वर्फिले जल में डुबकियाँ लगाई, फकीरों से सलाह ली, झाड़-फूँक करवायी-पर सब बेकार। वह कई मंदिर-मठों में भी ले गया। बाबाओं की भभूत भी फँकवायी। मगर गोद में संतान-सुमन न खिल सका। उसे लगा, मैं

नगेंद्र प्रताप सोच की अंधी खाई में कूद पड़ा। उसकी नजरें नगेसर के बदहवास घबड़ाये चेहरे से हटकर इधर-इधर फिसलने लगीं। फिर उसने आँखें बंद कर लीं पर दिमाग में अनेक सवाल उठते और लुप्त हो जाते। क्या नगेसर का अपराध इतना संगीन है कि उसे सजा दिलवाई जाए।

आज तक बाप न बना और यह अहमक ड्राइवर-दो-दो बच्चों का बाप उसके मन में हीनता के कांटे चुभने लगे। अपनी किस्मत को कुछ पलों तक कोसने के बाद बुझे स्वर में बोला, "बताओ नगेसर, आजीवन कारावास हो सकता है........ फाँसी का फंदा भी गले में पड़ सकता है............ तब अपने दोनों बच्चों के लिए क्या इंतजाम करोगे? कौन पालेगा उन्हें या यतीमखाने में डालोगे?

नगेसर मौन रहा। कोई जवाब न सूझा उसे। वह एक टक देखता रहा पुलिस अधिकारी के रोबीले चेहरे को........।

"तुमने दो की जान ले ली, अब फूल से बच्चों को भूख-प्यास से तड़पा कर मारना चाहते हो?"

"साहब ठीक कह रहे हैं। दो नन्हीं जान की कौन देखभाल करेगा? दाने-दाने को मुहताज न हो जायेंगे बच्चों के नानी-नाना या मामी-माम, फुआ, मौसी.............. सबने नाता तोड़ लिया। लव मैरेज जो किया था........... कोई नहीं है इस संसार में मेरे सिवा तो...........कौन पालन-पोषण करेगा उन मासूमों को"

नगेसर टुकुर देखता रहा, उसके सूखे होठों से कोई शब्द न फूटा।

"दौलत सिंह, इस कम्बख्त की हथकड़ी खोल दो। मेरे पास लाओ।" नगेंद्र प्रताप ने आदेश दिया। हथकड़ी के हटते ही नगेसर दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो गया। नजरें झुकी रहीं।

इंस्पेक्टर समझाने के स्वर में कहने लगा। "जो सजा दे रहा हूँ वह प्राण-दण्ड से भी बड़ी है।"

"तो, तुम फौरन सीधे अस्पताल जाओ और शव का दाह-संस्कार कराओ बच्चों के लिए एक अच्छा बाप अपने को साबित करो। अब माँ की कमी भी तुम्हें ही पूरी करनी है दुलार-प्यार से पाल-पोस कर उन्हें अच्छा इंसान बनाओ। अगर मालूम हुआ कि तुम अपना फर्ज नहीं निभा रहे हो तो, गदहे, तुम्हारी खाल खिंचवा कर इसी थाने के कोने में टँगवा दूँगा। और सुनो, तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, रखैल भी नहीं रखोगे, कोठे की ओर न ताकोगे।"

"जी हुजूर।" कह नगेसर ने लम्बी साँस छोड़ी। लगा कि साहब सज़ा कहाँ दे रहे हैं? अनाथ बच्चों के बाप को फर्ज बता रहे हैं। माँ को मार कर टुअर-टापर कर दिया, अनाथ।

पुलिस अधिकारी ने दौलत सिंह की ओर मुखातिब होकर आदेश दिया "इस पर कड़ी नजर रखो। यह पगला गया है .... कुछ भी कर सकता है।" आगे-आगे नगेसर चला, पीछे-पीछे दौलत सिंह अंधेरी रात में।

"जी साहेब।"

"तुम हर हफ्ते थाने में हाजिरी दोगे बताया करोगे कि बच्चे कैसे हैं।"

"आऊँगा साहेब।"

"वह मुड़ गया। कुछ ही मिनटों में। नीम अंधेरे में सिपाही दौलत सिंह के साथ खो गया वह अपराधी।

संपर्क- 'नारायणीयम', 227,पंडित वाड़ी,
देहरादून-248007(उतरांचल)

स्वतंत्र भारत में सरकारी कोष एवं सरकारी पद का दुरुपयोगः एक अहम सवाल

❑ सिद्धेश्वर

आजादी के बाद भारत ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया उसमें ढाँचे को तोड़ने की कल्पना की गयी थी और इससे गतिशीलता एवं निरंतर मंथन की उम्मीद बंधी थी, लेकिन यह उम्मीद बेबुनियाद साबित हुई। क्योंकि साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा निर्मित और गठित भारतीय प्रशासन आज की परिस्थिति में जनता के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार नहीं दिखता। देश में नई व्यवस्था तो आई किन्तु लोकतंत्र के मुलम्मे के नीचे बाबूतंत्र पसर गया और अब तो वह लूटतंत्र में तब्दील हो गया। वस्तुतः लूट पद्धति (Spoils Systems) परंपरा से ही शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक आकृति रही है। आज से लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व 1882 में अमेरिका के सिनेटर William L.Marcy ने कहा था- "To The victor goes the spoils of the enemy." आज के दौर में उसी Spoils को Patronage कहा जाता है। यानी लूट के माल (spoils) को शासकों द्वारा संरक्षण दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग एक दशक तक तो सत्ता पर बैठे हुकमरान तथा प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने सरकारी कोष तथा अपने पद का दुरुपयोग इसलिए नहीं किया कि राजनीति में आए लोगों के मन में समाज व देश के प्रति सेवा की भावना थी किन्तु बाद के वर्षों में वह भावना धीरे-धीरे लुप्त होती गयी और अब तो स्थिति यह हो गयी है कि पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है।

दरअसल भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग है जिसकी उत्पत्ति वित्तीय व्यभिचार से होती है। वित्तीय व्यभिचार वह है जहां सरकारी नौकर न केवल नागरिक व्यवस्था को ठगने के लिए साठगांठ कर लेते हैं बल्कि राजस्व कोष का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी राजस्व कोष जनता की गाढ़े पसीने की कमाई से उगाहे गए करों से बनता है जिसका किसी भी जनसेवक को दुरुपयोग करने का हक हासिल नहीं है। एक लोकतंत्र में सरकारी कोष किसी व्यक्ति या दल की निजी संपत्ति नहीं हुआ करते। किन्तु आज भौतिकता के आकर्षण और शीघ्र ही अत्यधिक समृद्ध होने की बढ़ती लालसा ने नैतिकता, ईमानदारी और खून-पसीने की कमाई से निर्वाह करने जैसे सिद्धान्तों और उच्च आदर्शों का आज बीते युग की चीजें बना दी गयीं हैं। इसी से राजनीति, प्रशासन व लोक व्यवहार आदि जीवन के प्रायः हर क्षेत्र में सरकारी कोष एवं सरकारी पद के दुरुपयोग का मामला बढ़ता जा रहा है। अनेक सरकारी एवं सार्वजनिक विभागों में तो यह इतनी गहरी जड़ जमा चुका है कि बिना इसके वहां कोई काम होने की आप कल्पना नहीं कर सकते। व्यवहारिक रूप से सभी स्तरों पर कर्तव्यों के पालन में अध्यवसाय और ईमानदारी के दर्शन दुर्लभ हैं। कुशल प्रशासन के लिए सरदार पटेल द्वारा उल्लेखित अध्यवसायी और ईमानदारी अब आवश्यक नहीं रह गए हैं। जनता के पैसों पर ऐश भोगनेवाले सरकारी अधिकारी व राजनेता जब जनता का ही खून चूसने पर आमादा हो गया हो तो बेचारी जनता करे भी क्या। आज राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों के रोम-रोम में सरकारी कोष एवं पद का दुरुपयोग घर कर गया है। प्रायः हर बड़े घोटाले में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं उच्च पद पर बैठे नौकरशाहों का हाथ होता है। यह तो बात की नजाकत है कि किसी का नाम सामने आता है और किसी का नहीं। आज मंत्री से संतरी तक और चपरासी से अधिकारी तक सरकारी कोष एवं पद के दुरुपयोग में संलिप्त हैं। यह हमारे गिरते राष्ट्रीय चरित्र का परिचायक है जो भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। जबतक राजनीति में विशेषकर सत्ता के शीर्ष पदों पर चरित्रवान लोग नहीं होंगे तबतक इस संक्रामक और चरित्र संघातक रोग का निवारण नहीं हो सकता। आज जरूरत इस बात की है कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर से ऐसे प्रयास हों कि लोगों में भौतिकता के व्यामोह के बजाए चारित्रिक मूल्यों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव पनपे। ऐसा होने पर ही भारत का भविष्य और राष्ट्रीय चरित्र समुज्ज्वल हो सकता है।

भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए सरकार द्वारा सैकड़ों कानून तथा योजनाएं बनाई गयीं, किन्तु आमजन की हालत आज जस की तस है। आखिर क्यों? कारण स्पष्ट है कि उन कानूनों को न तो ठीक से लागू किया गया और न ही उन योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित किया गया। नतीजा सामने है। हजारों करोड़ रुपयों का वारा-न्यारा होने के बावजूद जनता दो जून की रोटी के लिए तरस रही है और दूसरी ओर लाखों टन अनाज सरकारी गोदामों में सड़ रहे हैं। राष्ट्र अपने ही द्वारा निर्धारित उद्येश्यों एवं लक्ष्यों को हासिल कर पाने में सफल नहीं हो पाया।

यह बात भी नहीं कि पिछले 50-55 साल में हमने कुछ उपलब्धियाँ हासिल नहीं की किन्तु इन वर्षों के दौरान राष्ट्र के रूप में हम इससे भी ज्यादा प्रगति कर सकते थे। कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्हें हमसे बाद में आजादी मिली किन्तु अपनी इच्छाशक्ति और साहस के सहारे प्रगति के जिस शिखर पर वे खड़े हैं उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आखिर कारण क्या है? भारत में लोकतंत्र पिछले पच्चीस- तीस वर्षों से धीमें-धीमें एक लूटतंत्र में बदलता गया है। इस तंत्र का एक पहलू है-एक अदद संविधान, पर उसका अमल नहीं हो पाता क्योंकि राजनीति पर काबिज वर्ग और प्रशासन एवं अर्थजगत पर काबिज उस वर्ग की शाखाएं-प्रशाखाएं नहीं चाहतीं कि अमल हो। हम लोकतंत्र में अनैतिकता को लेकर हल्ला भले ही करें, पर सच तो यह है कि हमारा संविधान धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और हमारा भूल अधिकार हमसे चुपचाप छीने जा रहे हैं। नेता के हाथों पार्टी, पार्टी के हाथों संविधान और संविधान के हाथों लोकतंत्र के भाग्य को

सौंपकर हम वैसे ही आश्वस्त हैं जैसे कभी मौत के हाथों जीवन सौंपकर नचिकेता हुआ था। आज अगर 37 प्रतिशत भारतीय कंगालियत की जिंदगी जी रहे हैं और शेष भले मतदाताओं के भरोसे की सरकारों की विकास नीतियों से कंगालों, बेरोजगारी, हिंसा, पारिवारिक बिखराव, संस्कृति के अवमूल्यन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या इसे ही लोकतंत्र की सफलता का पैमाना माना जाएगा?

अब तो स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि सारे देश में लुभावनी और लोकप्रिय योजनाएं प्रारम्भ करने की होड़ में स्पर्द्धात्मक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के ख्याल से राजकोष से सीधे धन निकालकर, यहाँ तक कि तिजौरियाँ खाली होने पर ऋण लेकर सस्ते दामों पर चावल, गेहूँ देने अथवा बसों के किराए में कमी करने, ऋणों या बिजली बिलों की माफी करने जैसी आकर्षक योजनाएं लागू की जा रही हैं जिसका तात्कालिक लाभ भले ही हो, यह दीर्घकालिक नहीं हो पाता और सच तो यह है कि ऐसी योजनाओं को आसन्न चुनावों में लाभ उठाने के ख्याल से ही ज्यादा किया जाता है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े लोगों के यहाँ वर्षों से लम्बित 60 हजार करोड़ रुपये की बकाए राशि की वसूली नहीं हो पा रही है और दूसरी ओर संसाधन जुटाने के लिए निम्न एवं मध्य आय वर्ग के लोगों पर तरह-तरह के कर का बोझ डाला जा रहा है। इस प्रकार राष्ट्र महज 10-15 फीसदी लोगों की सुख-सुविधाओं में सिमटकर रह गया है। सामाजिक और राजनीतिक संस्कार इतनी तेजी से बिगड़ रहा है कि यदि इन पर काबू नहीं पाया गया तो दस-बीस साल बाद संसद तथा विधानसभाओं में चुनकर आए लोग उसके भवन की एक-एक ईंट उखाड़कर अपना घर बनवा लेंगे क्योंकि प्रधान मंत्री से लेकर सरकार के छोटे मुलाजिम तक सरकारी कोष एवं पद का दुरुपयोग कर सन्देह के घेरे में आने लगे हैं भले ही वे साक्ष्य के अभाव में अदालतों से बरी हो जाएं। हर्षद प्रकरण हो या गोल्ड स्टार, प्रतिभूति, चीनी या दूरसंचार जैसे घोटाले हों या चारा घोटाला सबों में सरकारी कोष एवं सरकारी पद के दुरुपयोग से राजनेता तथा नौकरशाहों के दामन दागदार हो चुके हैं। हवाला कांड से यह साबित तो हो ही गया कि भ्रष्टाचार ने भारतीय सत्तातंत्र की गंगा को ही नहीं, बल्कि गंगोत्री तक को अपने कब्जे में ले लिया। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नौकरशाहों व नेताओं ने मिलकर इस देश के समस्त संस्थानों पर कब्जा जमा लिया और उसके कोष को जमकर लूटा तथा अपने पद का खुलकर दुरुपयोग किया और कर रहे हैं।

जनता भुनभुनाती, कलपती तो जरूर है लेकिन वह दबाव नहीं बना पाती जिससे चिहुँककर नेतागण और नौकरशाह तथा सरकारी अमला हरकत में आए। सतत निष्काम, तर्क विमुख, निठल्ला और चिड़चिड़ा यह तंत्र प्रगति का विरोधी और नएपन का घोर आलोचक है। पिछले कुछ सालों में न्यायपालिका ने जो भूमिका निभाई है उससे न्यायपालिका पर आम जनता का भरोसा बढ़ा है किन्तु जिस तरह से एक बेईमान को एक ईमानदार सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है, उसी प्रकार आज कार्यपालिका की आँख में न्यायपालिका की भूमिका किरकिरी बनी हुई है। यही कारण है कि कार्यपालिका ने कई जगहों पर न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाई को कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कहकर आलोचना की है।

आप मानें या न मानें भारत की जनता भले ही अभी चुप्पी साधे हो, वह तमाम तरह के सार्वजनिक वक्तव्यों को आखिर में जाकर नेताओं तथा प्रशासकों के व्यक्तित्व से जोड़कर देखती ही है। ऐसा नहीं चल सकता कि आप खुद एक ओर शब्दों के धरातल पर शुद्ध मानवीय और नैतिकतावादी बनें और दूसरी ओर अपने व्यवहारिक जीवन में उनका त्याग भी करते जाएं और जनता आपको हाथों-हाथ लेती रहे। ऐसा होता तो हाल में हुए लोकसभा, राज्यों के विधानसभा तथा दिल्ली नगर निगम के चुनावों में सत्ताधारियों की इतनी मिट्टीप्लीद नहीं होती।

कोई भी राष्ट्र अपने भविष्य की दृष्टि के बिना जीवित नहीं रह सकता किन्तु वर्तमान दौर में भारत में इसका अभाव दिखता है। आज कोई भी उसके कारणों में जाने को तैयार नहीं। वस्तुत: हमारा देश उस स्वरमाधुर्य (Melody) से ग्रस्त है, जिसमें उसने उसे नियति मान रखा है। यही वह समय है जब विचारवान नागरिक को आगे बढ़कर उन शक्तियों के विरूद्ध आवाज उठाने की जरूरत है जो हमारी लोकतांत्रिक बनावट को कमजोर करने पर तुली है। पर क्या विचारवान लोग ऐसा कर पा रहे हैं? यह सवाल आज हम सबों के समक्ष खड़ा है। अभी कुछ वर्ष पहले एक खबर छपी थी कि गुजरात के एक बड़े अफसर ने एक और उँचे ओहदे पर पदस्थापन खरीदने के लिए स्थानीय उद्योगपतियों से ऋण लेकर पचास लाख रुपए जुटाए, पर सौदा न पटने पर वह रुपए वापस कर दिए गए। इसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में बड़े जोर-जोर से हुई। यह घटना सिद्ध करती है कि हमारे देश में व्याप्त गहरे नैतिक शून्य के बीच बेशर्म अनैतिकता एक अज़ीब साहस का बाना धारण किए हुए है। बिडम्बना यह है कि इस अनैतिकता को व्यक्तिगत रूप से अपने लिए एक चुनौती मानने के बजाए हम मध्य वर्गीय लोग उसकी सराहना में सर हिलाने लगते हैं। बल्कि सच कहा जाए तो स्वातंत्रयोत्तर काल में मिली मलाई सुविधाभोगीतंत्र के हम भी एक हिस्सा हो जाते हैं। आखिर भारत का भविष्य उज्ज्वल हो तो कैसे? भारतीय लोकतंत्र का वह परम गोपनीय तलघर हैं, जहाँ नकाबपोशों का एक गुट सरकारी कोष की गटरगंगा में नहाता-धोता दिन-रात तरह-तरह के निर्णय ले रहा है, पैसा जूटा और लूटा रहा है, शासन चला रहा है। देश का संविधान चाहे जो कहे इस तलघर का विधान एकदम अपनी लाइन पर चलता है। भारत के जागरूक नागरिकों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। जिसके हाथों अपने राष्ट्र का पतवार सौपते हैं उनके आचरण पर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय भावना से विमुख, घोटाले में लिप्त, अवसरवादिता व स्वार्थपरता में वशीभूत, सत्ता के भूखे भेड़िए, नैतिकता के शत्रु, आम आवाम की आँखों में धूल झोंक रहे भारत के राजनीतिज्ञों व प्रशासकों को आज बेनकाव करना समय का तकाजा है अन्यथा सुप्रसिद्ध चिन्तक **हेनरी जार्ज** का निम्न कथन सच होता चला जाएगा- 'when democracy becomes corrupt, the best gravitates to the bottom, the worst floats to the top and vide is replaced by the more vide.'

संपर्क- यू-207, शकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली-92

किसी से कहिएगा नहीं

❑ प्रो॰ राम भगवान सिंह

किसी से कहिएगा नहीं। मैं पहले ही आप से कह देता हूँ और एक याराना कसम देता हूँ कि आप मेरे राज को राज ही रहने देंगे। वैसे मुझे मालूम है, जमूरा अपने श्रोताओं को हर बार खेल का रहस्य दूसरों को न बताने की कसम देता है और लोग उसे रश्म समझ सिगरेट के धुएं की तरह उड़ा देते हैं। गोया कसम न हुई चुनावी वादा हो गया। या फिर कहें तो झूठे प्रेमी का प्रेमिका को किया गया रात का वादा जो सुबह होते ही ओस की तरह उड़ जाता है। पर,'रहिमन इस संसार में भांति-भांति के लोग'। मुझे मालूम है, शुद्ध घी-दूध की तरह विशुद्ध व्यक्ति, सौ नए पैसे वचन के पक्के, स्टेनलेस स्टील की तरह भरोसेमंद आज भी मिलते हैं और इसी संसार में। सोचिए न, तभी तो सोना बनानेवाली विद्या आज तक रहस्य बनी हुई है। जरूर ही पुराने जमाने में किसी सिद्ध महापुरुष ने किसी भरोसेमंद, आज्ञाकारी व्यक्ति को सोना बनाने का रहस्य बताया होगा और कहा होगा 'किसी से कहना मत'। और उस लकीर के लाडले ने मरते दम तक वह रहस्य किसी को बताया न होगा।

आप कहिए न कहिए, आपके मन के अंदर की बात मनौवैज्ञानिक भांप लेता है, आपके मन को भी नंगा कर देता है। और जब कुछ छिपता ही नहीं तो छिपाने की कोशिश क्यों की जाए?

उसी तरह मुर्दे को जिंदा करने का विज्ञान जाननेवाले गुरूघंटाल ने अपने शिष्य से कहा होगा 'यह गूढ़ विद्या अपने तक सीमित रखना। किसी से कहना मत।' और यह महाविद्या उस भूसा भरे दिमागवाले शिष्य के साथ सती हो गई। उसी तरह पशु-पक्षियों की भाषा समझने वाले महामानव सह-पशु पुंगव ने किसी को पशु भाषा शास्त्र इसी शर्त्त पर सिखाया होगा कि किसी से इसकी चर्चा न करना। आज उस अक्ल के अंधे और वचन के पूरे भोदूमल का ही यह परिणाम है कि पशु भाषा शास्त्र से सम्पूर्ण जगत अनभिज्ञ है। ऐसी अंधभक्ति, ऐसी आज्ञाकारिता भी भला किस काम की!

एक ने कह दिया 'किसी से मत कहना' और सुननेवाले ने उस बात को अपनी चिता के साथ अथवा अपनी कब्र के साथ जला दिया या गाड़ दिया सदा के लिए। वैसे लोगों का आज कोई नामलेवा भी नहीं है। इतिहास में एक भी पन्ना नहीं मिलता ऐसे रहस्यवादियों के बारे में। अलबत्ता रावण के भाई विभीषण का नाम आता है जिसने अपने बड़े भाई की नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य राम को बता दिया था। श्रीकृष्ण ने जरासंध को मारने का रहस्य बताया था और वे आज भी श्रद्धा और भक्ति के पात्र हैं। महर्षि नारद की लोकप्रियता का रहस्य सबका रहस्य उजागर करने के कारण है। आज भी कोई अपराधी अपने गिरोह का भंडाफोड़ कर सरकारी मेहमान बन जाता है और सिनेमा के हीरो के साथ उसका फोटो अखबार में छप जाता है।

आज के तनाव और कसाव भरे जीवन में आदमी क्या-क्या छिपाकर रखे! धरती में गाड़े हुए घन का भी पता आयकर विभाग वाले लगा ही लेते हैं। सिनेमा के सितारों और तारिकाओं के बाथ रूम में छिपाए हीरे जवाहरात तक उनकी नजर से नहीं बचते। इतना ही नहीं, आदमी की बात छोड़िए, पुलिस के कुत्ते तक हत्यारों को भी ढूंढ निकालते हैं। छिपता क्या है इस संसार में! खैर, खून, खांसी, खुशी तो छिपाए नहीं छिपती। आप कहिए न कहिए, आपके मन के अंदर की बात मनौवैज्ञानिक भांप लेता है, आपके मन को भी नंगा कर देता है। और जब कुछ छिपता ही नहीं तो छिपाने की कोशिश क्यों की जाए? मुझे ख्याल आता है एक डाक्टर साहब का जो मरीज के मर्ज के साथ-साथ उसके आहार-व्यवहार को भी अपनी एक्स-रे की नजर से देख लेते थे। उनका कहना था कि वे किसी को भविष्य में होनेवाली बीमारी की भी जानकारी रखते हैं। एक बार एक व्यक्ति को जब बुखार हुआ और डाक्टर साहब ने हैजा की दवाई दी तो मरीज ने पूछ ही लिया,'बच्चू, तुम बताओ या न बताओ मैं तुम्हारे बाल देखकर जान गया हूँ कि तुम्हे हैजा होनेवाला है।' पर मरीज न माना और दवा की जगह अपना प्रिय नाश्ता झाल-मूढ़ी खाया और घर वालों से कह दिया कि डाक्टर साहब को कहना नहीं। जब डाक्टर ने मरीज का हाल सुना तो नब्ज देखते वक्त मरीज की खाट के नीचे एक उड़ती नजर डाली और मूढ़ी के दाने देख बुलन्द आवाज में कहा कि तुमने आज जरूर मूढ़ी खायी है। मरीज सकपका गया और चुप रहा। वह साधारण बुखार का रोगी हैजे की सूई और दवा झेलता रहा। अगले दिन जब बुखार न उतरा तो फिर डाक्टर साहब ने मरीज की खाट के नीचे नजर दौड़ाई और एक बिल्ली को देख कहा,'तुम्हारा बुखार कैसे उतरेगा, तमने तो आज बिल्ली खायी है।'

यह मानव मात्र का स्वभाव है कि वह अपनी कमजोरियों का पर्दाफाश होने देना नहीं चाहता और छिपाने के सभी प्रयास करता है। पर यह भी मानव मात्र का स्वभाव है कि उसे रहस्योद्‌धाटन में अलौकिक आनन्द मिलता है। बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द होय या औरत, बात पचाना आसान नहीं। इस संसार में जहाँ कंकड़-पत्थर, लोहा-लक्कड़, शीशा-शोला, पेट्रोल-अलकोहल हजम करने वाले लोग तो हैं पर बात पचानेवाले शायद नहीं। तभी तो वाटरगेट का रहस्य, परफ्यूमो केस का राज, यहाँ तक कि बोफोर्स, प्रतिभूति घोटाला और चारा घोटाला

भी न स्वदेशी जन ही पचा सके और न सात समुन्दर पार विदेशी जन ही। निष्कर्ष यह कि बात की बदहजमी सार्वभौमिक है। आज अखबारों का क्या काम है? पर्दे के पीछे झाकना, घुघंट के अन्दर देखना, सफेद कपड़ों में सजे-धजे व्यक्ति की नग्नता तलाश करना, बड़े लोगों की छोटी हरकतों की टोह लेना और बिगुल बजाकर, डंका पीटकर सबसे कहना। राज को राज न रखने की जैसे इन्होंने कसम खा ली है।

बचपन से ही हर किसी में भांडा फोड प्रवृति काम करने लगती है। कल ही मैनें अपनी छोटी बेटी से कहां, देखो मुझे विचार दृष्टि के लिए रंगीला लेख तैयार करना है, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। किसी का फोन आए तो कह देना, पापा घर पर नहीं हैं। और कुछ ही देर बाद फोन आया और बेटी ने जवाब दिया,'हलो, पापाजी कह रहे हैं वे घर पर नहीं हैं।' और नतीजा हुआ, गुप्ताजी तुरंत साकार आ धमके दो दोस्तों के साथ और मैं भीतर ही भीतर चीख उठा, मुझे मेरे मित्रों बचाओ'। राजदारी के माले में नौजवान भी भरोसे के काबिल नहीं। उसी दिन मिश्रा जी बता रहे थे, उन्होंने अपने पड़ोसी को कहा था,'देखो मैनें फोन लगा लिया है, यह बात किसी से कहना मत'। और दोपहर होते-होते बधाई देनेवालों और फोन आजमानेवालों का ताता बंध गया। कहने लगे, भई, आप तो छिपे रूस्तम निकले। मुहल्ले में एसटीडी फोन लग गया और अपने दोस्तों को कहा तक नहीं। यदि भरत भाई नहीं बताते तो हमलोग अनजान ही रहते। कइयों ने उनका फोन नम्बर नोट कर अपने रिश्तेदारों को भेज दिया इस आग्रह के साथ कि मिश्रा जी, मेरा फोन आए तो कृपया मुझे बुला लीजिएगा।

यह मानव मात्र का स्वभाव है कि वह अपनी कमजोरियों का पर्दाफाश होने देना नहीं चाहता और छिपाने के सभी प्रयास करता है। पर यह भी मानव मात्र का स्वभाव है कि उसे रहस्योद्धाटन में अलौकिक आनन्द मिलता है।

बूढ़े-बुजुर्ग को कोई राज सौंप कर कोई भी व्यक्ति निश्चित नहीं बैठ सकता। बूढ़े-बुढ़ियाँ राज तो चला सकते हैं पर राज की बात पचा नहीं सकते। उन्हें अन्न की बदहजमी के साथ-साथ बात की भी भारी बदहजमी होती है। एक दिन मैनें माले दादा से जरा मुहल्ले के सिंह जी की जवान साली के बारे में चर्चा क्या की की माले दादा ने सब को कह दिया कि दीपक वर्मा का बेटा सिंह जी की साली से अन्तरजातीय विवाह कर रहा है। हलांकि मैनें माले दादा को कहा था कि देखिए, अभी किसी से कहिएगा नहीं। शाम होते न होते मेरे घर में जैसे जेल की पगली घंटी बज गई और मुझे पकड़ने के लिए पास-पड़ोस के नौजवानों का जत्था निकल पड़ा। मैं इस अचानक, अप्रत्याशित वारंट देख घबरा गया और घर में युद्ध बंदी बनकर जब हाजिर हुआ तो एक ओर पापा की गरज और दूसरी ओर मां की आँखों की बारिश देख मैं तो जीते जी मर गया। उधर दूसरे दिन से सिंह जी की साली का दीदार होना बंद हो गया। पता नहीं, माले दादा ने इर्ष्या से ऐसा किया अथवा मुंह में दांत न होने की वजह से बात अधखुले मुंह से फिसल गई।

वैसे बात का प्रचार अथवा प्रसारण व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है। हमारे एक मित्र हैं, बनर्जी बाबू जिन्हें हम स्वभाव के आधार पर भोपू बाबू कहते हैं। दो दिन पहले कहने लगे, 'सिंह साहब, मेरी जनाना है न , एकदम चंडी की अवतार है। कल हम सौ ग्राम के बजाए दो सौ ग्राम मछली लाया तो हम को बहुत डांटा और नौकर के सामने डांटा। हमारा नौकर डरकर भाग गया। मगर आप किसी से कहना नहीं।' पर उनके दुःख का भार एक राउन्ड चर्चा से हल्का न हुआ तो उन्होंने सुनाया दत्ता बाबू को, 'दीपंकर, अब तुम ही बोलो, हम क्या करें। आज मेरी वाइफ हमको इतना डांटा कि उसको देखकर हमारा नौकर भाग गया। मगर किसी से कहना मत।' यही बात उन्होंने अपने ऑफिस के बड़ा बाबू से भी कही, 'बड़ा बाबू, हमारा क्या कुसूर, हमारा नौकर हमको बीवी की डांट खाते देख भाग गया तो हमको बीवी बोलती है कि हम नौकर को भगा दिया। आप कुछ कीजिए, बड़ा बाबू। और देखिए, किसी से कहिएगा नहीं।' पता नहीं, बड़ा बाबू ने क्या कहा अथवा क्या नहीं कहा, पर दूसरे दिना ऑफिस में सबने पूछा, 'बनर्जी बाबू, सुना आपकी वाइफ भाग गई और नौकर आपको बहुत पीटा, बहुत बुरा हुआ। पर ऐसी बात किसी से कहिएगा नहीं।'

संपर्कः न्यू रोड, लोहरदग्गा, झारखण्ड

भष्टाचार

❑ रजनीश कुमार

बस में या रेलों में
क्रिकेट के खेलों में
भरे पड़े हैं भ्रष्टाचारी
क्या करे जनता बेचारी।

अगर कराना है रजिस्टेशन
या फिर कराए ऐडमीशन
डाकखाना या हो पुलिस स्टेशन
सभी माँगते हैं कमीशन।

राजनेताओं की कुर्सी पर
बैठे हैं जो भ्रष्टाचारी
दिया उन्होंने जनता को
भूख, गरीबी और बेकारी

झूठ, बेइमानी और मक्कारों
ये हैं भ्रष्टाचार के रंग
किया जिन्होंने दुनिया को
आज बेकार और बेरंग।

संपर्क- वर्ग- सप्तम
संत जेवियर स्कूल,
पश्चिमी गांधी मैदान
पटना-

सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

❑ अरुण कुमार भगत

मानव स्वभाव से जिज्ञासु होता है। उसमें आस-पड़ोस की चीजों को जानने की सहज प्रवृत्ति होती है। जानने की यह स्वभाविक प्रक्रिया न केवल आस-पास और अपने व्यक्तिगत कार्यों तक ही सीमित रहती है, अपितु यह सामाजिक महत्त्व, लोकमंगल और लोककल्याण के निमित्त सार्वदेशिक और सार्वजनीन हो जाती है। सूचना की गोपनीयता और जानने की स्वतंत्रता के बीच लंबे समय से रस्साकस्सी चलती आ रही है। शासक-वर्ग राष्ट्रहित के नाम पर सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है तो राष्ट्रहित का न्यासी होने की हैसियत से लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ पत्रकारिता उसका पर्दाफाश करता है। पत्रकारिता के जन्मकाल से ही इसकी अस्मिता और अस्तित्व को सीमा-रेखा में कैद करने की कोशिश की जाती रही है। संकट के इसी दौर से गुजर कर पत्रकारिता मुखर और प्रखर हुई है।

संविधान के अनुच्छेद 19 'ए' में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख तो है, किंतु पत्रकारिता के लिए कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है। संविधान के इसी अनुच्छेद के आधार पर अपने देश में प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रही है। यह सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ पत्रकारों ने ग़लत प्रयोग किया, किंतु भारत में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान भी नहीं है। प्रेस-परिषद् की स्थापना इस अवधारणा के अंतर्गत हुई थी कि पत्रकारिता के आचार के उल्लंघन के विरूद्ध सरकार द्वारा नहीं अपितु स्वयं प्रेस के आंतरिक अभिकरण द्वारा आत्मनियंत्रण की प्रणाली विकसित हो, किंतु वह भी कामोबेश विफल ही रही है। स्वीडेन के 'कोर्ट ऑफ ऑनर' को विश्व का सबसे पहला प्रेस-परिषद् माना जाता है, जिसकी स्थापना सन् 1916 में हुई थी। आत्मनियामक इस तंत्र का विकास बाद में धीरे-धीरे अन्य देशों में हुआ।

अंगरेज सरकार ने भारत में सन् 1923 ईस्वी में पारित 'शासकीय गुप्त बात अधिनियम' के अंतर्गत सूचना पाने के नैसर्गिक अधिकार को कानून के भीतर लेकर आम लोगों को इससे बंचित किया। अधिनियम की धारा 3 जासूसी और गुप्तचरी से संबंधित है, जबकि धारा 5 का संबंध उन दस्तावेजों के प्रकटीकरण से है, जिन्हें सरकार गुप्त मानती है। लोकतांत्रिक समाज की यह माँग है कि सरकार के कृत्यों की जानकारी यदि समाज चाहे तो उसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार के कार्यों में यदि भ्रष्टाचार नहीं है तो लोकहित में उसे उजागर होना चाहिए। पारदर्शिता होनी ही चाहिए, किंतु सरकार धारा 5 का उपयोग कर इसे उजागर नहीं करने देती है। विकसित और उन्नत लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

भारतीय संविधान में राजकाज चलाने के लिए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है। विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों-क्रियाकलापों में पारदर्शिता है, किंतु कार्यपालिका में पारदर्शिता का सर्वथा अभाव है। लोकसभा और विधानसभा में चर्चा और नीति-निर्धारण तथा अदालतों की बहस को संप्रेषित करने का प्रेस को संवैधानिक अधिकार है, किंतु कार्यपालिका के अधिकतर निर्णय गोपनीय होते हैं। सूचना पाने के अधिकार की माँग ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। हाँ, इस संदर्भ में एक बात अवश्य है कि प्रतिरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गोपनीयता बनी रहनी चाहिए।

गत् वर्ष केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की थी कि सूचना के अधिकार को शीघ्र ही कानूनी जामा पहनाया जाएगा, किंतु कार्य को यथाअपेक्षित गति नहीं मिल सकी। लंबे समय के बाद 25 जुलाई, 2000 ईस्वी को सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक संसद में पेश किया गया किंतु वह आज तक लंबित विधेयकों की सूची में पड़ा है। विभिन्न कार्यालयों में इसे कार्यरूप देने की तैयारी किए बिना इसकी सार्थकता संदिग्ध है।

ज्ञातव्य है कि इसे लागू करने के बाद जनता को हर तरह की जानकारी अधिकृत रूप से मिल सकेगी। यह सुचना का युग है। इसमें किसी को भी सूचना पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, किंतु इस अधिकार की ओट में पीत पत्रकारिता को प्रश्रय देना भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

अभी हाल में 9 जुलाई को दिल्ली में संपन्न सूचना के अधिकार एवं भ्रष्टाचार मुद्दे पर गोष्ठी में मुख्य सतर्कता आयुक्त वी०एन० विट्ठल ने कहा कि "कानून तोड़नेवालों को कानून बनानेवालों के पद पर नहीं रहने दिया जा सकता। देश से तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक गोपनीयता कानून मौजूद है।" समारोह में उपस्थित प्राय: सभी वक्ताओं ने सूचना के अधिकार का समर्थन किया और माना कि भ्रष्टाचार के मूल में यह कानून है। डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि कानूनी रूप से ऐसी कोई बाधा नहीं है कि जिससे सूचना के अधिकारवाले इस बिल को पास नहीं किया जा सके।

ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी विलियम बोल्ट्स ने सन् 1767 ईस्वी में कलकत्ता के कांउसिल हाऊस पर कंपनी की गोपनीय सूचनाओं से संबंधित एक सूचना चिपकाई थी, जिसे पत्रकारिता का श्रीगणेश माना जाता है। तब इस कृत्य के लिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोपभाजन बनना पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी हिक्की ने 1780 ईस्वी में मुद्रित रूप में चार पृष्ठों का अखबार निकाला जिसमें कंपनी के कुकृत्य का भंडाफोड़ किया, जिसके कारण उन्हें जेल के सीखचों में यातनाएँ भोगनी पड़ीं। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए अँगरेज के शासनकाल में स्टेच्यूटरी रेगुलेशंस, जनरल ऑडर, वर्नाकूलर प्रेस एक्ट आदि अनेक अंकुश लगाए, किंतु पत्रकारिता की जुबान को बंद नहीं कर सके। 1975 ईस्वी में आपातकाल के दौरान भी अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया था, जिसे शाह कमीशन ने भी रेखांकित किया।

इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना पाने के अधिकार को बार-बार कुचलने का प्रयास किया गया, किंतु शासन-वर्ग असफल रहे। इस संघर्ष-गाथा का आक्षरिक साक्ष्य ही पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास है।

संपर्क- बी/5 प्रेस एनक्लेव
साकेत, नई दिल्ली-17

दो क्रांतिकारी कविताएँ

मुझे ईसा का क्रास मत बनाओ

❑ डॉ० हेमराज सुन्दर

मुझे तुम्हारे इन गंधहीन पुष्पों से
डर लगने लगा है।
मैं इन श्वेतमालाओं के भार से
दबा जा रहा हूँ।
मैं इस नीरस भक्ति के मंत्रों से
तंग आ गया हूँ।
तुम्हारे कर्णकटु घड़ियालों की ध्वनियों ने
मेरे कानों के पर्दे चीर दिए हैं
तुम्हारी निर्जीव धूपबत्तियाँ
मेरी आँखों की ज्योति ले गयी हैं
तुम्हारी भावना-शून्य पूजा के थाल में
मेरा हृदय होम हो गया है।

मेरी खामोशी
और
एकाकीपन
मेरी शवयात्रा के लिए काफी हैं!!
देवत्व और गुरूता
मुझे नहीं चाहिए
जन्मजात दर्द के साथ
किसी और नए गम का
गठबंधन न करो।
मेरे प्रशंसको
मेरे हितैषियो
मेरे श्रद्धालुओ
मेरे दोस्तो-
किन्तु मित्र! उससे भी कठिन होता है...........
अपने चारो ओर बिखरे
दुख-दर्द को देखकर चुपचाप सह जाना
और
अपनी ही आकांक्षाओं को
अपने ही हाथों....................
आहुति दे देना......................।

प्रजातंत्र रो रहा

मर चुकी इंसानियत
हँस रही हैवानियत
भूख से तड़प-तड़प
प्राण मानव खो रहा।
पनप रहा एक तंत्र
प्रजातंत्र रो रहा।।

नहीं अब गरीबों की सुनवाई कोई
नहीं अब बेबसों पर दया-दृष्टि कोई
नहीं अब करों को नौकरी कोई
नहीं अब मरतों को दवा कोई
नहीं अब शिक्षा की कद्र कोई
नहीं अब उपलब्धियों की गरिमा कोई!

और ये ही विषमताएँ लिए विषैले
लोग दिख रहे हैं तत्पर
लाचार-बेबस और बे-खबर!

रहना यहीं नहीं है शाश्वत
रहने को स्थान अनेक हैं!
तुम इस असमानता को मिटा दो(?)
आज खुदगर्ज इंसान के हाथ
बाण और संधार अनेक हैं।

संपर्क: लेक्चरर, हिंदी विभाग,
महात्मा गाँधी संस्थान,
मोका, मॉरिशस

वह दिन कैसा होगा..........?

❑ डॉ०मधु धवन

वह दिन कैसा होगा बन्धुओ!
जब
धरा स्वर्ग बनेगी
ममता-समता बन पतवारें
जीवन-नैया पार करेगी..........
जब
सब मिलकर बाटेंगे
अपने सुख-दुख आपस में
गंगोत्री-सा भावस्रोत
सदा बहेगा मनधरा पर
अपनत्व की बन
शीतल अमृतधारा
जब
मानव का अस्तित्व बनेगा
भूमण्डल हित ऐश्वर्यशाली
भेदभाव का जाल काटकर
जड़-चेतन को पुलकित करनी
बहेगी स्वच्छ प्रेम की
हवा मदमाती
जब
विश्व से मिटेगी आतंक
भय भस्म होगा
साहस-भट्टी में
कण-कण में निर्भय बजेगा
शान्ति-सकून का बस डंका।
जब
प्रेम-भावना लेकर
श्रेय-पथ पर साथ चलेंगे
स्वार्थ-भावना परे झटक
बस लोकोपकार करेंगे।
जब
एक चेतना जनगणमन की
सूर्य बन चमकेगी
ऊँच-नीच का तम मिटेगा
चेतन-प्रकाश होगा..........
जब
काया-माया के भौतिक रूप
नहीं लुभाएँगे मन को
आत्मज्योति की ज्योत्स्ना
सेवा संकल्प करेगी.............

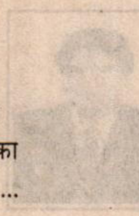

जब
एक ब्रह्म है
व्याप्त जगत् में
जनमन में भाव यह जगेगा
जीवन-मूल्यों की ऊँचाई का
सम्पूर्ण रूप पनपेगा.............
तब
जप-तप-त्याग-दया-क्षमा
जीवन पथ के होंगे
संगी
सत्य-अहिंसा-संयम-सेवा
जनमानस के होंगे
अंगी
देश-काल बहु-भिन्नता
आत्मबोध से होगी
एक
सद्भावों की दिव्य शक्ति से
मानवता होगी ऊर्जस्वित
ज्ञान-ज्योति से
अज्ञान मिटेगा
असत् भाव में सत् जगेगा
दिव्य प्रकाशपुंज से
मृत्युजनित
भय भ्रम मिटेगा
ज्ञान योग की दिव्य शक्ति
आत्मभाव में होगी
केंद्रित
मानवता की पुण्यभूमि पर
कल्पवृक्ष ही कल्पवृक्ष
बन
वन-उपवन होंगे
वह दिन कैसा होगा बन्धुओ.............

संपर्कः के -3, पूर्वी अन्ना नगर,
चेन्नै-600102

दूसरा वनवास

❑ कैफी आजमी

राम वनवास से लौटकर जब घर में आए
याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए
रक्से दीवानगी आँगन में जो देखा होगा
छह दिसम्बर को श्रीराम ने सोचा होगा
इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर आए

जगमगाते थे जहाँ राम के कदमों के निशां
प्यार की कहकशां लेती थी अँगड़ाई जहां
मोड़ नफरत के उसी राहगुजर में आए

धर्म क्या उनका है क्या जात है यह जानता कौन
घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन
घर जलाने को मेरा यार लोग जो घर में आए
शाकाहारी है मेरे दोस्त तुम्हारा खंजर
तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर
है मेरे सर की खता जख्म जो सर में आए

पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे
कि नजर आए वहाँ खून के गहरे धब्बे
पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे
राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे
छह दिसम्बर को मिला दूसरा वनवास मुझे।

समझ लो

❑ अरुण कुमार सिन्हा

काटे या बहे एक ओर तो धार समझ लो।
जिससे कटे दोनो तरफ दुधार समझ लो।।
है पक्ष कोई धार तो विपक्ष उसकी मूठ
हर बार धार जिसमें हो सरकार समझ लो।
यह अपना है पराया वह, है ऊपरी यह बात
क्या असलियत है जब होती तकरार समझ लो।
हम हिन्दू हैं तुम मुसलमां वह सिक्ख-ईसाई
इंसानियत में भेद की दीवार समझ लो।
दिये जो दिल खुशी से दिल जीत लिये वे
ढाते जो सितम उनकी तो बस हार समझ लो।
रहा न दिल अपना अब उनका भी रहा न
मिले जो दूध-चीनी से एकसार समझ लो।
जीते हैं वे खुशी से हम भी तो रहे जी
जीने की इस कला को ही एकरार समझ लो।
पलभर में ही मिल जाते हम होतीं जो आँखें चार
हर एक के दिल में सदा एतवार समझ लो।
है मंच यह विचार का विचार कुछ तो हो
"विचार दृष्टि" सम्मति-संसार समझ लो।

संपर्कः बजरंगपथ,
बजरंगपुरी, पटना-7

पाकिस्तान हो जा सावधान

❑ रणजीत सिंह "परमार"

ओ पाकिस्तान, हो जा सावधान,
सामा पर न कर कोई व्यवधान,
ओ पाकिस्तान, हो जा सावधान।
अधिकृत कश्मीर लेकर तूने खेल है रचाया,
पूरा कश्मीर पाने का नया ख्वाब है संजोया,
फिदायिन को भारत में भेज, धूम है मचाया,
भारत की सीमा पर भारी फौज है सजाया,
पोटो का हो गया है प्रावधान,
ओ फिदायिन हो जा सावधान,
भारत के वीर सपूतों कश्मीर को अब छीन लो,
एक-एक आतंकवादियों को भारतभूमि से बीन लो,
संभल न पाये, संभलने न दो, ऐसा पाठ पढ़ाओ,
भारत की ओर न नजर फिरे, ऐसा मार भगाओ,
पाक तो क्या, दरक जाये आसमान,
ओ पाकिस्तान, हो जा सावधान,
अमेरिका वालो, पेंटागन पर एक नजर डालो,
कितना विभत्स था दृश्य उसे मन से न निकालो,
संयम बहुत दिखाया पर अब संयम नहीं गंवारा है,
पाक अधिकृत कश्मीर वह भूमि भी तो हमारा है,
आड़े न आयेगा हमारा संविधान,
ओ पाकिस्तान हो जा सावधान,
कह दो पाकिस्तानियों से कि ओ पाकिस्तान वालों,
बहुत हो चुका आतंक, अब अपना होश सम्हालो,
भारत के वीर जवानों, अपना हथियार उठा लो,
पाक घुसपैठियों को अधिकृत कश्मीर से निकालो,
होगा कुर्बान देश का वीर जवान,
ओ पाकिस्तान हो जा सावधान,

संपर्कः उत्तरी पटेल नगर, गोखुल पथ, पटना-23

मगही गीत

गांव

❑ मनोज कुमार विनायर

सखि इत हमरे गांव हमार
सखि इत हमरे गांव हमार
गांव के लोगन खेती कइलन
मुर्गी पाललन बकरी चरैलन
मिहनत और मजदूरी कइलन
सखि इत हमरे गांव हमार
सखि इत हमरे गांव हमार
गांव के बचपन सुन्दर बाड़न
पढ़े लगी स्कूल भी गेलन
शाम होलै तब घर को अइलन
सखि इत हमरे गांव हमार
सखि इत हमरे गांव हमार
कहत विनायर सुनत ब्रिहारी
गावं के महिमा अपरमपारी
सखि इत हमरे गांव हमार
सखि इत हमरे गांव हमार.........

संपर्कः प्रा०वि० छत्तरपुर
परवलपुर (नालन्दा)

हाइकु कविताएं

❑ मुकेश रावल

तुम समीप
अधमूंदी पलकें
सपने खुश।

चाह लेकर
हर पल जीवन
मौन से दूर।

आशा-लता-सा
जीवन सुखमय
हँसना सदा।

कोई न जानें
मिट्टी का सुख दुःख
सिर्फ कवि है।

भूख-भूख है।
पशु और मानव
दोनों समान।

स्पंदित हुआ
फिर मधुर गीत
भीतर जागा।

सच्चा जीवन
दीपक जलकर
पाना सदैव।

सोचना सदा
सपनों का संसार
मेरा भी नर।

प्रीति का रंग
कभी नहीं सूखना
चिर नवीन।

सदैव आगे
सपने भरकर
हँसा जीवन।

आम की डाली
कोयल कूंक रहा
बंसत गीत।

कहां का नहीं
लक्ष्य विहीन जीना
केवल रोना।

संपर्कः 4, राधाकृष्ण नगर
विद्यानगर रोड, आनन्द
जिला-आनन्द-388001
(गुजरात)

सैन्र्यू कविताएं

सिद्धेश्वर

आतंकवाद
से परेशान आज
पूरी दुनिया

आतंकवाद
से धंधे-चौपट व
कोष खोखला

आतंकवाद
ने हमारी नींद भी
किया हराम

आतंकवाद
ने खत्म कर दिया
भाई-चारे को

जम्मू-कश्मीर
आतंकवादियों का
बना निशाना

आजादी के बाद दलित आज भी गुलाम क्यों?

विचार कार्यालय, दिल्ली

आजादी के बाद दलित आज भी गुलाम क्यों? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए अपने समाज के वर्तमान विषम ढाँचे पर विचार करना आवश्यक होगा जिसमें चंद जातियों को छोड़कर, शेष सारी जातियां, न्यूनाधिक शोषित-दलित एवं कमजोर क्यों बनी और जातियों की इसी कमजोरी के कारण देश चिरकाल तक गुलाम रहता आया। कोई भी मानव परिवार, तभी तक अधिक से अधिक श्रेष्ठ और सबल बना रह सकता है, जब तक उसके अधिक-से-अधिक सदस्य श्रेष्ठ और सबल बने रहेंगे और इसी अनुपात से सदस्यों के निकृष्ट और निर्बल बनने पर परिवार स्वयं निकृष्ट और निर्बल बन जाएगा।

इस दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि हिन्दुओं की गिनी-चुनी दो चार जातियां हैं, जो समाज में श्रेष्ठ और सबल मानी जाती रही हैं और भारत चलाचल संपति उन्हीं के हाथों में रहती आयी। शेष सैकड़ों जातियां दलित, पीड़ित, शोषित और पिछड़े वर्गों के रूप में शोषित और विपन्न बनी हुई रहती आयी। तो बरबस हमारा ध्यान, इन प्रश्नों पर चला जाता है कि हिन्दू समाज का ऐसा विषम ढाँचा कब बना, कैसे बना और क्यों बना? क्या मुसलिम और अंग्रेज काल की गुलामियों ने तो नहीं उसका इतना अधिक शोषित-दलित ढाँचा बना दिया?

जब हम उन गुलामियों की तह में पहुँचकर ढूँढते हैं, तो यह पाते हैं कि मुसलमानों या अंग्रेजों ने हिन्दुओं पर चाहे जितना भी अत्याचार भले ही किये हों, पर उन्होंने ऐसे धार्मिक या राजनैतिक विधान कभी नहीं बनाये कि हिन्दुओं की अमुक अमुक जातियां जन्मत: अत्यन्त नीच हैं, उन्हें पढ़ने-लिखने या धन रखने नहीं दिया जाय। यदि वे कुरान, वेद, या बाइबिल सुन लें, तो उनके कानों में सीसा पिघलाकर डाल दिया जाय। तो, कारण नहीं कि दलित और पिछड़ी जातियां मुसलिम या अंग्रेज काल की गुलामियों के दौर में इतनी शोषित-दलित बनीं और हिन्दू समाज की रूपरेखा ऐसी विषम बन गयी।

सच कहा जाय तो मुसलामानों ने उर्दू-फारसी और अंग्रेजों ने अंग्रेजी आदि पढ़-लिखकर ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा सबके लिये खोल दिया था जिससे कितने ही शोषित-दलित जातियों के बहुत से लोग पढ़-लिखकर विद्वान एवं धनी बने। मराठा अथवा राजपूत रियासतें मुसलिम काल की देन थी या कुछ अंग्रेज काल की। इससे यह सिद्ध होता है कि हिन्दू समाज के बेहद विषम ढाँचा बनाये रखने में न तो मुसलमानों का हाथ रहा है और न अंग्रेजों का ही। तो हम धर्म को टटोलें क्योंकि प्रत्येक समाज अपने धर्म या संप्रदाय के साँचे में ही ढलकर बनता या बिगड़ता आया है। इतिहास के मध्यकाल में धर्मों का बेहद बोलबाला था। पंडे-पुरोहित या धर्माध्यक्ष अपने अनुयायियों से जो कुछ भी कह या लिख दिया करते थे, उसे ब्रह्म-वाक्य मानकर आम जनता आँखें मूँदकर मान लेती थी। उसमें उसकी अकल का कोई दखल नहीं था। दखल देनेवाले नास्तिक और अधर्मी मान लिये जाते थे। शासक भी अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार ही अपना राज-काज चलाते थे। उनका कोई अलग राजनीतिक संविधान नहीं होता था।

संसार के प्राय: अन्य प्रसिद्ध धर्मों के धर्माधिकारी, कर्मानुसार अपने समग्र समाज में से ही अपनी योग्यता के आधार पर बनते रहे हैं। किन्तु हमारे हिन्दू धर्म के धर्माधिकारी केवल अपने विशिष्ठ वर्ग से जन्मानुसार बनते आये। इसलिये हमारे यहाँ एक जनमजात धर्माशास्त्र वर्ग या वर्ण बन गया अर्थात ब्राह्मण वर्ण। और उन्हीं जन्मजात ब्राह्मणों द्वारा सारे धर्मशास्त्र बनते आये जिनके निदेशन से हिन्दू समाज चलता आया। इसी ब्राह्मण निदेशन को ब्राह्मणवाद कहा जाता है और उसके द्वारा चलायी गयी व्यवस्था को ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ब्राह्मणवादी विचारधारा का मुख्य आधार जाति आधारित समाज-व्यवस्था है, जिसने जिंदगी के हर क्षेत्र में घुसपैठ करके श्रेष्ठता, अंहकार और अंधविश्वास की आँखों पर पट्टी बांधकर सामाजिक सद्भावना, सहिष्णुता, विवेक और भाईचारे को नष्ट कर दिया है।

> **संसार के प्राय: अन्य प्रसिद्ध धर्मों के धर्माधिकारी, कर्मानुसार अपने समग्र समाज में से ही अपनी योग्यता के आधार पर बनते रहे हैं। किन्तु हमारे हिन्दू धर्म के धर्माधिकारी केवल अपने विशिष्ठ वर्ग से जन्मानुसार बनते आये। इसलिये हमारे यहाँ एक जनमजात धर्माशास्त्र वर्ग या वर्ण बन गया अर्थात ब्राह्मण वर्ण।**

इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को ब्राह्मण,क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चार वर्णो में बाँटा गया। इन चार वर्णों की समाज व्यवस्था बनाते समय अलग-अलग वर्गों के लिये अलग-अलग कार्यों का ही तो आरक्षण कर दिया गया था।

मनुस्मृति के अध्याय 1 श्लोक 91 के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य तीनो वर्णों की बिना निन्दा किये हुए सेवा करना ही शूद्रों के लिये प्रधान कर्म बनाया। ब्राह्मण का मंगल सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धन सूचक शब्द से युक्त तथा शुद्र का निन्दित शब्द से युक्त नामकरण किया गया। इसके बाद यह कहा गया है कि शुद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। न यज्ञ उच्छिष्ट और न होम से बचा हुआ भाग देना

चाहिए और न उसको धर्म का उपदेश देना चाहिए। इसमें आगे लिखा है यदि शुद्र द्विज जातियों को लगनेवाली बात कहे तो उसकी जीभ काट डाली जाय। यदि शुद्र वेदों को जान-बुझकर सुन ले तो उसके कान में पिघला सीसा या लोहा डाल दें। यही है, हमारी वर्ण व्यवस्था का असली रूप।

बाद में जब वर्णों की जगह जातियों ने ले ली तो हर जाति के लिये अलग-अलग कामों का आरक्षण ही तो कर दिया गया था। जिस जाति में जन्म लिया है उसी में मरना भी है। अपनी जाति, परम्परा, से जो कुछ करती रही है, आनेवाली पीढ़ियों को भी वही करना है।

इस ब्रह्मणवादी व्यवस्था ने और लोगों को पढ़ाने-लिखाने, राजपाट चलाने तथा सरकारी नौकरियों से पूरी तरह वंचित रखा गया। हर प्रकार के जूल्म ढाये गये। उन्हें प्रताड़ित किया गया। दूसरी ओर ब्राह्मणों को समाज में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता रहा। इस व्यवस्था का ही परिणाम हुआ कि समाज में विषमता बढ़ती गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्षों बाद भी उस शोषित, दलित तथा पिछड़े वर्ग के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक विकास में वृद्धि नहीं हो पाई। इस वर्ण व्यवस्था और बाद में उसकी जाति व्यवस्था ने जिस प्रकार हमारे पूरे समाज को चरमरा कर रख दिया, परिणाम आपने सामने है। इस व्यवस्था का ही परिणाम है कि ब्राह्मण का बेटा जन्म लेते ही मंदिर का पुजारी बन जाता है भले ही वह अयोग्य और चपाट ही क्यों न हो। क्या यह सत्य नहीं है कि आज भी गाँवों-कस्बों में दलित-शोषितों को हिन्दू धर्म के ठिकेदारों द्वारा मंदिर प्रवेश पर रोक लगायी जाती है? नगर तथा गाँवों के सभी मंदिर एवं धर्म स्थलों पर उनका एकाधिकार तथा आधिपत्य हो गया है?

प्राचीन भारत से अर्बाचीन भारत में शम्बूक-बध का दृष्टान्त, एकलव्य के दाहिने हाथ का अँगूठा द्रोणाचार्य द्वारा दक्षिणा में कटवा लेने का उदाहरण, काशी में बाबू जगजीवन राम जी द्वारा संपूर्णानन्द जी की प्रतिमा के अनावरण के उपरान्त कट्टरपंथी ब्राह्मणों द्वारा गंगाजल से उस मूर्ति का प्रक्षालन, बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेदकर के नाम पर औरंगाबाद में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय तथा बिहार विश्वविद्यालय के नामकरण का विरोध, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का मंदिर-प्रवेश निषेध एवं उनकी व्यक्तिगत तथा सामूहिक हत्या एवं वलात्कार ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ही प्रतीक रहा है। इस तरह की हरकतें तथा वारदातें आज भी समाज में दिन-प्रतिदिन देखने तथा सुनने को मिल रही हैं। समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के विरोध का नाम ही ब्राह्मणवाद है। देश में आजादी के बाद भी ब्रह्मणवाद की असमानता, उँच नीच, छूआछूत, जातिभेद और अन्ध-विश्वास पर आधारित समाज-व्यवस्था कायम है। आपस की भिन्नता, उँच-नीच के भेद-भाव तथा समाज की शक्ति आज चूर-चूर होकर नष्ट होती चली जा रही है। इस ब्रह्मणवादी व्यवस्था में धर्म के ठीकेदारों तथा सामन्ती प्रवृत्ति के कर्णधारों ने धर्म के अलक्ष्य परदे में बैठकर, जातियों को अपने इशारे पर कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। फलत: प्रत्येक जाति एक दूसरी से सर्वथा परायी तथा अलग-अलग होती चली जा रही है। कालावधि में किसान, मजदूर और कलाकार जातियां सवर्ण जातियों के द्वारा हेय दृष्टि से देखी जा रही हैं और उन पर कलियुग का आकर्षक भूत बिठा दिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप वे सहज ही हीन भावना का शिकार बनकर अपनी जाति को मूलत: नीच मानने लग गयी हैं। इस प्रकार श्रमिक वर्ग पौराणिक ब्राह्मणवाद का अन्ध-विश्वासी मानसिक दास बन गया है। इसकी इस हीनावस्था एवं मानसिक दासता से ब्रह्मण एवं शासक वर्ग ने बेहद बजा लाभ उठाया है। किसानों एवं श्रमिकों के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई का स्वछंद उपभोग कर अपने वर्ग की संस्कृति को जी भरकर सजाया-संवारा है। फलत: बहुजन के पतन से देश और समाज का निरन्तर पतन होता जा रहा है। सच तो यह है कि हिन्दू का सबसे बड़ा शत्रु हिन्दू ही बना हुआ है। हिन्दू का घर हमेशा घर के चिराग से जलता रहा और आज भी जल रहा है।

देश में आजादी के बाद भी ब्रह्मणवाद की असमानता, उँच नीच, छूआछूत, जातिभेद और अन्ध-विश्वास पर आधारित समाज-व्यवस्था कायम है।

आज गाँवों की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वहाँ का वातावरण विषाक्त हो चला है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गये हैं, एक दूसरे के जानलेवा बन गये हैं। ऐसे समय में एक कवि की निम्न पंक्तियां हमें याद आ रही हैं---

"या तो तोड़ दें घेरा
या निर्माण करें नई पगडंडी का
जिसे होकर हम पहुँचे
उन चौपालों तक
जहाँ अब शाम की बेला में
बजते नहीं है झाल और ढोलक
अब तो
वहाँ बन्दूकें रखी जाती हैं
सिरहाने।

वहाँ भी आज की इस व्यवस्था ने उँची जातियों के जो लोग जात-पात को बनाये रखकर साम्यवाद और समाजवाद का ढोल पीटते हैं, वे शोषितो-दलितों की आँखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर रहें हैं।

आज एक बात और समाज में देखने को मिल रही है, वह है तुष्टीकरण की नीति। आज जब हम किसी वर्ग के सम्यक कल्याण के लिये कुछ ढ़ोस काम चाहते हैं तो मात्र हम उसकी तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं जो आर्थिक या सामाजिक वर्गों के आधार पर न होकर धर्म के आधार पर है जो ज्यादा खतरनाक है। वोट की राजनीति ने इसे और खतरनाक बना डाला है। आज हिन्दू के ठीकेदारों को यह फिक्र नहीं है कि हिन्दू धर्म में मौजूदा कठिनाईयों एवं कुरीतियों पर विचार-विमर्श किया जाय, उसकी रूढ़ियों को कैसे नष्ट करने का अभियान चलाया जाय। चिन्ता सिर्फ इसकी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे रोका जाय और शोषित, दलित तथा पिछड़ों का कैसे तुष्टीकरण किया जाय।

भारत में केवल इन दिनों तुष्टीकरण की बात हो रही है। धर्म की व्याख्या, कुरीतियों के निवारण का कोई उपक्रम, नारीदाह, छूआछूत, भ्रष्ट आचरण को लेकर कोई चिन्ता न होकर

मात्र नारेवाजी, जुलूस-प्रदर्शन, मंदिर निर्माण, दंगा-फसाद, चुनाव, वोट बैंक, टकराव और प्रतिशोध की गूंज सुनाई पड़ रही है। ये महज राजनीति के हलचल के लक्षण हैं। मस्जिद की जगह एक अदद मंदिर बना देने से क्या हिन्दू धर्म का भला हो जाएगा?

धर्म शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम है। आज हिन्दू समाज में वे सभी विभत्स कर्म हो रहे हैं जिनकी पिछले पुनर्जागरण काल में कल्पना भी नहीं की गई थी। हिन्दू राष्ट्र की कल्पना करनेवालों पर तरस आती है। क्या हिन्दू राष्ट्र में आपको बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, मूल्यवृद्धि, बाढ़, अकाल, विदेशी कर्ज, भुगतान-संतुलन, राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी हमले का भय और जिन्दगी के तमाम दुख हमें नहीं सताएगें? हिन्दू समाज की खुशहाली से जिसका कोई रिश्ता न हो, जो सिर्फ आतंक और अशान्ति पर पनप रहा हो, ऐसा छद्म पुनर्जागरण आज से पहले कभी नहीं देखा गया। बाबा साहेब का नारा था-"शिक्षित बनों, संगठित हो, ओर संघर्ष करो। हर अन्याय का विरोध करो और हर अधिकार की माँग करो।"

आज दलित, पीड़ित, शोषित तथा प्रताड़ित पिछड़ा एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक दशा आजादी के बाद से गिरती जा रही है। आजादी के बाद जो सम्मान दलितों, पिछड़ों तथा कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। दलित तथा पिछड़े वर्ग के नागरिक अपने ही देश में दोयम दर्जे की नागरिकों की तरह जिन्दगी जीने के लिये विवश होते रहे हैं। देश की कुल आबादी का 85 प्रतिशत वाले दलित एवं पिछड़े वर्गों के नागरिकों को मिलाकर केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में मात्र 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिल सकी हैं जबकि देश की कुल आबादी के 52 प्रतिशत वाले पिछड़े वर्ग को सभी श्रेणी की नौकरियों में 12.55 प्रतिशत और वर्ग-1 की नौकरियों में उनका अनुपात मात्र 4.69 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या जहाँ 22.5 प्रतिशत है वहाँ सभी श्रेणी की नौकरियों में उनका अनुपात 18.71 प्रतिशत है और श्रेणी-1 में तो मात्र 5.68 प्रतिशत ही।

दूसरी ओर कुछ 15 प्रतिशत आबादी वाले तथाकथित प्रतिभाशाली लोग नौकरियों में पूरी तरह हावी हैं और स्थिति यह है कि साढे तीन प्रतिशत आबादी वाले ब्रह्मण परिवार सभी श्रेणी की नौकरियों में 70 प्रतिशत से भी ऊपर कब्जा किये बैठे हैं। इन्हीं 15 प्रतिशत आबादी वाले वर्ग के चलते भारत को लगभग 600 वर्ष तक गुलामी में रहना पड़ा था। और अब ये विदेशी पूंजी निवेश के आमंत्रण के माध्यम से देश को पुन: गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। तभी तो आज देश के हर व्यक्ति पर हजारों का कर्ज लद चूका है। देश की राजनीतिक संरचना में समाज की संतुलित भागीदारी बड़ी अहम होती है। इसमें किसी प्रकार असंतुलन पैदा होने से राजनीतिक ढाँचा कमजोर होने लगता है। और इसका असर देर -सबेर देश शासन प्रणाली पर पड़ता है। देश की 20 करोड़ के आसपास वाली आबादी, जिसे महात्मा गाँधी 'हरिजन' कहते थे, बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने पहली बार दलित कहा। वह दलित वर्ग आज भी गैरबरावरी और तिरस्कार का शिकार है, अन्याय सहने की एक हद होती है और शायद यही कारण है कि राजनीति में दलितों की सक्रीयता बढ़ी है। इन्हें समानता और आत्मसम्मान की तलाश है। सामाजिक प्रतिष्ठा के शीर्ष पर विराजमान समाज के समृद्ध, प्रबुद्ध एवं सवर्ण लोगों को दलितों की पीड़ा को आज समझने की जरूरत है। सामाजिक असंतुलन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है इसपर उन्हें विचार करना होगा, क्योंकि राजनीति के शिखर पर बैठे दलित अथवा गैर दलित नेताओं को इस दलित वर्ग की समस्याओं और संकटों की चिंता नहीं है और न इनके कल्याण की फिक्र है। सच तो यह है कि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी तथा अपने घर भरने की चिंता है। आपने देखा नहीं बसपा के काशीराम तथा मायावती ने उ० प्र० की सत्ता हथियाने के लिए भाजपा से गठबंधन करनें मे तनिक भी देर नहीं की। यह उनकी स्वार्थपरता और अवसरवादिता का ही परिचायक है।

अतएव आज समय की पुकार है कि सच्ची राष्ट्रीय एकता तथा स्वतन्त्र भारत क सर्वांगीण विकास के लिये इस देश के 85 प्रतिशत शेषितों, दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यको को धन, धरती और राजपाट में हिस्सा लेने के लिये एकजूट होना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि जाति-पाति की भावना से उपर उठकर लोगों के बीच भावात्मक एकता कायम करने के लिये हम आगे आयें। लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा दें, समाज में समता की भावना जाग्रत करें। शिक्षा के प्रचार-प्रसार में योगदान कर समाज में प्रचलित रूढ़िवाद, धर्मान्धता, मूढ़मान्यताओं एवं अन्ध-विश्वासों को दूर करने का प्रयास करें।

कुछ दिख सके ऐसा एक दर्पण चाहिऐ

रमेश यादव

कुछ कर गुजरने
के लिए समय नहीं
मन चाहिये।।
थककर नहीं
बैठे प्रतीक्षा कर
रहा कोई कहीं।
हारे नहीं जब हौसले।।
तब कम हुए सब फासले।।
दूरी कहीं कोई नहीं
केवल समर्पण चाहिये।।
हर दर्द झूठा लग रहा
सह कर मजा आता नहीं।
आंसू वही आँखे वही
कुछ गलत है कुछ है सही।।
जिसमें नया
कुछ दिख सके।
ऐसा एक दर्पण चाहिये।।
कैसे जिए कैसे मरे।
यह तो पुरानी बात है
आओ जरा अब यों करे।
संग-संग जिए
संग-संग मरे।।
आसमां के नीचे हमें
यह सुख सनातन चाहिये।
कुछ कर गुजरने के लिए
समय नहीं मन चाहिये।।

संपर्क: 127, गोकुल गंज, कनीलपुरा
इन्दौर-6 (म०प्र०)

दलित चेतना का उत्कर्ष और उसका भटकाव

❑ प्रो०(डॉ०) लखन लाल 'आरोही'

भक्ति आन्दोलन के समान दलित-चेतना का आन्दोलन भी दक्षिण भारत में उत्पन्न होकर कालक्रम से सम्पूर्ण भारत में फैला। इस आन्दोलन का कारण ब्राह्मणवाद है जिसके अत्याचार और उत्पीड़न एवं अमानवीय व्यवहार के कारण हिन्दू समाज के दलित शताब्दियों से नारकीय एवं अपमानपूर्ण जीवन जी रहे थे, फिर भी दलितों में त्रासद ब्राह्मणबाद के विरूद्ध कोई विद्रोह उत्पन्न नहीं हो रहा था। वे अपनी नारकीय एवं त्रासद स्थिति को अपनी नियति मानकर जी रहे थे। चेतना-शून्य व्यक्ति या समुदाय की यही स्थिति होती है। चेतना से लैश व्यक्ति ही अपने अधिकार, सम्मान और गरिमा का अनुभव कर अन्याय-अत्याचार का प्रतिरोध करता है-उसके विरूद्ध संघर्ष करता है। चेतना शून्य व्यक्ति-समाज मृतप्राय होता है, इसलिए उसमें अत्याचार, शोषण और अपमान के विरूद्ध किसी भी स्तर पर आन्दोलन क्या, किसी भी प्रकार का स्फुरण भी नहीं होता। शिक्षा ही व्यक्ति को चेतना से लैश करती है- उसके अज्ञान को दूर कर ज्ञान-विज्ञान की रोशनी से ज्योतिर्मय कर हर अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्षरत करती है। शिक्षा से वंचित व्यक्ति समाज अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य होता है। ब्राह्मणवाद के शिकंजे के कारण संपूर्ण भारत का दलित समाज शिक्षा से वंचित होने के कारण मानव गरिमा से च्यूत भयंकर कष्ट और अभाव का जीवन जी रहा था। संपूर्ण हिंदी प्रदेश की भी यही स्थिति थी। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन की हद तो यह है कि इस विशाल क्षेत्र में आजतक कभी समाज सुधार का कोई आन्दोलन तक नहीं हुआ- दलित सरोकार की तो बात ही अलग है। यही कारण है कि समय के प्रवाह में जब देश के अन्य भाग आगे निकल गए तो यह हिंदी क्षेत्र आज भी सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इस मामले में हिंदी प्रदेश उधार पर जीता है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि बिना सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण के कोई भी राजनीतिक आन्दोलन व्यर्थ होता है।

हर समाज अपने मसीहा का इंतजार करता है और हर मसीहा पीडित, अपमानित और शोषित समाज के बीच से ही पैदा होता है। जिस व्यक्ति ने पीड़ा और अपमान झेला ही नहीं-वह समाज का मसीहा नहीं हो सकता। वह समाज के दर्द और अपमान का डॉक्टर नहीं होसकता। झेलते-भोगते तो सभी हैं- परन्तु सभी ज्योतिबा फुले और डॉ० अम्बेदकर नहीं होते। फुले और अम्बेडकर वे ही होते हैं जिनमें पीड़ा और अपमान के अहसास के साथ यह चेतना भी होती है कि सम्मान और समानता के साथ जीना उसका हक है। यह चेतना व्यक्ति में शिक्षा से आती है। ज्योति बा, फुले, पैरियर रामास्वामी नायकर और डॉ० अम्बेडकर इसी लिए दलितों के मसीहा बन सके, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद के दर्शन को भोगा था और शिक्षित थे। तीनों दलित मसीहा दक्षिण के थे। उत्तर भारत के विशाल हिंदी प्रदेश के ब्राह्मणवादऔर सामंतवाद के दुहरे शिकंजे में फँसे दलित समाज में शिक्षा की रोशनी न पहुँच पाने के कारण हिंदी प्रदेश में कोई दलित-मसीहा पैदा नहीं हो सके और जगजीवन राम जैसे दलित नेता उत्पन्न हुए भी तो सत्ता सुख भोगने के लालच में ब्राह्मण और सामंतों के वर्चस्ववाली कांग्रेस के साथ रहने के कारण दलित मसीहा के रूप में अपना तेवर व्यक्त नहीं कर सके। सही बात तो यह है कि सत्ता सुख ने उनमें दलित अस्मिता का कभी तेजाबी तेवर ही अंकुरित नही होने दिया। ब्राह्मणवाद से पीड़ित दलित समाज में ज्यों-ज्यों शिक्षा की मशाल की रोशनी फैलती गई-त्यों-त्यों दलित चेतना में तीव्रता आती गई और आज तो हर क्षेत्र, समाज, साहित्य, संस्कृति, राजनीति-दलित चेतना से आक्रान्त होने के कारण यह विशाल आन्दोलन बन गया है।

चेतना से लैश व्यक्ति ही अपने अधिकार, सम्मान और गरिमा का अनुभव कर अन्याय-अत्याचार का प्रतिरोध करता है-उसके विरूद्ध संघर्ष करता है। चेतना शून्य व्यक्ति- समाज मृतप्राय होता है, इसलिए उसमें अत्याचार, शोषण और अपमान के विरूद्ध किसी भी स्तर पर आन्दोलन क्या, किसी भी प्रकार का स्फुरण भी नहीं होता।

महाराष्ट्र का पुणे ब्राह्मणों का गढ़ रहा है और यहीं से इस देश की ब्राह्मण नीति निर्धारित होती है। ब्राह्मणवाद के अमानवीय क्रूर व्यवहार को यहाँ के दलितों-शूद्रों ने सदियों से झेला था। शूद्र होने के कारण शिवाजी को राजतिलक करने से यहाँ के ब्राह्मण ईकार कर गए। पुणे का पेशवा राज ब्राह्मणों का राज था जिसमें दलितों-शूद्रों का जीवन पशुओं से भी गया बीता था। जहाँ क्रिया होती है वही इसके विरूद्ध विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ब्राह्मणों के अन्याय और शोषण के विरूद्ध उसी पुणे में उन्नीसवीं शती के 28 अप्रील, 1827 को जन्म लेकर ज्योतिराव गोविन्द राव फुले नामक एक शुद्र (माली) ने दलित चेतना की मशाल जलाई। शिक्षा से वंचित दलित शूद्र और महिला को शिक्षित करने के लिए महात्मा फुले ने 1848 ई० में पुणे में दलित महिलाओं के लिए देश में पहला स्कूल खोला और अपनी पत्नी सावित्री वाई को उसका अध्यापक बनाया। पुन: दलित- शूद्र बच्चों के लिए भी उन्होंने स्कूल खोला। ब्राह्मणवाद

के शिकार विधवाओं के लिए उस महात्मा ने देश में पहला विधवाश्रम पुणे में स्थापित किया। वे दलितों-शूद्रों की शिक्षा के लिए समर्पित थे, क्योंकि शिक्षा ही ब्राह्मणबाद, अंधविश्वास और रूढ़ियों की शत्रु है। दलित-शूद्र चेतना से लैश महात्मा फुले ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्राणपण से अभियान छेड़ दिया। उन्होंने 1873 ई० में ब्राह्मणों के कर्मकांडों और पाखंडों का भंडाफोड़ करने और समाज में सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए "सत्यशोधक समाज " नामक एक सर्वजनिक संस्था का निर्माण किया। महात्मा फुले ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणवाद पीड़ित शान्त समाज में पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर दीं जिससे महाराष्ट्र में एक नई सुबह की आहट सुनाई पड़ी, परन्तु ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नरेश छत्रपति शाहूजी महाराज ने ज्योति बा फुले से प्रेरित होकर अपने राज्य के प्रत्येक गाँव में दलितों-पिछड़ों के लिए नि:शुल्क पाठशालाएँ खुलवाई, क्योंकि उनका विश्वास था कि व्यक्ति के विकास और ब्राह्मणवाद से मुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद एक मात्र माध्यम है। इतना ही नहीं उन्होंने सत्ता में दलितों-शूद्रों की भागीदारी के लिए उन्हें आरक्षण दिया और ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त किया। इस देश में आरक्षण के प्रणेता छत्रपति शाहू जी हैं।

दलित चेतना के अश्वमेघ का जो घोड़ा माहात्मा फुले ने छोड़ा था, वह रूका नहीं! महाराष्ट्र के ही दूसरे सपूत डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने दलित चेतना के अभियान को संघर्षपूर्ण जीवन जीकर आगे बढ़ाया और शिखर तक पहुँचाया। डॉ० अम्बेदकर महाराष्ट्र की महार नामक अछूत जाति में 14 अप्रील 1891 में उत्पन्न होकर और अपमान एवं उपेक्षापूर्ण जीवन जीते हुए आगे बढ़े थे, अछूत होकर भी शिक्षा की सर्वोच्च उपाधियों से विभषित हुए थे। वे चाहते तो अपनी तेजस्वी प्रतिभा के कारण उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त होकर सुख-सुविधापूर्ण जीवन जी सकते थे। परन्तु उनकी दलित चेतना बड़ी प्रखर थी। वे खुद ब्राह्मणवाद के शिकार थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलितों को आन्दोलित किया। बाबा साहब डॉ० अम्बेदकर ने विभिन्न आन्दोलनों और "मूक नायक" एवं "बहिष्कृत भारत" पत्रिकाएँ प्रकाशित कर दलितों को अपने अधिकार एवं सम्मान के लिए चेतना से लैश किया। वे देश की आजादी से ज्यादा दलितों के हक और सम्मान को महत्व देते थे। ब्राह्मणवादी आजाद भारत से दलितों के जीवन में क्या अंतर आता! इसलिए बाबा साहब सदैव ब्राह्मणवाद के खिलाफ और दलितों के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उनके नेतृत्व में 20 मार्च, 1927 ई० को ढाई हजार अछूतों ने महाराष्ट्र के महाड़ के चावदार तालाब का पहली बार पानी पिया। 1932 में पुणे के यरबदा जेल में उन्होंने दलितों के लिए पूना-पैक्ट पर हस्ताक्षर कर विधान सभाओं मं सीट सुरक्षित करवाई। दलितों के हक को सुरक्षित करने हेतु ही बाबा साहब संविधान-सभा के सदस्य बने। सच कहा जाय तो यह बाबा साहब के ही संघर्ष का फल है कि आज समाज ही नहीं साहित्य में भी दलित चेतना की लहर फैल गई है। समकालीन दलित साहित्य दलित चेतना की ही अभिव्यक्ति है। ओम प्रकाश बाल्मीकि, मोहनदास, नैमिशराय, प्रो० श्योराज सिंह बेचैन आदि दलित लेखक दलित चेतना को अपने लेखन से प्रभाव पूर्ण अभिव्यक्ति दे रहे हैं। परन्तु इस संदर्भ में तमिलनाडु के पैरियर रामास्वामी नायकर और उत्तर भारत के अछूतानंद की भी दलित चेतना के प्रसार में कम भूमिका नहीं है। श्री नायकर ने तो तमिलनाडु में ब्राह्मणों को समाज और राजनीति में सत्ता से बेदखल कर दिया। अछूतानंद ने उत्तर भारत में अछूतों को संगठित करने का भरसक प्रयास किया।

परन्तु आज राजनीति में दलित चेतना की क्या स्थिति है? दलित नेता की दलित चेतना चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों--- उन्हें दलितों के हक और सम्मान से कोई मतलब नहीं। उनका ध्यान केवल सत्ता पर है। इसलिए वे सत्ता के लिए दलित विरोधियों से भी आए दिन हाथ मिला रहे हैं और बाबा साहब के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये तथाकथित दलित नेता दलितों के लिए नहीं-अपने और अपने परिवार के लिए दलित राजनीति कर दलितों को ठग रहे हैं। यह दलित चेतना का आज की राजनीति में भटकाव है। समकालीन भारतीय राजनीति में दलित चेतना किसी मसीहा का इंतजार कर रही है। अभी तो सन्नाटा है।

संपर्क:-ऋतंवरा, खैरा,
पत्रा०-पतसौरी खैरा
जिला-बांका-813107

अंधविश्वास से जकड़े आज भी ग्रामीण

'विश्व में सभी चल रहे अपनी अपनी राह।
पर भारत से कब दूर होगा-बाल विवाह?'

यों तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाल विवाह की घटनायें देखने को मिलती है परन्तु यह प्रथा राजस्थान में अभी भी उसी स्थिति में प्रचलित है जिस रूप में उन्नीसवीं सदी में विराजमान थी। राजस्थान के जोधपुर जिले में जिला समाहरणालय से मात्र नौ किलोमीटर दूर 'नांदड़ी की ढाणी' में जगमग शामियानों में 5 मार्च 2002 को 52 जोड़ी बच्चों के बाल विवाह सम्पन्न हुए।

यह समारोह प्रजापति सम्मेलन और डिगाड़ी निवासी सिनवाड़िया परिवार के भवरलाल, गौकुल और कुनौज की वृद्धामाता के मौसर (मृत्यु भोज) का। यहाँ मौसर पर शादियां होना आम बात है। परन्तु शादी भी इस तरह की कि दुल्हन बनी छह माह की दुधमुंही बबली माँ की गोद में गहरी नींद में डूबी थी। तीन साल का दूल्हा राकेश तोरण द्वार के बाहर अपने माता की गोद से ही यह तमाशा देख रहा था। तोरण द्वार के बाहर कतारबद्ध छोटे-छोटे दुल्हे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। नन्हीं राजकुमारियों सी दिख रही बालिकायें परंपरागत राजस्थानी वेष में सजी धजी मंडप में दुल्हों की प्रतीक्षा कर रही थी।

मंत्रोच्चारण से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। हजारों-हजार की भीड़ एक मेला का रूप ले लिया था सभी खुशी से झूम रहे थे पर 52 जोड़े बच्चों के चेहरे पर हवाईयां उड़ी हुई थी कुछ उदास और कुछ रो रहे थे। कुछ को रस्म के बीच में ही गोद में लेकर चुप कराना पड़ रहा था तो कुछ की माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाकर चुप कर रही थी। इस कारूणिक दृश्य में भी पता नहीं क्यों अंधविश्वास से जकड़े ग्रामीण लोग आनन्द विभोर हो रहे थे। अन्त में 4 बजे के लगभग सिन्दूरदान का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया और दकियानूसी के इस कलंकित रस्म से 104 बच्चों के भविष्य की बलि इस मृत्युभोज के समारोह में चढ़ा दी गई।

केन्द्र अथवा राज्य सरकार को चाहिए कि वे इस कुरीति को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करें अन्यथा न जाने कब तक इन दूध पीते बच्चों को बाल-विवाह कि हथकड़ी में कैद किया जाता रहेगा।

मिथिलेश, जोधपुर से

देश की विकट स्थिति एवं राष्ट्रपति

पटना के अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान में पिछले दिनों ऑल इंडिया बैकबर्ड मुस्लिम मोर्चा की ओर से आयोजित एक विचार संगोष्ठी में 'विचार दृष्टि' के संपादक श्री सिद्धेश्वर ने 'देश की विकट स्थिति और राष्ट्रपति' विषय पर एक आलेख प्रस्तुत किया, जिसे यहां पाठकों के लिए विशेष रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। - कार्यकारी संपादक

भारत को आजादी मिले पचपन साल हो गए और देश में गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू हुए भी आधी शताब्दी से अधिक बीत गए, किन्तु आज भी हमारा देश जिस चौराहे पर खड़ा है और उसकी जनता जिस ज़हालत की जिंदगी जी रही है उस पर हम गर्व नहीं कर सकते। इसलिए देश के मौजूदा हालातों पर एक नजर डालना हमारा आपका दायित्व बनता है। किसी भी देश की प्रगति के लिए 55 साल अधिक नहीं, तो कम भी नहीं होते। हालांकि यह भी नहीं कि इन सालों में हमने तरक्की नहीं की पर चीन सरीखे कई देश ऐसे भी हैं, जिन्हें हम से बाद आजादी मिली किन्तु आज वे प्रगति के जिस शिखर पर पहुँच चुके हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। इस दृष्टि से आज हमें आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि गणतांत्रिक व्यवस्था के लागू होने के बावन वर्ष बाद भी भारतीय समाज अनुष्ठानों और काल की सीमाओं से मुक्ति में विश्वास करता है। इसलिए आत्मविश्लेषण उसकी सहज प्रवृति नहीं है। यही कारण है कि वह परिवर्तन की पहल से कतराता है। परंपरा को प्राथमिकता इस देश का स्वभाव रहा है। जबकि सच तो यह है कि परंपरा के विरूद्ध आज विद्रोह किये जाने की आवश्यकता है।

संविधान सभा में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० एस० राधाकृष्णन ने नई व्यवस्था की बात की थी, **"जो ढाँचे को तोड़ेगी"**। इससे निरंतर गतिशीलता और मंथन की उम्मीद बँधी थी। लेकिन यह उम्मीद बेबुनियाद साबित हुई। देश में नई व्यवस्था तो आई मगर वह नई रूढ़ियों में जकड़ गयी। लोकतंत्र के मुल्लमें के नीचे नौकरशाह और बाबूतंत्र पसर गया। संस्थागत सुस्ती और सतहीपन के लिए **'विकास की दर'** एक बहाना बन गई। क्या लोकतंत्र आम आदमी को जागरूक बनाने में मददगार हुआ? क्या उसने आम आदमी की भलाई, उसके जीवन स्तर तथा सहुलियतों आदि में इजाफा किया? लोकतांत्रिक पथ पर पहुँचकर हमें अपने आप से यह सवाल पूछने की जरूरत है।

हमारे गणतंत्र की यात्रा की 52 वीं वर्षगांठ और हमारे संसद की 50 वीं वर्षगांठ का पड़ाव आते-आते वह उम्मीदें, जिसे हमारे स्ववंत्रता-संग्राम के सेनानियों और बलिदानियों ने कर रखी थी, न जाने कहाँ खो गई। आजादी के बाद आई नई गणतांत्रिक व्यवस्था के बारे में हमें ज़ल्द ही पता चल गया कि वह अनियंत्रित और स्वार्थपरक है। नेताओं और जनप्रतिनिधियों की दिलचस्पी लोगों की भलाई में नहीं बल्कि उनके वोटों में सिमट गई। उन्होंने सीधा और सरल फार्मूला अपनाया-**"वोट तुम्हारा, राज हमारा"**। इसका परिणाम है कि हमारा देश आज विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है जिस पर एक नजर डालने की आवश्यकता है ताकि हम आत्ममंथन कर सकें। यूँ तो विकट स्थिति के अनेक कारण है किन्तु यहाँ हम उन संकटों के सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक पहलुओं पर ही अपने विचार केन्द्रीत करेंगे।

राजनीतिक संकट-

राजनीति में सत्ता की भूख एक स्थायी मनोवृति है। जो राजनीतिक दल सत्ता में नहीं होते वे उसमें पहुँचने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं और जो उसमें किसी तरह पहुँच जाते हैं वे उसके छीन जाने की आशंका में जीते हैं। राजनीति में सत्ता से निर्लिप्तता के लिए कोई जगह नहीं। यही वह कारण है जिसकी वजह से आज मुख्यधारा की लगभग सभी राजनीतिक दलों के अपराधियों से संबंध हो गया है। देशी कट्टे चमकाकर मतपेटियाँ उठा ले जानेवालों से लेकर बड़े सरगना तक इनकी झोली में हैं। आजादी के छठे दशक में आज राजनीति का पूरी तरह अपराधीकरण हो चुका है। अपराधियों-नेताओं के इस घिनौने संबंध में जन-प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक जवाबदेही दफन हो चुकी है। फलतः राजनीति और राजनेताओं के प्रति लोगों की बेरूखी बढ़कर घृणा में परिणत हो रही है और राजकाज कुछ मुट्ठी भर लोगों का बनकर रह गया है। इसलिए व्यवस्था पारदर्शी और जनान्मुखी न होकर अपारदर्शी और जनविमुखी होती जा रही है। राजनीति के अपराधीकरण के परिणामस्वरूप आज आंतरिक अनुशासन, नियंत्रण एवं कमान की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से चरमरा गयी है।

भारतीय राज्य और समाज के अधिकतर संस्थानों पर अपराधीकृत तथा वोटबैंक से संचालित राजनीति की काली छाया पड़ चुकी है। यहाँ तक की निचली अदालतें, पुलिस व प्रशासनिक सेवाएं आम आदमी का भरोसा और अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। आज भ्रष्टाचार, अपराध एवं राजनीति तीनों एक दूसरे के पर्याय बन गए लगते हैं। भारतीय राजनीति की नैतिकता में जिस तेजी से गिरावट हो रही है वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चिंता का विषय है। राजनीतिज्ञों ने नौकरशाही की अकर्मण्यता और संवेदनहीनता को बढ़ावा ही दिया है। आज राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों के रोम-रोम में सरकारी कोष एवं पद का दुरूपयोग घर कर गया है। प्रायः हर बड़े घोटालों में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों एवं उच्च पदों पर बैठे नौकरशाहों का हाथ होता है। यह हमारे गिरते राष्ट्रीय चरित्र का द्योतक है जो भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। नेता के हाथों पार्टी, पार्टी के हाथों संविधान और संविधान के हाथों लोकतंत्र के भाग्य को सौंपकर हम वैसे ही आश्वस्त हैं जैसे कभी मौत के हाथों जीवन

सौंपकर नचिकेता हुआ था। राजनीति में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि राजनैतिक नैतिकता लुप्त हो गयी है। देश के चुनावी राजनीति में बढ़ते धन, बल और चुनाव खर्च की मजबूरी से पनपे भ्रष्टाचार पर काबू पाना अब मुश्किल हो रहा है।

उ०प्र० में मायावती के नेतृत्व में बनी बसपा-भाजपा की गठबंधन सरकार इस बात का परिचायक है कि दलित राजनीति आज भटकाव की स्थिति में आ गयी है क्योंकि दलित आंदोलन कमजोर वर्गों में समता की भूख जगाने के लिए था। लेकिन बसपा-भाजपा की बेमेल राजनीतिक सौदे ने बृहतर सामाजिक परिवर्तन की धार को कुंद किया है।

सामाजिक संकट:

समाजशास्त्रियों के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व-निर्माण में पर्यावरणीय एवं आनुवांशिकीय कारक सहायक होते हैं। उनका व्यक्तित्व ही समाज पर प्रभाव डालता है तथा हमलोग अपने जीवन को उनके अनुकरणीय बनाते हैं। आखिर तभी तो बुद्ध, महावीर, टैगोर, बोस, पटेल, विवेकानन्द, रमण, भाभा आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं। आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आर्थिक उदारीकरण की नीति और पूँजी की होड़ ने उपभोक्तावाद की नई प्रवृति को जन्म दिया है जिसका सबसे बुरा असर निम्न-मध्य वर्ग के लोगों पर महसूस होता है। उपभोक्तावाद व्यक्ति के मन पर इस कदर काबिज हो गया है कि मानवीय व्यवहार में एक जबर्दस्त तब्दीली आ गई है। समाज में अपराधीकरण बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है। प्रारम्भ में यह प्रवृति केवल शहरी-मध्यवर्ग तक सीमित थी लेकिन गांव के शहरीकरण की प्रक्रिया तथा आवागमन और संचार के साधनों के कारण गांव और शहर के बीच की कमी होती हुई दूरी ने गांव के लोगों के मन में भी उपभोक्तावाद की लालसा को जगा दिया है जिसके चलते सामाजिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। सामाजिक समरसता आज समाप्त प्राय: है। सरकार की दुर्णितियों की वजह से कुटीर उद्योग धन्धों के ह्रास तथा गरीब मजदूर सड़कों की पटरियों पर अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य हो रहा है। दूसरी ओर वर्गभेद, रंगभेद, जातिभेद आदि समस्याएं आज उत्तरोत्तर जटिल होती जा रही है। समाज बंटता चला जा रहा है।

आज हमारे समाज में संवेदना नाम की चीज समाप्त होती जा रही है। पिछले दशक में देश के विभिन्न भागों में हैवानियत का जो नग्न रूप देखने को मिला है उसकी एक बानगी ही रोंगटे खड़े कर देती है। अभी पिछले दो माह से गुजरात के गोधरा में हुई शर्मनाम हिंसा के बाद पूरे गुजरात में जो प्रतिहिंसा चल रही है उससे न केवल हमारा देश कलंकित हुआ है बल्कि हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि भी धुमिल हुई है। आज स्थिति यह है कि देश के हुक्मरान खामोश तरीके से हिंदू-मुसलमान के नाम पर लाशों का हिसाब-किताब कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि सांप्रदायिक दंगों में गिरनेवाली हर लाश एक हिंदुस्तानी की होती है और हर हिंदुस्तानी के रंगों में बहनेवाले लहू के रंग एक होते हैं। सांप्रदायिक फासीवाद राष्ट्रीय एकता के लिए भी आज खतरा बना हुआ है।

आज हमारे सामने सवाल यह है कि सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय और भविष्य की आस्था के लिए हमारे विवेक और चेतना को कैसे जगाए रखा जाए। सत्ता की दौड़, लूटने-छीनने की होड़ ने हमारे सारे सपने, बीजन छीन लिए हैं। हम एक भविष्यहीन समाज में रह रहे हैं। इससे मुक्ति कौन दिलाएगा, यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। यह काम बिना सामाजिक प्रतिबद्धता के संभव नहीं। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा अथवा क्षेत्रीयता के आधार पर किसी के साथ घृणा का व्यवहार न करना, किसी को अछूत नहीं मानना यह युग का संकल्प है। जो लोग अपने युग को नहीं समझते और उसके संकल्पों को नहीं समझते वे किसी नए युग का निर्माण नहीं कर सकते। समय नदी के प्रभाव की भाँति बहता रहता है। उसे पकड़कर रखने की क्षमता किसी में नहीं है।

भारतीय वर्ण व्यवस्था में उत्पन्न सामाजिक असमानता को दूरकर उसमें समानता लाने के लिए ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई किन्तु उसके कार्यान्वयन के हश्र से हमसब अवगत हैं। पूंजीवादी प्रजातंत्र में समानता और समान अवसर की बातें सिर्फ कागज के पन्नों पर होती हैं और भारत के प्रजातंत्र में जहाँ नवसामंती को नया जीवन दिया गया प्रजातंत्र की इस विभत्स विडंबना को पूरी तरह खोलने की आवश्यकता है।

इस देश में जातीयता की भावना हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी हैं कि हर जाति संविधान में प्रदत अधिकारों को पाने तथा सत्ता में अपनी भागीदारी के लिए न केवल इच्छूक है बल्कि उसे हासिल करने के लिए लोग संगठित हो रहे हैं। आजादी के बाद देश में आए सामाजिक बदलाव के दौरान जहाँ-जहाँ चेतना की किरण पहुँची वह वर्ग आगे बढ़ा। इसी क्रम में पिछड़े एवं दलित वर्ग में भी थोड़ी चेतना आई और तरक्की के रास्ते पर वह चल पड़ा। किन्तु सदियों से वे इंसाफी और बेइज्जती सहनेवाले इन वर्गों में जब सम्मान की लालसा जागी तो वे उन संस्कारों और आदतों को अपनाने लगे जिनकी वजह से सवर्ण जातियों को इज्जत हासिल थी। इस बात को वे बिल्कुल भूल गए कि जिस विधान के खिलाफ सदियों से उनके भीतर गुस्से का लावा उबलता रहा था उसी के कारण उसका तरक्की रूकी पड़ी थी, उसी को वे अपना रहे हैं। सामाजिक अधिकारों का दमन करने वाली वर्णव्यवस्था क्या सामाजिक क्रांति के लिए हमें नहीं ललकार रही है? हमारी अतिधर्म निरपेक्षता ने भी आदमी को आदमी से अलग करने का काम किया है। हमारी पीड़ा यह है कि इस वक्त हमारे पास न तो कोई विचारक है और न मसीहा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना मसीहा स्वयं बनना होगा और योजनाकारों के दिमाग को बदलना होगा।

आर्थिक संकट: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम चार दशक तक योजनाबद्ध विकास के द्वारा आत्मनिर्भरता और सर्वांगीण उन्नयन के प्रयासों को नयी उदारीकरण और भूमण्डलीकरण की नीतियाँ गंभीर आघात पहुँचा रही हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उन्मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था तथा विदेशी पूंजी की लालसा ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्वव्यापार संगठन के मकड़जाल में देश की अर्थव्यवस्था को ढकेल दिया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूट और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की गलत एवं मनमानी शर्तों की वजह से इस देश को भयंकर आर्थिक संकट भुगतने के साथ-साथ अमेरीकी आर्थिक साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेकने को विवश होने पड़ रहे हैं। उदारीकरण की इस नीति से गरीब और अमीर की खाई और बढ़ती जा रही

है। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, रोजगार और विकास के अवसर हमेशा के लिए छीन लेने का षड्यंत्र गहराता जा रहा है। उदारवादी आर्थिक नीतियों से जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आर्थिक सत्ता केंद्र बनती जा रही है उससे तो यही लगता है कि जनसाधारण के बारे में हमने सोचना ही बंद कर दिया है। दरअसल साधारण जनता की उपेक्षा ही राष्ट्र के पतन का कारण रही है। देश में रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एक करोड़ लोगों को नौकरी देने के बजाए पिछले चार साल के कार्यकाल में चार लाख लोगों की छँटनी हुई है। केन्द्रीय बजट की मार से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की कमर टूट रही है। किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने से वे खेती छोड़ने को विवश हो रहे हैं।

सेन्टर फॉर मीडिया एंड कल्चरल रिसर्च (सीएमसीआर) द्वारा गत 13 अप्रैल से 1 मई तक देश के चालीस से अधिक के शहरों में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार विगत डेढ़ दशक में देश में 18 से 36 वर्ष के 25 करोड़ युवा मतदाता तथा 30 करोड़ मध्यमवर्गीय मतदाता केन्द्र सरकार की आर्थिक सामाजिक औद्योगिक एवं श्रमनीतियों तथा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से सर्वाधिक त्रस्त हैं। 25 करोड़ नौजवान बेरोजगारी से खफा है। देश का युवा वर्ग मंडल-कमंडल, पाकिस्तान सीमा पर तनाव, आतंकवाद, रक्षा सौदों में दलाली, अपहरण, हत्या, बलात्कार की बढ़ती घटनाएं, महिलाओं पर अत्याचार तथा सत्ता बचाने के लिए लगातार सिद्धांतों को अँगूठा दिखाने की नीतियों के कारण भारतवासियों का केंद्र सरकार से मोहभंग हुआ है।

संचार क्रांति के पैरोकारों ने इसे समृद्धि के नए दरवाजे खोलने की बात की थी और इंटरनेट को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पुनर्जागरण एवं नवनिर्माण का जरिया कहा था, पर सच तो यह है कि इसने आम आदमी की जिंदगी में खास बदलाव लाने के बजाए यथा स्थिति बनाए रखने का ही काम किया है। इससे अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी हुई है। सुखी समाज की जगह दुखी समाज इसने पैदा किया है।

सांस्कृतिक संकट: जब संस्कृति का सूरज विनाश के बादलों से घिर जाता है, समाज का उपवन जाति-पांति और भेदभाव के पतझड़ों से भर जाता है और धर्म का सच्चा अर्थ जब धूमिल होने लगता है तब किसी महापुरुष का अवतार हुआ करता है। देश के पास विशाल सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद आज लोगों ने त्याग और सेवा के महत्व को भूला दिया है और हम पर कुछ असुरी शक्तियाँ हावी होती जा रही है। आखिर तभी तो देश चरित्र के संकट के दौर से गुजर रहा है। चरित्र का यह संकट राष्ट्रीय जीवन को शक्ति, धन और पद के लिए चल रही होड़ भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के रूप में भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्र सेवा, त्याग, बलिदान और समाज सेवा की जो निःस्वार्थ भावना दृष्टिगोचर होती थी वह सर्वथा लुप्त होती जा रही है। आखिर इसके कारण क्या हैं?

हम सब साक्षी हैं कि पश्चिम की संस्कृति आज पूरब के देशों में अबाध गति से फल-फूल रही है और हम भी उसके घेरे के भीतर खींचे चले जा रहे हैं। आज हमें यह नहीं मालूम कि हम अपने अस्तित्व के कौन से सांस्कृतिक धरातल को अपने पांव तले अनुभव कर रहे हैं, कौन-सा आकाश है जिसकी प्राणवायु हमारे भीतर आ रही है। प्रगति की अंतहीन स्पर्द्धा में क्षुद्ध स्वार्थों से भरा हुआ चालाक और हृदयहीन मध्यवर्गीय व्यक्ति अपनी सामाजिकता के संकीर्ण घेरे से बाहर पसरी गरीबी को आँख खोलकर देखने से बचता है क्योंकि वह पिछड़े हुए और आधुनिक मनुष्यों की दुनिया है। हम सब आत्मकेन्द्रीत होते चले जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान का दुख और दायित्व कतई नहीं व्यापता। सामाजिक करुणा का कोई भी स्त्रोत हमारे आत्मलीन हृदय को विचलित नहीं कर सकता। आत्मकेन्द्रीत और संवेदनहीन आज का मनुष्य समसामयिकता की तात्कालिक संस्कृति को आधुनिकता समझ बैठा है जिसके परखने के लिए उसके पास देशी मापदंड नहीं, नितांत यूरो-अमरीकी प्रतिमान हैं। इसलिए उसकी आधुनिकता विभिन्न क्षेत्रों में फैशन के निरंतर बदलते रूपों में व्यक्त होती है। फलतः समाज लगातार व्यक्तियों की सामूहिकता और सहभागिता से वंचित होता जा रहा है। अपसंस्कृति के माया बाजार पॉप, रॉक और डिस्को का शोर है। हम अपनी मूल भाषा और मूल सभ्यता-संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति, भेष-भूषा और सभ्यता को अपनाने लगे हैं। देश की सभ्यता-संस्कृति की रक्षा, इसकी भौगोलिक स्थिति की सुदृढ़ता और इसकी अखण्डता की ओर किसी का ध्यान नहीं है।

मनोरंजन उद्योग ने अश्लील मुद्राओं का घटाटोप रच डाला है। हमारा समकालीन संसार विसंस्कृतिकरण के एक अपूर्व दौर से गुजर रहा है। शिक्षा व्यक्ति के सामाजीकरण और नैतिक-सांस्कृतिक-अनुकूलन का माध्यम नहीं रह गयी है। उपनिवेशवाद की कृपा से लादी गई अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व के कारण हिंदी कुचल दी गई है। हमारी आत्मा का सबसे जीवंत भाग लहुलुहान हो चुका है। हमें इस विषम परिस्थिति में अब सोचना होगा कि समाज के ज्ञात-अज्ञात कोनों में छिपे सांस्कृतिक बमों का शमन किस प्रकार हो सकेगा। हमें लगता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर के विचार को जगाए रखकर ही इस संकट से उबर सकते हैं।

वैचारिक संकट: आप इस बात से सहमत होंगे कि आज देश के समक्ष वैचारिक संकट अपने असली रूप में सारे नकाब झाड़कर खड़ा है। वैचारिक संकट का सबसे दरिद्र और दयनीय प्रदर्शन संस्कृति और साहित्य के ताबेदारों द्वारा ही किया जाता रहा है। मौलिक चिंतन की अनुपस्थिति और बड़े सामाजिक आंदोलन के न होने के पीछे संभवतः धर्म-प्राण संस्कृति है जो भाग्य, भगवान, अवतारों में लौ लगाना सिखाती है। सभी वर्गों और वर्णों में इसके संस्कार समा गए हैं। फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता कुचल दी गई है।

जब देश में हर आदमी गलत काम कर रहा हो, प्रवृति सुविधाभोगी हो गयी हो, लोकतंत्र की ओट में निरंकुश भीड़तंत्र की हुकुमत हो, ऊँची कुर्सियों पर बैठे लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया हो, प्रशासनिक अधिकारी अपना दायित्व भूल गए हों, पूरा तंत्र आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया हो तब खूनी क्रांति नहीं वैचारिक क्रांति जरूरी हो जाती है। यह वैचारिक क्रांति चिंतक व विचारक ही लाने में समर्थ हो सकते हैं। वे चाहें तो लोगों के सोच का अंदाज बदलकर वैचारिक क्रांति ला सकते हैं।

सच कहा जाए तो विचार एक वेदना है। वह मुद्दे खड़ा करता है। कोख में जीवित बच्चे की लताड़ की तरह वह विचारकों को

अपने प्रति संवेदनशील ही नहीं बनाए रखता, आगामी कष्टों के प्रति उत्सुक और संभावित मृत्यु के प्रति उत्साहित बनाए रखता है। वह अपनी उपस्थिति भूलने नहीं देता। इसीलिए आज विचार से कतराया जा रहा है, उसे टाला जा रहा है। उसके उपजने की जमीन को बंजर बनाया जा रहा है। आखिर तभी तो प्राय: सभी राजनीतिक दलों में प्रबुद्धजनों की पूछ नहीं के बराबर है। ऐसी परिस्थिति में विचारकों यह दायित्व बनता है कि वे लोगों में सोचने, विरोध करने और विचार की जमीन पर एकत्र होने की प्रवृति को पुन: प्रेरित करने का प्रयास करें। विचार को आंदोलन बनाना होगा और सफाई के लिए खुदाई खिदमतगारों को अपने फावड़े के साथ सीधे आवाम के घरों में जाना होगा। इसके लिए जरूरत है आज ऐसे विचारों की, जो परिवर्तन की दिशा तय करने और उसे मुकम्मिल करने में मददगार हो। विचार नहीं होंगे तो सुधार की आकांक्षाओं को नारेबाजी के उस्ताद बंधक बना लेंगे। जिस समाज में वैचारिक मुठभेड़ें या बौद्धिक विमर्श नहीं होते वह तो निर्जीव और मृतप्राय: होता है। भारतीय समाज के लोग जब तक अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाईयाँ नहीं लड़ेंगे, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विपन्नता के विरूद्ध आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक समाज की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। आज की परत-दर-परत भ्रष्टाचार वाली राजनीति के सिद्धांतों के झूठे लबादों और मुखौटों को तमाम चेहरों से नोचकर उनकी असलियत को उजागर करने की जरूरत है। देश को चलाने वाले राजनेता काजल की कोठरी में रहते-रहते खुद इतने काले हो गए हैं कि उन्हें सच की सफेदी तक को देखकर उक्साई आने लगती है।

राष्ट्रपति: हमारा वर्तमान अगर स्वाधीनता संग्राम के निकट अतीत से भी कोई नाता बनाए रख पाता तो आज हमारा सामाजिक जीवन सत्ता की राजनीति और उसकी प्रक्रियाओं से भयानक तौर पर शासित होकर इतना इकहरा न होता। हमें अपनी जड़ों से विछिन्न वर्तमान की कुँजलकों को समझना कठिन तो है, मगर असंभव नहीं। मुश्किल महज इतनी ही है कि मरणोपरान्त मनुष्य की चीखें किसी रूग्नता का समाधान नहीं देती। वर्तमान की रूग्नता और आत्महीनता एवं सारी चुनौतियों से जूझने तथा उस पर विजय पाने के लिए भ्रष्टाचार रहित राजनीति, स्वतंत्र, स्वच्छ एवं जिम्मेदार न्याय पालिका और विधायिका की सर्वोच्चता को लोकतंत्र के लिए मजबूत करना होगा। ऐसी परिस्थिति में एक जिम्मेदार राष्ट्रपति का होना निहायत जरूरी हो जाता है जो आम जन के लिए संविधान प्रदत अधिकारों को दिला सके।

आज समाज का प्रत्येक तबका, प्रत्येक व्यक्ति संविधान के मूलभूत अधिकारों की माँग कर रहा है। समाज का वर्तमान ढाँचा इस माँग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्वतंत्रता की भूख जगी है। केवल वोट देने की स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी चाहिए। उसे बराबर का हक भी चाहिए, कोरा आश्वासन नहीं। ठोस बराबरी, जिसे वह महसूस कर सके। इसके अतिरिक्त वह बन्धुत्व के साथ-साथ अंशत्व का बोध यानी अस्मिता भी चाहता है।

देश की आजादी के बाद पिछले 55 वर्षों के दौरान घटी छोटी-बड़ी ऐसी सभी घटनाएं अब तक देश के सभी क्षेत्रों में बसे लोगों के जेहन में दर्ज है। इसलिए अब यह मानकर नहीं चला जा सकता कि कोई भी राजनीतिक दल जिस तरह लोगों को समझाना चाहेगा, वह आसानी से समझा सकता है। समय-समय पर देश के लोग तो यह साबित करते रहे हैं और फिर यह साबित कर देंगे कि जनता की याददाश्त को कमजोर समझनेवालों की खुद की याददाश्त लगातार किस तरह कमजोर होती जा रही है। लोगों को यह भी याद रहेगा कि लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अब ताक पर रख दिया गया है।

जुलाई, 2002 के अन्त में वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस दृष्टि से पक्ष एवं विपक्ष में राष्ट्रपति के पद को लेकर कवायद शुरू हो गयी है। संसद व राज्यों की विधानसभाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों का जिस तरह का प्रतिनिधित्व है उसमें कोई भी दल डंके की चोट पर अपने उम्मीदवार को जिता सकने का दावा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी संभावना है कि वर्तमान राष्ट्रपति के० आर० नारायणन वाममोर्चा व कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं लेकिन सतारूढ़ राजग गठबंधन की सरकार उन्हें दूसरा कार्यकाल दिए जाने के कतई पक्ष में नहीं है।

कारण स्पष्ट है कि वर्तमान राष्ट्रपति के० आर० नारायणन ने इस बीच अपने कार्यकाल में संविधान की मर्यादा को कायम रखते हुए कई मौके पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में या लिखित रूप में कार्यालय की संचिका में अपनी टिप्पणियों में न केवल सरकार के कामकाज से अपनी नाराजगी जताई है बल्कि राष्ट्र के नागरिकों को भी सचेत किया है जिसे संभवत: सतारूढ़ दल पचा नहीं पा रहे हैं। आपको याद होगा कि वर्ष 2000 में राष्ट्रपति के०आर० नारायण ने गणतंत्र की 50 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में संविधान समीक्षा के सरकार के फैसले के बारे में आशंका व्यक्त करते हुए कहा था-"हमें यह विचार करना होगा कि संविधान विफल रहा या हम संविधान का पालन करने में विफल रहे।" फिर, उन्होंने राष्ट्रपति शासन प्रणाली के प्रति भाजपा की घोषित पसंद की ओर संकेत करते हुए चेताया, "हमें अपनी शासन प्रणाली में अत्यधिक कठोरता से बचना चाहिए क्योंकि बेहद कठोर (राष्ट्रपति) प्रणाली में समाज में भारी विस्फोटों का खतरा होता है।"

जहाँ तक राष्ट्रपति के लिए काविलियत का सवाल है मुझे नहीं लगता कि वर्तमान राष्ट्रपति किसी और उम्मीदवार से उन्नीस होंगे। वैसे भी अपने कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्र की गरिमा, उसकी एकता व अखण्डता को बरकरार रखने में अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग किया है। हाँ, यदि राष्ट्र की गरिमा पर कभी आँच आई भी है या उसकी एकता व अखण्डता पर खतरा मंडराया भी है तो केन्द्र सरकार की कारगुजारियों के चलते, न की राष्ट्रपति के कारनामों की वजह से। ऐसी विकट स्थिति में जब देश के समक्ष कई चुनौतियाँ खड़ी हैं, वर्तमान राष्ट्रपति के०आर० नारायणन को दूसरे कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर रहने देना संभवत: राष्ट्रहित में होगा और उनकी गरिमा के अनुरूप भी।

गणतंत्र का भूत, वर्तमान और भविष्य

❑ डॉ० एस० तंकमणि अम्मा

गणतंत्र की सफलता, सार्थकता एवं भविष्य जन-जन के जागरण एवं सुधार में निहित है।

छब्बीस जनवरी 2002 - भारतीय गणतंत्र की 52 वीं वर्षगाठ-के सदर्भ में हमारे गणतंत्र के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोच-विचार करना असमीचीन नहीं होगा।

शानदार एवं संघर्षपूर्ण विविध घटनाओं को समेटकर भारतीय गणतंत्रके इक्कावन वर्ष बीत गये। इन वर्षों के दौरान गणतंत्र की शक्ति और सीमाओं की सही पहचान के कई अवसर हमें मिले। पच्चास-बावन सालों की अवधि दरअसल किसी भी तंत्र की सफलता के सही मूल्यांकन के लिए कम हैं किन्तु इसे उतना कम मानना भी असंगत होगा। "होनहार बिरवान के होत चीकने पात" - वाली उक्ति हमारे सम्मूख है ही।

गरिमा मंडित अतीत पर गर्व करना सहज है। किन्तु हमें जीना है वर्तमान में। वर्तमान तो यथार्थ होता है, यही कारण है कि वर्तमान से गुजरते हुए कांटों को झेलना पड़ता है। अतीत की गरिमा को वर्तमान से सिद्ध करने में ही हमारी सफलता है।

गरिमा मंडित अतीत पर गर्व करना सहज है। किन्तु हमें जीना है वर्तमान में। वर्तमान तो यथार्थ होता है, यही कारण है कि वर्तमान से गुजरते हुए कांटों को झेलना पड़ता है। अतीत की गरिमा को वर्तमान से सिद्ध करने में ही हमारी सफलता है। कटु यथार्थ के भीतर भी-घोर अंधकार के बीच में भी-बिजली की कौंध-आलोक की रेखा- हमें आश्वासन देती है। भविष्य संबंधी हमारी **विचार दृष्टि** यही है। भविष्य के प्रति आशावान होने में गणतंत्र का भविष्य भी आशापूर्ण है। ज्ञान-विज्ञान, सूचना-प्रौद्योगिकी आदि के अभूतपूर्व विकास के इस युग में न जाने क्या संभव नहीं रह गया है। सारी पुरानी संकल्पनाएँ हमारे सामने नये मानों में लौट आयी हैं। "वसुधैव कुटुंबकम्" 'ग्लोबल विलेज' (विश्व ग्राम) के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। 'क्लोनिंग' द्वारा जीव की सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है। भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण), उदारीकरण जैसी नीतियाँ भी लौटकर नूतन ढंग से आयी है। ब्रह्मास्त्र, वरूणास्त्र, आग्नेयास्त्र, गरूडास्त्र, नागास्त्र सब के सब बमों, व मिसाइलों के रूप में अवतरित हुए हैं। पल भर में मानव का प्रयाण प्रगति की ओर है।

सालों की गुलामी के पश्चात देश को आजादी मिली तो जन-जन के मन में कितने-कितने सपनों को साकार करने की संकल्पनाएँ थीं। देश आजाद हुआ, जनतंत्र शासन शुरू हुआ, संविधान बना, गणतंत्र की घोषणा हुई, भारतवासी मन ही मन हर्षित हुए। संविधान के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जनतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका स्वरूप संघीय है जिसमें एक केन्द्रीय तथा अन्य राज्य सरकारों की व्यवस्था है। संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विचार अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता, उन्नति का समान अवसर आदि का प्रावधान है। राष्ट्रीय एकता पर भी जोर दिया गया है। संपूर्ण राष्ट्र एवं राज्यों के लिए हितकारी अनेक कार्यों की व्यवस्था संविधान में है। संविधान की व्यवस्थाओं की कार्यवाही नियमानुकूल सही ढंग से संपन्न हो तो राष्ट्र के लिए यह बेहतर ही होगा किन्तु विडंबना की बात है कि संविधान के लागू हुए तथा देश को गणतंत्र बने बावन वर्ष हुए, उससे ज्यादा संख्या में संविधान में संशोधन हुए हैं या करने पड़े हैं।

इस गणतंत्र देश में हमने क्या हासिल किया यह वस्तुतः विचारणीय विषय है। गणतंत्र तभी सफल बनेगा जब आम जनता का जीवन शान्ति एवं सुखपूर्ण होगा। मुक्तिबोध ने जो प्रश्न किया था-

'मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में
सभी मानव
सुखी, सुन्दर व शोषण मुक्त कब होंगे'

वह अब भी हमारे कानों नें गूँजता है।

रोटी, कपड़े, मकान आदि से जनता का बाहरी जीवन चल सकेगा, किन्तु जनता को शिक्षित बनाकर, उसे अपनी सांस्कृतिक विरासतों के महत्व से अवगत कराने का दायित्व शिक्षा से ही संपन्न हो सकता है। जरा सोचों कि शिक्षा के लिए हमारे गणतंत्र ने क्या स्थान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि हमारे देश में काफी उन्नति हुई है तो भी उसकी मूल संकल्पना में कहीं कुछ गड़बड़ी है। राजनीतिक दलों ने शिक्षा को जो महत्व दिया है उसका प्रस्पष्ट प्रमाण है कि शिक्षा के लिए संघशासन में एक स्वतंत्र मंत्रालय तक नहीं है। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत शिक्षा विभाग है ही।) इस कारण भारतीय गणतंत्र की एक आम, समग्र और सुदृढ़ शिक्षानीति कायम नहीं हो सकी है।

गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी है तथा राज्य की मुख्य भाषा अपने राज्य की राजभाषा है। किन्तु राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में इतने सालों के बाद भी हम सफलता हासिल नहीं कर पाये हैं। बदलकर आनेवाली सरकारों की भाषानीति के कारण हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के दरवाजे बन्द या अधखुले रह गये हैं।

"निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान कै मिटत न हिय को सूल।"

वाली भारतेन्दु की पंक्तियाँ इस देश के नेता एवं नागरिक सुविधापूर्वक भूल जाते हैं। आज भारतीयों का अंग्रेजी प्रेम तथा उसके द्वारा उपजा पाश्चात्य संस्कृति प्रेम अंग्रेजों को भी चकित करनेवाला है। आज मेकाले होता तो यह देखकर खुश हो जाता कि सरकार गुलाम देश के साथ जो कर नहीं सकी, उसे आज आजाद देश बखूबी कर दिखाता है।

आये दिन में राष्ट्रीयता की भावना का लोप तेजी से होता जा रहा है। प्रांतीयता और उग्र सांप्रदायिकता की जड़ें गहरी ओर मजबूत होती जा रही हैं। बाह्य आक्रमणों के समय देश ने राष्ट्रीयता का सही और गहरा परिचय दिया है किन्तु देश के भीतर ही प्रान्तीयता और सांप्रदायिकता पनप रही है जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है उसे दूर करने के लिए सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठाती है।

दलितों की समस्या का हल अब तक हो नहीं पाया है। राष्ट्र के समग्र विकास में दलितों एवं महिलाओं की भी स्थिति थोड़ी सुधरी जरूर है किन्तु आज भी शासन के स्तर पर उसे उचित सहयोग नहीं दिया जा रहा है। संसद में महिला आरक्षण का विधेयक अब तक पारित नहीं हो पाया। सारे के सारे राजनीतिक दल इसके लिए उत्तरदायी हैं।

दलितों की समस्या का हल अब तक हो नहीं पाया है। राष्ट्र के समग्र विकास में दलितों एवं महिलाओं की भी स्थिति थोड़ी सुधरी जरूर है किन्तु आज भी शासन के स्तर पर उसे उचित सहयोग नहीं दिया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास के इस काल में दूरदर्शन, केबल, सेलूलरफोन, फैक्स, कंप्यूटर, नेटवर्क आदि के सदुपयोगों से ज्यादा उसके दुरुपयोग के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी ही दिखाई दे रही है। इससे भारतीय युवापीढ़ी में बलात्कारात्मक, हिंसात्मक तथा आलस्य की प्रवृत्तियों का प्रश्रय होता जा रहा है। इस ओर तनिक ध्यान न दे तो यह चिंतनीय है कि मनुष्य का भविष्य किस ओर? - मानवता की ओर या दानवता की ओर?

गत बावन वर्षों के दौरान न जाने कितनी विभीषिकाओं से देश को गुजरना पड़ा बंद, हड़ताल, अनशन, घेराव आदि तो रोजमर्रा की चाजें बन गयी हैं। विदेशी आक्रमण,आपत्काल, स्वर्णमंदिर कांड, असम, पंजाब, जम्मू-कश्मीर व बिहार में आतंकवाद, बाबरीमस्जिद का विध्वंस, कश्मीर समस्या, युद्ध की धमकियाँ आदि कितनी समस्याएँ। किन्हीं समस्याओं के हल निकाले गये हैं और किसी किसी के हल की अवधि अनंतकालीन होती जा रही है।

सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर की खोज में हम अन्त: राजनीति का आसरा लेते हैं और यह निष्कर्ष निकालकर चुप्पी साधते हैं कि सब के सब का एकमात्र कारण भ्रष्ट राजनीति है। फिलहाल क्या देखा और सुना जा रहा है। हर दिन किसी न किसी राजनेता का घोटाला, रिश्वत, गबन व भ्रष्टाचार। यत्र-तत्र-सर्वत्र राजनीति का अपराधीकरण। इससे उबरना नितांत आवश्यक है। सचमुच राजनीति को सही अर्थ में न लेनेवाले राजनीतिज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही है। काले धन की ताकत से विधान सभाओं तथा संसद में जानेवाले राजनेता भ्रष्टाचारी हो ही जाते हैं। सत्ता केंद्रित बने रहना और बेईमानी करना राजनीति का तात्पर्य नहीं है। राजनीति वाकई राष्ट्र का नीतिधर्म है। समाजसेवी का दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त करने के बाद कोई निष्ठावान व्यक्ति राजनेता बन जाये तो उसके कार्य से हर जाति, धर्म और संप्रदाय का लाभ हो सकता है। हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है, किन्तु कमी इसमें है कि आज के नेता विचारक नहीं है। प्रखर चिंतकों की कमी के कारण हमारा राजतंत्र विगड़ता जा रहा है। भ्रष्ट राजनीति के कारण राष्ट्र का विनाश होता है। बायरन का कथन अक्षरश: ठीक है कि "एक हजार साल भी मुश्किल से एक राष्ट्र बना पाते हैं किंतु वही राष्ट्र एक घंटे में समाप्त हो जाता है।" गौर से सोचा जाय तो भ्रष्ट राजनीति के लिए दोषी मात्र नेतागण नहीं हैं, हर जनता उसके लिए उत्तरदायी है।

आजकल मानवीय मूल्यों की गिरावट जीवन के हर क्षेत्र में घर कर गयी है। इतने भौतिक विकास के दौरान मानव अपनी मानवीयता को भूल जाने को विवश हो गया है। यही कारण है कि हमारे सामाजिक क्षेत्र में अपहरण, बलात्कार, उत्पीड़न, हत्याएँ आदि की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य अपने चरित्र और मानवीय गुण को भूल जाता है तो समझना चाहिए कि उसका विनाश निकट है। प्रेमचन्द ने ठीक ही लिखा है -"जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नहीं है इसमें योजना काम नहीं कर सकती।" हमारे सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक क्षेत्र की चरित्रहीनता ही हमारे देश की योजनाओं की सफलता में बाधक होकर खड़ी है। इन बाधाओं को रोककर गणतंत्र की सुरक्षा का दायित्व किस पर है? नि:संदेह हमारे ही ऊपर है- आम जनता के ऊपर है। उनको जागृत करने का दायित्व सत् साहित्यकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं पर निहित है। गाँधीवाद के विविध तत्वों के आधुनिक युगानुकूल सन्निवेश से समाजसुधार का कार्य किया जा सकता है।

गणतंत्र राष्ट्र में मतदान देने मात्र से जनता का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता। यह भी देखना उसका धर्म है कि अपने मतदान का सदुपयोग होता है कि नहीं, राष्ट्र हित संपन्न होता है कि नहीं। जनता की चुप्पी ही राजनेताओं को कोई भी तिकड़म करने की हिम्मत देती है। जनता जाग उठेगी, वह अपने उत्तरदायित्वों और अधिकारों को पहचान लेगी, जनता की मानसिकता में सुधार आ जाएगा तो निश्चय ही हमारा गणतंत्र सफलता और सार्थकता हासिल कर सकेगा तथा उसका भविष्य आशापूर्ण होगा। बस, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का यह मंत्र-जाप-"अपने अन्दर की ओर देखो तथा अपने आप को पहचानो" और उसका कार्यान्वियन मनोयोग के साथ करें।

**संपर्क:- प्रोफेसर एवं अध्यक्षा, हिन्दी विभाग,
केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनंतपुरम**

कहानी

नवचेतना

❑ राज चतुर्वेदी

सुविधा ने जब दूसरी बेटी को जन्म दिया तो औरों की वह क्या कहे, स्वयं उसकी मां ने ही रूआंसे स्वर में कहा था-"ऐ बाई, सास ने पोते का मुंह दिखाती तो ससुराल में थारो मान बढ़ जातो।" पर सुखिया तो जैसे सुखिया ही थी, हर हाल में संतुष्ट, बेफिक्र। वो तो यही सोचती-औलाद काई मान बढ़ासी? मान तो आदमी के खुद के कामा से बढ़ै। फिर देसी कहावत भी तो है- "या तो रोटी नाम निकालै या बेटी नाम निकालै।" अपनी भारतीय संस्कृति में तो "रोटी," "बेटी", को समान महत्व दिया गया है-बेटी हो गई तो क्या हुआ-? सुखिया और उसके पति सुखराम का दलित वर्ग के होने के बावजूद सोच बहुत ऊँचा अलग था। पति-पत्नी की एक ही मान्यता थी-पुत्र हो अथवा पुत्री, गुणों से ही राष्ट्र व परिवार का नाम व गौरव बढ़ाते हैं। दोनों ने अपनी बेटियों को बड़े जतन से पालन पोषण किया था। नाम भी अपने ऐसे विचारों के अनुसार रखे थे-मैत्रेयी और गार्गी। दोनों ही पढ़ने-लिखने में जहीन थी। देवयोग से बड़ी बेटी को उसके अनुरूप योग्य वर मिल गया और बगैर दहेज दिए विवाह हो गया-सब कुछ ठीक-ठाक। पर गार्गी और आगे पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ बनना चाहती थी- एक मामूली औरत से ऊपर। वह मैत्रेयी की अपेक्षा अधिक मेधावी, महत्वाकांक्षी थी। बचपन से ही हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती रहीं अन्य प्रतियोगिताओं में भी विशिष्ट स्थान प्राप्त करती रहीं- जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सोना तप कर और खरा होता चला गया, समय के साथ और दमकता गया। उसे आज सब कुछ याद आ रहा है अपने श्रम, लगन व योग्यता के आधार पर उसे जब जब भी अच्छे अंक प्राप्त होते अथवा वजीफा मिलता-"सम्मान समारोह" में इसके लिए उसका नाम पुकारा जाता तो अपने लिए वो शाबाशी के शब्द तो बहुत कम सुन पाती थी। वह जब समारोह में परितोषिक लेने आगे बढ़ती तो उसे अपने कानों में हथोड़े की चोट मारते फिकरे सुनने को मिलते-"भई अब तोये दलित लोग ही आगे बढ़ेंगे, सरकार भी तो इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसीलिए तो सब कुछ इनकी मुट्ठी में सरकता चला आता है। तभी दूसरी ओर से कांटों सी पैनी दूसरी आवाज सुनाई देती-देखना एक दिन तो हमें कोई पूछने वाला ही नहीं रहेगा। हम लोग तो कहीं इनके पीछे की कतार में खड़े मिलेंगे... .... और तभी उनमें से कुछ लोग व्यंगात्मक हंसी के ठहाके भी लगा देते थे। कैसे उद्वेलनभरे होते थे वो दिन, जब खुशी और गम की धूपछांव में उतरती चढ़ती वह, क्षितिज के उस पार देखती रहती थी, जहाँ उसे अपनी अंतिम मंजिल दिखाई देती थी, जहाँ उसे पहुंचना था- कसाले की सारी बाधादौड़ को पार करके। कभी-कभी इन तीखे व्यंगबाणों व पैनी आवाजों को सुनकर वह बहुत क्षुब्ध हो उठती थी, पर शीघ्र ही इस खरोंच को भुलाकर आगे बढ़ने की जद्दोजहद में जुट जाती थी-कैसी अनोखी थी, उसकी साधना और लगन? परन्तु उसकी उपलब्धियों की प्रसन्नता कभी-कभी आधी-अधूरी, चूर-चूर बिखर जाती थी।

उसका अपना सच तो यह था, जिसे वह अच्छी तरह जानती थी कि अपनी जाति की दुहाई देकर, उसने कभी कुछ प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की-जो भी पाया अपनी योग्यता के बल पर। इसीलिए लोगों की यह छींटाकशी उसे मर्मान्तक पीड़ा दे जाती थी। इन छोटी और हल्की बातों से उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती थी। जब उसने आई० ए० एस० में उच्च स्थान प्राप्त किया, कहनेवालों ने उसे तब भी खूब कांटे चुभाये। कहा कि आरक्षण के कारण ही उसे यह सफलता मिली है। वह कई बार अपने आपसे पूछती, क्या उसकी योग्यता व कड़ी मेहनत का कोई मूल्य नहीं? नहीं, वह ऐसा नहीं मान सकती, लोग चाहे कुछ भी कहें। लाइब्रेरी कक्ष में घंटों बैठकर मूल ग्रंथों का अध्ययन कर उसने नोट्स तैयार किए-खाने पीने की सुध भूलकर दिन रात एक कर दिया, पूरी तैयारी कर वह प्रतियोगी परीक्षा में प्रविष्ट हुई, सफल हुई- वह कोई मज़ाक थोड़े ही था। पर जब तब ऐसी हल्की बातें अंदर तक उसके मन को पीड़ा से मथती रहती थीं-अपने 5 वर्ष के सेवाकाल में यही सब सुनते-सुनते वह मर्माहित अनुभव करने लगी थी। बीमार मां का सुचारु रूप से इलाज कराने के लिए वह बेहतर चिकित्सा सुविधा के मुख्यालय पर स्थानान्तरण करातीं-तब भी उसके कानों को वे ही कटूक्तियां सुनने को मिलतीं-"भई आजकल तो इन्हीं लोगों का जमाना है, इन्हीं की बन आई है, जहाँ चाहों वहीं अपनी नियुक्ति करा लो, दूसरों की योग्यताओं को भी कौन पूछता है? पिछड़ी जाति के नाम पर ये आरक्षण का हमेशा लाभ उठायेंगे........। ये तो हम हैं, जो जाति के अभिशाप से मारे मारे फिरते हैं...... बड़ा दुःख होता था उसे, कुण्ठाग्रस्तों की ये सब बातें सुनकर। ऐसे बोझिल पलों में उसका मन कुछ निर्णय लेने को कर गुजरने को मचल उठता। उसका दिल करता कि वह कोई ऐसा कार्य करें, जिससे सिद्ध कर सके कि वह भी कुछ है, उसकी भी शख्सियत है। वह अपने श्रम और योग्यता के बल पर यहाँ तक पहुंची है और आगे भी वह जो प्रगति करेगी, अपनी लगन-श्रम व बुद्धिकौशल के आधार पर करेगी।

उसके मन में हर समय एक द्वन्द्व चलता था-कैसे अपना वैशिष्ट्य, अपनी अस्मिता को सिद्ध करे? ऐसा क्या करे कि दुनिया के सामने उसकी एक पहचान हो ताकि वह फिकरेबाजों के मुंह सील कर उन्हें बता सके कि पिछड़ी कही जाने वाली जाति का मस्तिष्क सवर्ण जाति वालों की तुलना में जड़, चेतनाशून्य नहीं होता। आरक्षण की तो उसे केवल तब आवश्यकता पड़ती है, जब उपेक्षा, भर्त्सना करके प्रताड़ित किया जाता है, प्रगति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं। उसे तो केवल ऊपर उठने के लिए आधार चाहिये, बस थोड़ी सी उर्वराभूमि फिर ऊपर उठने की क्षमता सामर्थ्य तो उसकी अपनी होगी। ताकि पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की संज्ञा दी जाने वाली जातियां भी उसी विधाता, नियंता की सन्तान हैं, जिसकी अपने को उच्च, अभिजात्य मानने वाली जातियां। उनका निर्माण भी पावन भारत भू के परमाणुओं, चंदन माटी से हुआ है।

............शेष पृष्ठ 40 पर

दलितोद्धार की विडंबना

❑ डॉ० महीप सिंह

दलित संदर्भ की दो बातें इस समय मुझे व्यापक और दूरगामी महत्व की दिखाई दे रही हैं। दलितों को लेकर जो असमानतावादी और घृणापूरित व्यवहार इस देश के समाज में सदियों से होता आ रहा है उस पर बहुत कुछ लिखा और बोला जा चुका है। इस स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बीसवीं सदी में भी, जिसे दलितोद्धार और दलित-जागरण' की सदी कहा जा सकता है, ऐसी जड़ मान्यताएं समाज के कुछ वर्गों में प्रचलित रही हैं, जिसने हमारी प्रगतिशीलता और आधुनिक चिंतन पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। दलितों को गाँव के सार्वजनिक कुएँ पर पानी न भरने देना, उन्हें जूते तक पहनने का अधिकार न देना, उनकी स्त्रियों को लाल किनारों वाली धोती न पहनने देना, उनके शवों को गाँव/कस्बे के श्मशान घाट पर जलाने की अनुमति ने देना, उनके स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाने की धारणा को पालना आदि कितनी ही ऐसी बातें हैं जो इस देश में दलितोद्धार के सभी प्रयासों को झुठलाती रही हैं और भारतीय संविधान का खुल्लामखुल्ला मजाक उड़ाती दिखी हैं।

पिछले कुछ दशकों में दलित वर्ग में आई चेतना और उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण अनेक स्थानों पर टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थितियों में अधिकतर दलित ही अपमानित हुए हैं और पिटे हैं। कुछ वर्ष पहले आगरा जिले के एक गांव में दलित परिवार के एक विवाह में दूल्हे ने मुकुट पहना और घोड़े पर भी चढ़ा। अपने आपको ऊँची जाति का समझनेवाले लोग सदा ही यह मानते रहे कि यह अधिकार केवल उनके लिए सुरक्षित है। किसी दलित दूल्हे को यह अधिकार नहीं कि वह मुकुट पहने और घोड़े पर चढ़कर अपनी बारात निकाले। गाँव के जाटों ने न केवल दलितों के इस दुस्साहस पर आपत्ति की, बल्कि दूल्हे और सभी बारातियों की गत बना दी। लम्बे समय तक इस घटना की चर्चा समाचार पत्रों में होती रही थी। दो वर्ष पहले ऐसी ही एक घटना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुई थी। इस जिले के खैराबाद गाँव में सत्य नारायण साल्वी नामक एक दलित युवक ने अपने विवाह के अवसर पर मुकुट पहनने और घोड़े पर चढ़ने की 'जुर्रत' की। गाँव की पुरानी सामंतीय मानसिकता से पीड़ित वर्ग को यह सहन नहीं हुआ था। उन्होंने दूल्हे को न केवल घोड़े से जबरन उतार दिया था, उसे बुरी तरह अपमानित भी किया था। यह सब कुछ पुलिस अधिकारियों के सामने हुआ था, किन्तु उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। यह सब करने वालों के विरुद्ध कोई केस भी दर्ज नहीं किया था।

> **कोई किसी वंचित व्यक्ति अथवा समाज को उसके उचित अधिकार सरलता से दे देता हो, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। अधिकार अपने निश्चय की दृढ़ता से प्राप्त किए जाते हैं।**

इस वर्ष, मई मास में, उसी गाँव के एक अन्य दलित युवक ने फिर वही हिम्मत दिखाई। बलाई जाति के जेतूराम के बेटे सकर लाल ने फैसला किया कि वह अपनी बारात घोड़े पर चढ़कर निकालेगा और दूल्हे वाला मुकुट भी धारण करेगा। उसके इस निश्चय से गाँव में सनसनी फैल गई। लोगों ने उसे समझाया भी, किन्तु वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। गाँव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। संकेत यही थे कि ऊँची जाति के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और दो वर्ष पूर्व घटी घटना को फिर से दोहराया जाएगा। सकर लाल ने इस बार एक सावधानी बरती। उसने तीन दिन पहले ही जिला अधिकारियों को अपने निर्णय की सूचना दे दी और उनसे पुलिस हस्तक्षेप की माँग की। इसका सही परिणाम निकला। बारात वाले दिन उप- मंडल न्यायाधीश और उप पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों सहित वहाँ उपस्थिति थे। सकर लाल ने सभी की उपस्थिति में डॉ० अम्बेडकर के चित्र को हार पहनाया और शान से घोड़े पर सवार हुआ। वहाँ उपस्थित अधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि वे दो वर्ष पूर्व हुई घटना को फिर से नहीं होने देंगे और किसी को यह अधिकार नहीं देंगे कि वे दलितों को अपमानित और पीड़ित करें।

सकर लाल की बारात जब चली तो दलित स्त्रियों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डांडिया नृत्य भी किया। कोई किसी वंचित व्यक्ति अथवा समाज को उसके उचित अधिकार सरलता से दे देता हो, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। अधिकार अपने निश्चय की दृढ़ता से प्राप्त किए जाते हैं। दलित संदर्भ में दूसरी बात अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने पौरोहित्य का एक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। फरवरी 2002 में प्रारम्भ किए गए तीन माह के इस अध्ययन में पुरोहित कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से हैं। इन विद्यार्थियों को जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, व्रत, मृत्यु आदि अवसरों के सभी कर्मकांडों की शिक्षा राज्य के जाने-माने पंडितों ने दी है। पौरोहित्य कार्य में शिक्षित ये सभी विद्यार्थी अब पंडित हो जाएंगे और हिन्दू धर्म के सभी संस्कारों को संपादित कराने का कार्य करेंगे। प्राचीन काल से ही पुरोहितगीरी करने का कार्य केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग ही करते रहे हैं।

यह एक प्रकार से उनका ऐकान्तिक क्षेत्र है। अन्य वर्णों के लोग इस क्षेत्र में न प्रवेश करते हैं, न ही उन्हें प्रवेश की अनुमति थी। किन्तु जिस संस्थान ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों से आवेदन पत्र माँगे उसमें ब्राह्मण होना अनिवार्य नहीं था। परिणामस्वरूप इस सत्र के प्रशिक्षित पंडितों में न केवल ब्राह्मण होंने, बल्कि पिछड़ी जातियों के अब्राह्मण भी होंगे। इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दलित वर्ग के लोग भी हैं, जो पंडित बनकर पुरोहिताई करेंगे। मैं समझता हूँ कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है जो हिन्दू समाज में होने जा रही है। किसी अब्राह्मण का ब्राह्मणत्व प्राप्त करना प्रचीन काल से ही बहुत विवादित रहा है। इस संदर्भ में वशिष्ठ और विश्वमित्र की चर्चा आदिकाल से होती आ रही है। वशिष्ट जन्म से ब्राह्मण थे इसलिए उनके ब्रह्मर्षि स्वीकार किए जाने में कोई दुविधा नहीं थी। विश्वमित्र जन्म से क्षत्रिय थे। वे अपनी तपस्या के बल पर राजर्षि तो हो सकते थे, ब्रह्मर्षि नहीं। फिर सभी कार्य रूढ़ हो गए। पौरोहित्य का कार्य ब्राह्मणों तक ही सीमित हो गया। अन्य वर्णों के लिए अन्य दायित्व निर्धारित हो गए।

प्राचीनकाल में किसी अब्राह्मण ने पुरोहित, पुजारी बनने का दायित्व विभाग हो, ऐसा मेरे अध्ययन में नहीं है। मध्यकाल का एक उदाहरण मुझे याद आता है। पाँचवें गुरु-गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में सरोवर के बीच एक मंदिर बनवाया और उसे हरिमंदिर कहकर पुकारा। उन्होंने ही पूर्ववर्ती गुरुओं, संतों, सूफियों की रचनाओं को एक स्थान पर संकलित करके, एक ग्रंथ बनाया, जिसे उस समय पोथी (या पोथी साहब) कहा जाता था। इस ग्रंथ को उन्होंने हरिमंदिर में स्थापित किया। यहाँ तक कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, किन्तु अनहोनी बात हरिमंदिर के पुजारी की नियुक्ति से प्रारम्भ होती है। उन्होंने एक जाट, भाई बुड्ढा को मंदिर का पहला पुजारी नियुक्त किया। सिख गुरुओं के दरबार में ब्राह्मणों की उपस्थिति और उनका योगदान किसी से कम नहीं था। गुरु तेगबहादुर जी के साथ दिल्ली आकर अपना बलिदान देने वाले भाई मतीदास और भाई सतीदास, दोनों ही ब्राह्मण थे।

हरिमंदिर के पुजारियों में दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण नाम भाई मनी सिंह का है, जिनकी नियुक्ति गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। भाई मनी सिंह कंबोज जाति में जन्में थे। इसलिए सिख-परम्परा में पुरोहित अथवा पुजारी होने के कार्य में वर्ण और जाति का विचार कई सदी पहले ही समाप्त हो गया था। आज दलित वर्ग से आए अनेक पुजारी, ग्रंथी, रागी बहुत से गुरुद्वारों में कार्यरत हैं। उन्नीसवीं सदी में उभरे आर्य समाज ने भी पुरोहित या पंडित होने के लिए ब्राह्मण अनिवार्य को अस्वीकार कर दिया। वहाँ भी पंडित्व की कसौटी योग्यता बनी, न कि वर्ण विशेष। किन्तु सनातनी हिन्दू परम्परा, जो आज भी खुले मन से किसी दलित को अपने मंदिर में आने की अनुमति नहीं देती है, किसी दलित पंडित को पुरोहताई का कार्य सौंपेगी और उसके द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले संस्कारों को स्वीकार करेगी यह बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह नहीं है कि पौरोहित्य कार्य में निष्णात एक दलित पंडित को समाज कितना स्वीकार करेगा? महत्व इस बात का है कि इस वर्जित क्षेत्र में उनका प्रवेश उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करेगा, उनके सम्मुख नए क्षितिज खोलेगा। एक बात की और संभावना है। यदि परम्परागत सनातनी मंदिरों में इन दलित पंडितों को नहीं स्वीकारा जाएगा (जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा) तो अनेक ऐसे मंदिर बन जाएंगे जिन पर वर्चस्व अन्य वर्गों का होगा। कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में एक ऐसी घटना हुई थी। तमिलनाडु के एक नायडू प्रधान गाँव में सवर्ण जाति की देवी का एक मंदिर था। उसमें दलितों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। संभवत: आज भी स्थिति ऐसी ही होगी। किसी भी समाज में ईश्वर, देवी देवता के रूप में एक इष्ट का होना, उसके प्रति आस्था रखना, उसकी पूजा-अर्चना करना उसकी आत्मिक तृप्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। मनुष्य ऐसी आस्था के बिना जी नहीं पाता। जो समाज शिक्षा की दृष्टि से जितना पिछड़ा होता है, उसे ऐसी आस्था की आवश्यकता अधिक महसूस होती है। उसी गाँव के दलितों ने भी अपने लिए एक देवी कल्पित कर ली और उसकी एक मूर्ति बना ली। गाँव के सवर्णों को दलितों का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आदेश दिया कि हमारी देवी की मूर्ति पत्थर की है और वह एक पक्के बने मंदिर देवी की मूर्ति पत्थर की है और वह एक पक्के बने मंदिर में रहती है। यदि तुम लोग किसी देवी की पूजा करना चाहते हो तो करो, किन्तु शर्त यह है तुम्हें अपनी देवी की मूर्ति मिट्टी की बनानी होगी। तुम पक्का मंदिर नहीं बनाओगे। तुम्हारी देवी का आसन खुले में ही रहेगा। दलित मजबूर थे। उन्हें सवर्णों की शर्त माननी पड़ी। उन्होंने अपनी देवी की मूर्ति मिट्टी की बनाई। उसे गर्मी, सर्दी और बरसात में खुले में रखकर पूजा-अर्चना की। बरसात में मिट्टी की बनी मूर्ति पिघल जाती थी। बरसात जाते ही वे अपनी देवी की मूर्ति फिर से बनाते थे।

हमारे वर्जनाशील समाज में व्यक्ति की आस्थाओं पर भी कितने बंधन हैं, यह हम जानते हैं। पिछली सदियों में जन्में अवतारों, गुरुओं, संतों और समाज सुधारकों ने यह प्रयास किया कि समाज को अंध रूढ़ियों और विश्वासों से मुक्त करके उसे संतोष, तृप्ति और सुख भरे जीवन की प्राप्ति कराई जाए, किन्तु वे सभी अपने मन्तव्य में कितने सफल हुए? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के साथ पौरोहित्य कार्य के अधिकारी विद्वान जुड़े हुए हैं। आशा की जानी चाहिए कि यह संस्थान केवल दलित पुरोहित ही नहीं उत्पन्न करेगा, उन्हें पूरे समाज में स्वीकृति और आदर का वह स्थान भी दिलाएगा, जो इनका प्राप्य है।

दैनिक जागरण से साभार

यदि परम्परागत सनातनी मंदिरों में इन दलित पंडितों को नहीं स्वीकारा जाएगा (जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा) तो अनेक ऐसे मंदिर बन जाएंगे जिन पर वर्चस्व अन्य वर्गों का होगा।

विद्रोह का दस्ता दलित वर्ग ही बन सकता है

दलित विमर्श पर संगोष्ठी

पिछले 25 वर्षों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम, मोहनदास नैमिशराय, सुशीला टाकभौरे, कंवल भारती तथा दया पवार सरीखे अनेक दलित लेखकों ने आत्मकथाएं लिखकर अपनी आत्मा के संताप के साथ-साथ दलित समुदाय के जीवन की यातना, पीड़ा एवं भोगे हुए यथार्थ को व्यक्त किया है और डॉ० भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा ग्रहण कर दलित वर्ग के भविष्य की संभावनाओं की तलाश की है। इस प्रकार देखा जाए तो विद्रोह का दस्ता वस्तुत: दलित वर्ग ही बन सकता है। ये उद्‌गार हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी प्राध्यापक डॉ० विजेन्द्र नारायण सिंह के, जिसे उन्होंने 14 अप्रैल, 2002 को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी के सभागार में **राष्ट्रीय विचार मंच** की बिहार इकाई द्वारा **वर्तमान साहित्य में दलित विमर्श** विषय पर आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त किए।

बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेडकर की 110वीं जयंती पर आयोजित इस संगोष्ठी में विषय प्रवर्तन करते हुए **विचार दृष्टि** के संपादक सिद्धेश्वर ने कहा कि समाज और राजनीति में दलित शक्ति के निर्णायक उभार ने दलित साहित्य को स्वीकारने के लिए हमें मजबूर किया है क्योंकि इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय समाज में दलित समुदाय कई हजार वर्षों से अजनबीपन और परायापन का शिकार है जिसे नयी पीढ़ी के रचनाकारों ने अनुभव कर उसे अपने लेखन में वाणी देने का प्रयास किया है। हम इसे ही दलित साहित्य या दलित लेखन कहते हैं।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड, बिहार के अध्यक्ष डॉ० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा प्रेमचन्द तथा रेणु ने अपनी कथाओं के माध्यम से बड़े प्रभावशाली और सार्थक ढंग से दलित वर्ग की पीड़ा और उससे उपजे आक्रोश को अभिव्यक्ति दी है। संगोष्ठी के अध्यक्ष जियालाल आर्य ने कहा कि यह कोई जरूरी नहीं कि दलित लेखन के लिए रचनाकार दलित वर्ग का ही हो पर यह भी सच है कि किनारे पर खड़े होकर डूबनेवाले की पीड़ा को एक हद तक ही अनुभव किया जा सकता है। मंच के सदस्य डॉ० रामशोभित प्र० सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

शिवकुमार, पटना से

16-17 नवंबर को मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक 28 जुलाई को

विगत 26 मई 2002 को दिल्ली के शकरपुर स्थित राष्ट्रीय विचार मंच के केंद्रीय कार्यालय में मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सिद्धेश्वर ने विगत तीन माह की अवधि में सम्पन्न मंच के कार्यकलापों की चर्चा की। गीतकार गोपीवल्लभ सहाय के सम्मानार्थ पटना के गर्दनीबाग स्थित उनके आँगन में आयोजित समारोह और इस अवसर पर हुई गीत-संध्या को महासचिव ने सार्थक बताया। बंगलोर से पधारे संजय प्रकाश तथा जयपुर की प्रो० राज चतुर्वेदी ने भी अपनी-अपनी इकाईयों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। काफी विचार-विर्मश के पश्चात आगामी 16-17 नवंबर को नई दिल्ली में मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया तथा उसके स्वरूप तैयार करने का दायित्व डॉ० रमाशंकर श्रीवास्तव, सिद्धेश्वर, अरुण कुमार भगत तथा डॉ० अनिल दत्त मिश्र, को दिया गया। मंच की कोर कमिटी में उनकी अनुशंसा के बाद उसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। 15 जुलाई को हुई कोर कमिटी की बैठक में उनकी अनुशंसा पर विचार विमर्श करने के बाद आगामी 28 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदनार्थ उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यकारिणी ने मंच तथा विचार दृष्टि के सदस्यता अभियान पर असंतोष व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महासचिव को इस बाबत एक अपील जारी करने का निर्देश दिया। -अरुण कुमार भगत, दिल्ली से

गुजर जाने दो मौसम कविता संग्रह का लोकार्पण

राष्ट्रीय विचार मंच की प० बंगाल शाखा द्वारा कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में बांग्ला कवि कौशिक भट्टाचार्य के प्रथम काव्य संग्रह 'गुजर जाने दो मौसम' का लोकार्पण करते हुए डॉक्टर शरणबंधु ने कहा कि कविता संग्रह को कवि ने उन लोगों को समर्पित किया है, जो कविताओं में जीते हैं। इस संग्रह पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विशिष्ट अतिथि डॉ० शमीम अनवर ने कहा कि कवि का परिवेश, उसकी भाषा, उसके संस्कार हिंदी के नहीं हैं, लेकिन जिस साफगोई से अपनी बात कही है, वह प्रशंसनीय है। कविताओं का फलक विस्तृत है। इस अवसर पर डॉ० राम आह्लाद चौधरी ने कहा कि प्रार्थना करने से नहीं, कर्म करने से भविष्य बदलता है। कर्म का सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है। समारोह के अध्यक्ष डॉ० सय्यद महफूल हसन रिजवी ने कहा कि कवि ने जिस तरह अपनी बात सीधे-सपाट तरीके से कहने का प्रयास किया है, वह निराश कर देनेवाले समय में आशा का एक दीप है। लोकापर्ण समारोह के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें में डॉ० शमीम अनवर, डॉ० शरणबंधु, अनवर हुसैन अंजुम, काली प्रसाद जायसवाल, जीतेंद्र नीतांशु, मुश्ताक अफजल, शहीद फरोगी, घायल जौनपुरी, अलीमुद्दीन अलीम, जीतेंद्र धीर व राजकिशोर राजन ने अपनी कविताओं का पाठ किया।

प्रस्तुति: राजकिशोर राजन, सचिव, रा०वि०मं०,
1/ए, राजेन्द्र एवेन्यू, प्रथम लेन,
उत्तर पाड़ा-712258 (प० बंगाल)

आर्य के सर्जनात्मक साहित्य में परंपरा और परंपरा के विरूद्ध विद्रोह : डॉ० विमल

जियालाल आर्य के सद्य: प्रकाशित काव्य-संग्रह **समय शिला पर** में परम्परा और परम्परा के विरूद्ध विद्रोह झलकता है। कवि ने अत्यंत सरल भाषा में बहुत सहज ढंग से बहुत-सी बड़ी बातें कह डाली हैं। सच तो यह है कि इनके सर्जनात्मक साहित्य में संवाद(Dialogue) से ज्यादा तीन पुरुषों में परस्पर वार्तालाप (Trialogue) है। **दलित कहाँ जाएँ**, इनकी महार्थ शीर्षक रचना है और कविता नसीहतगोई नहीं है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से युग को सावधान और चेतना प्रदान करने का प्रयास किया है। ये उद्‌गार हैं सुप्रसिद्ध समालोचक एवं सौन्दर्यशास्त्र के मर्मज्ञ डॉ० कुमार विमल के, जिसे

उन्होंने 5 मई, 2002 को राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से पटना के सिन्हा लाइब्रेरी सभागार में आयोजित जियालाल आर्य के अद्यतन काव्य-संग्रह **समय शिला पर** का लोकार्पण करते हुए व्यक्त किए।

समारोह के मुख्य वक्ता कवि सत्यनारायण ने कहा कि श्री आर्य की कविताओं में तलस्पर्शी संवेदन, सृजन की सकारात्मक दृष्टि हम पाते हैं। कविता मनुष्यता की मातृभाषा है, इस दृष्टि से मनुष्य की मुक्ति की चाह इनकी कविताओं में स्पष्ट दिखती है। विषयों की विविधता इनकी कविताओं की विशेषता है। कवि सत्यनारायण ने निम्न पंक्तियों को उद्धृत कर अपनी बात की संपुष्टि की-**पैर धरा पर रहें/ ललक हो आसमान छूने की, / सुख, समृद्धि, बुद्धि हो अपनी औरों को देने की/ रग-रग में हो स्वाभिमान, जिन देश-मान अभिलाषा, /समय शिला पर स्वर्ण किरण से लिखो प्रेम की भाषा।**

प्रारम्भ में **विचार दृष्टि** के संपादक सिद्धेश्वर ने श्री आर्य की कृतियों की जानकारी देते हुए कहा कि लोकार्पित काव्य-संग्रह के अतिरिक्त उनके अन्य काव्य-संग्रहों में अमर ज्योति, जय बिरसा, राही, निज प्रिय घर में तथा कहानी संग्रहों में अलग-अलग रास्ते, विश्वास के अंकुर, सत्य का सफरनामा, इज्जत की जिंदगी एवं चतुरी की माँ और उपन्यास **सफेद चादर** प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार इन्होंने न केवल काव्य-जगत को बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। लोकार्पित पुस्तक की **समय शिला पर** शीर्षक कविता की प्रथम दो पक्तियों- **समय शिला पर लिखा भविष्य तुम्हारा/ निज पौरुष से बदलो युग की धारा,/** के माध्यम से अपने पौरुष के बल पर युग की धारा को बदलने की बात कहकर कवि ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के स्वत्व को ललकारा है, जो महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ अरुण कुमार गौतम के सरस्वती वंदना से और अतिथियों का स्वागत किया मंच की कार्यकारिणी के सदस्य डॉ० राधाकृष्ण सिंह ने। समारोह की अध्यक्षता सिन्हा लाइब्रेरी के मुख्य पुस्तकाध्यक्ष डॉ० रामशोभित प्र० सिंह ने की और मंच-संचालन मंच के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धेश्वर ने। इस अवसर पर जिन अन्य प्रबुद्धजनों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनमें राम उपदेश सिंह 'विदेह', आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव का नाम उल्लेखनीय है। मंच की ओर से अतिथियों एवं सुधी श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया आर्य सेवा फाउन्डेशन के सचिव राजेश आर्य ने।

शाहिद ज़मील, पटना से

मंच की राजस्थान इकाई द्वारा चिकित्सा शिविर

बाबा साहब डॉ० भीमाराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर विगत 14 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय विचार मंच की राजस्थान इकाई की ओर से जयपुर स्थित मनोहरपुरा कच्ची बस्ती के जगतपुरा के शिवालिक पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में आयोजित एक आयुर्वेद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर में 145 रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ नि:शुल्क दवाएं दी गई। शिविर का उद्‌घाटन करते हुए न्यायमूर्ति आर०एस०वर्मा ने मंच के इस कार्यकलाप की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि थे जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ० लक्ष्मी कान्त पाठक। मंच की अध्यक्षा प्रो० राजचतुर्वेदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में चिकित्सक सहित सभी मान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए मंच के उद्येश्यों पर प्रकाश डाला। शिविर के व्यवस्थापक सज्जन सिंह भाटी, प्रभारी वैद्य बी० के० व्यास ने संबोधित किया तथा मंच की उपाध्यक्ष श्रीमती लता मोहन ने सभी चिकित्सकों व अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रस्तुति:- पल्लवी सिंह चौहान, संयुक्त सचिव,
रा०वि०मं०, जयपुर, राजस्थान

गीतकार गोपीवल्लभ के सम्मान में गीत-संध्या

पिछले कई माह से अस्वस्थ चल रहे सुप्रसिद्ध गीतकार गोपीवल्लभ का आज उनके गर्दनीबाग निवास पर राष्ट्रीय विचार मंच तथा दिल्ली से प्रकाशित विचार दृष्टि पत्रिका की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में नगर के प्रबुद्धजनों द्वारा उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की मंगलकामना की गयी। समारोह के अध्यक्ष डॉ० साधुशरण ने इस अवसर पर उन्हें अंगवस्त्रम् तथा शॉल भेंटकर सम्मानित किया। इसके पूर्व मंच के राष्ट्रीय महासचिव सिद्धेश्वर ने उन्हें अभिनंदन पत्र-समर्पित करते हुए कहा कि गोपीवल्लभ ने अब तक न केवल तीन सै से भी अधिक हिंदी गीत, नवगीत, गज़ल, संस्मरण, समीक्षा, भेंटवार्ता तथा वैचारिक टिप्पणियों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बल्कि आपके गीतों की अनुगूँज ने बिहार की सीमाओं को पार हम बिहारवासियों को गौरवान्वित किया।

कार्यक्रम में गोपवल्लभ पर केन्द्रीत विचार दृष्टि के 11वें अंक का लोकार्पण करते हुए उनके समकालीन कवि सत्यनारायण ने कहा कि 1974 के जे०पी० आन्दोलन के वक्त नुक्कड़ गीतों के माध्यम से गोपीवल्लभ ने जहाँ जागरूक नागरिक के कर्तव्य-बोध का अहसास कराया वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के पक्ष में आम जन-मानस को झकझोरा। प्रारम्भ में डॉ० एस०एफ० रब ने अतिथियों का स्वागत किया तथा डॉ० शिवनारायण ने लोकार्पित अंक पर एक दृष्टि डाली। समारोह में उपस्थित डॉ० रवीन्द्र राजहंस, डॉ० राधाकृष्ण सिंह, आचार्य संजय सरस्वती, बाँके बिहारी तथा परेश सिन्हा आदि ने गोपीवल्लभ के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की। इसके उत्तर में गोपीवल्लभ ने अत्यंत भाव-विह्वल हो लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रगट की।

समारोह के दूसरे चरण में राजकुमार प्रेमी, रवि घोष, मृत्युंजय मिश्र 'करुणेश', चन्द्र प्रकाश माया, हरीन्द्र विद्यार्थी, अरुण कुमार गौतम तथा डॉ० भ्रमर चौधरी ने अपने गीतों का सस्वर पाठ कर सुधी श्रोताओं को सुधा-रस का पान कराया। अन्त में मंच के महासचिव मनोज कुमार ने उपस्थित प्रबुद्धजनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

पृष्ठ 35 का शेषांश.........................

विचारों के झंझावातों के बीच उसने एक कड़ा निर्णय ले लिया- इस महिमामण्डित पद को त्यागकर वह अब पत्रकारिता के जोखिमभरे डगर पर चलेगी, उसने योग्यता सूची में स्थान प्राप्त कर पत्रकारिता की सर्वोच्च उपाधि भी तो प्राप्त की है, वह एक विचार पत्रिका निकालेगी। उसके दृढ़ आत्मविश्वास ने सब प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर कर दिया और कुछ ही माह में "नवचेतना" नाम की भव्य कलेवर वाली सामग्री, समृद्ध मासिक पत्रिका प्रमुख अध्येताओं के सम्मुख आ गई। इस विचारोत्तेजक पत्रिका की सुगंध शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। नारी जागरण का तो वह सजल सम्बल थी ही पर देश का शोषण करनेवाले, समाज में प्रदूषण फैलानेवाले कुचक्रियों का भी उसने पर्दाफाश किया, झूठी प्रतिष्ठाधारी दिग्गजों को धराशायी किया और देश के प्रमुख जागरूक पत्र पत्रिकाओं के बीच उसने अपनी एक खास पहचान बना ली। और आज जब वह देश की शीर्ष संस्था द्वारा चयनित होकर तालियों की गड़गड़हट के बीच श्रेष्ठ सम्पादक का सम्मान व प्रशस्तिपत्र प्राप्त कर रही है तो मानों उसका युग-युग का बिना बैसाखियों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिष्ठापित करने का सपना साकार हो गया। कोई अब ओछी, कुण्ठाजन्य पब्तियां कसकर उसके व्यक्तित्व, कृतित्व को अपमानित, सीमित नहीं करेगा।

संपर्क:-23 चन्द्र पथ, पश्चिम सूरज नगर, सीविल लाइन्स, जयपुर -6

बाल साहित्य पुरस्कारों के लिए प्रविष्ठियां आमंत्रित

चित्तौड़गढ़ : बाल साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार "राष्ट्रकवि पं० सोहनलाल द्विवेदी बाल साहित्य पुरस्कार-2001" के लिए हिन्दी बाल साहित्य की मौलिक/ प्रकाशित कृतियां आमंत्रित की जाती हैं। जनवरी 1998 से दिसम्बर 2001 के मध्य प्रकाशित कृतियां ही विचाराधीन होंगी।

पुरस्कार राशि रू० 11,111/ -ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये हैं। इसके अतिरिक्त आकर्षक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भी सम्मानित लेखक को प्रदान किया जावेगा।

युवा प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार राजकुमार जैन 'राजन' द्वारा प्रवर्तित वर्ष 1998 का उक्त पुरस्कार हरदोई (उ०प्र०) के डॉ० रोहिताश्व आस्थाना की पुस्तक 'गीतों की माला' पर, वर्ष 1999 का पुरस्कार बिजनौर के डॉ० अजय जनमेयज की पुस्तक 'अक्कड बक्कड़ हो हो हो' पर एवं वर्ष 2000 का यह पुरस्कार लाड़नू (राजस्थान) के डॉ० आनंद प्रकाश त्रिपाठी की पुस्तक 'अनुठा नयाय' पर प्रदान किया गया है।

इसी तरह राजस्थानी बाल साहित्य के क्षेत्र में दिये जाने वाले 'चन्द्र सिंह बीरकाली राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार 2001' के लिए भी प्रविष्ठियां आमंत्रित की जाती हैं। पुरस्कार राशि 2100/- है। इसके अतिरिक्त प्रशस्ति-पत्र, अंग-वस्त्र व स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जायेगा। इसके लिए भव्य समारोह आयोजित किया जायेगा। जिसमें देश के ख्यातनाम बालसाहित्य रचनाकार भाग लेंगे।

"वरिष्ठ बाल साहित्यकार सम्मान" एवं "युवा बाल साहित्यकार सम्मान" के लिए संस्तुतियां आमंत्रित की जाती हैं। सम्मान राशि 2501/- है।

प्रविष्ठि भेजने के इच्छुक लेखक/ प्रकाशक जवाबी लिफाफा भेजकर पुरस्कार विवरण व आवेदन पत्र 30 अगस्त 2002 तक निम्न पते से मंगवा सकते हैं- राजकुमार जैन,"राजन" संयोजक, चित्रा प्रकाशन, आकोला-312205 (चित्तौड़गढ़) राजस्थान ।

प्रेमचंद-विषयक ज्ञानवर्द्धक साहित्य

इस पुस्तक के पहले अध्याय में प्रेमचंद की जीवन-झाँकी, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, काल-क्रमानुसार दी गयी है और कई नयी बातों की जानकारी दी गयी है। लेखक श्री कृष्ण कुमार राय ने दो-टूक टिप्पणियाँ भी की हैं, जैसे-- "प्रेमचंद का अपनी पहली पत्नी से विधिवत तलाक नहीं हुआ था और दूसरे विवाह के लगभग दस वर्ष बाद तक वह मायके में जीवित रहीं। किन्तु धनपत राय (प्रेमचंद) खुशनसीब थे कि पहली ससुराल वालों ने कोई कानूनी बाधा नहीं खड़ी की, अन्यथा, विधिक परिणाम भुगतने के साथ ही सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता था।"

अक्सर लोग कहते-सुनते हैं कि प्रेमचंद ने खुद गरीबी की भयंकर मार झेलते हुए भी हिंदी की सेवा की--- हिंदी में साहित्य--सृजन किया---परंतु श्री राय ने इस तथ्य को बड़े ही साहसपूर्वक उजागर किया है कि प्रेमचंद ने अपनी बेटी कमला देवी के विवाह में उस समय लगभग दस हजार रुपये खर्च किये थे जब सोने का मूल्य केवल बीस रुपये प्रति तोला के आस-पास था और इसी से प्रेमचंद की खुशहाली का अनुमान लगाया जा सकता है।"।

'धनपत राय' के 'प्रेमचंद' होने की बात तो बहुतों को मालूम है, परंतु 'प्रेमचंद' के 'मुंशी प्रेमचंद' होने की कहानी तो श्री राय की इस पुस्तक से ही ज्ञात होती है।

इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में प्रेमचंद के पूर्वजों की ऐसी प्रामाणिक वंशावली दी गयी है जो आज तक प्रकाश में नहीं आ सकी है और उसे सुव्यवस्थित और अत्यन्त प्रामाणिक बनाने में लेखक ने अपने अथक परिश्रम और गहरी सूझ-बूझ का परिचय दिया है।

तृतीय अध्याय में लेखक ने प्रेमचंद के साथ-साथ उनके एकमात्र अनुज महताब राय की और प्रेमचंद के निजी पारिवारिक जीवन की ऐसी अंतर्कथा कही है, जो वास्तव में 'अनकही' कथा है, क्योंकि विशाल वट-वृक्ष के नीचे किसी अन्य पेड़ को जिस तरह लोग 'अनदेखा' कर दिया करते हैं, बड़े भाई प्रेमचंद (धनपत राय) के विशाल व्यक्तित्व के तले छोटे भाई महताब राय की लोगों ने बुरी तरह उपेक्षा कर दी है। परन्तु सच तो यह है कि यदि महताब राय न होते तो धनपत राय 'प्रेमचंद' न हुए होते। प्रेमचंद को साहित्य-साधना के योग्य उर्वर पृष्ठभूमि प्रदान करने में और उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्बाध निर्माण में उनके अनुज महताब राय के विशिष्ट योगदान पर इस पुस्तक के लेखक ने प्रामाणिक तथ्यों के साथ, बड़े ही विस्तार से प्रकाश डाला है। और यह सामग्री हमारे साहित्यातिहास के लिये नितांत नवीन है, इसमें सन्देह नहीं। इस पुस्तक में लेखक ने प्रेमचंद विषयक इस भ्रांत धारणा का भी पर्दाफाश किया है कि प्रेमचंद बहुत ही गरीब थे और घोर आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए वे अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर बुलंदियों तक पहुँचने में सफल हुए। प्रेमचंद के जीवन की सच्चाइयों को अतिशय निर्धनता से जोड़ना बिल्कुल गलत है।

अक्सर लोग प्रेमचंद के दूसरे विवाह को (शिवरानी देवी से विधवा-विवाह को) समाज-सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम बतलाते हुए सराहना करते हैं, परन्तु इस पुस्तक के लेखक ने ठीक ही भर्त्सना की है कि "उस समय विधवा विवाह को न तो कानूनी मान्यता प्राप्त थी और न सामाजिक। पूर्व पत्नी के जीवित रहते एक अल्प-वयस्क विधवा लड़की से दूसरा विवाह करना अनैतिक और आपात्तिजनक भी था।" "इसके विपरीत सराहनीय थी दस वर्ष ससुराल में व्यतीत कर चुकी उस मासूम महिला की सहनशीलता और उसके घर वालों का धैर्य और सहिष्णुता जिन्होंने प्रेमचंद को किसी परेशानी में नहीं डाला।"

श्री राय की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि अपनी कहानियों में आदर्शवाद का बखान करनेवाले प्रेमचंद अपने व्यक्तिगत जीवन में इस तरह विपरीत क्यों थे? इस पुस्तक के चतुर्थ अध्याय में लेखक ने प्रेमचंद संबंधी कई छोटी-बड़ी बातों की जानकारी दी है कि प्रेमचंद कब लिखते थे, कैसे लिखते थे, अपने समय के किन नेताओं से उनके सम्पर्क थे, लेखन-कार्य में कितनी तन्मयता थी, कितने मजाकिया थे वे, ढेला चलाने में अचूक निशानेबाज, गुल्ली-डंडा के खेल में उन्हें महारत हासिल थी, वगैरह..........

पाँचवें अध्याय में लेखक ने अपनी माँ श्रीमती श्याम कुमारी देवी की जबानी सुनी उस कहानी का समावेश किया है जिसमें प्रेमचंद-संबंधी कई नयी बातों की जानकारी मिलती है, जैसे-प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ थे, शादी के समय 'लड़की' का फोटो माँगना 'लड़की' तथा उसके घर वालों का अपमान समझते थे, प्रेमचंद की दूसरी पत्नी (शिवरानी देवी) काफी तेज मिजाज की थीं, प्रेमचंद के कथा-लेखन की ओर प्रवृत्त करने में प्रथम प्रेरणा उनकी विमाता (गंगाजली देवी) से मिली थी जिन्हें किस्से-कहानियाँ सुनाने में बहुत ही कुशलता प्राप्त थी। इस अध्याय से यह भी जानकारी मिलती है कि प्रेमचंद ने अपने हित में अपने अनुज (महताब राय) के 'कैरियर' के साथ अनुचित हस्तक्षेप और आर्थिक शेषण किया लेकिन अनुज ने कभी अपने माथे पर शिकन नहीं आने दी और न अपने बड़े भाई को अपने दुर्दिन के लिये कोसा।

छठे अध्याय में लेखक ने बताया है कि प्रेमचंद की आधी से अधिक हिंदी और उर्दू की पांडुलिपियाँ आज अनुपलब्ध और विलुप्त हैं। इसका राज खोलते हुए लेखक का कथन है कि अधिकांश कागजात को दीमकों ने चट कर डाला था और जो बचे-खुचे थे भी, उन्हें जला दिया गया था--- बात सन् 1937 की है--- जब लमही वाले पुश्तैनी मकान के कमरों की झड़ाई-सफाई हो रही थी। दूसरी बात यह हुई कि लमही स्थित दूसरे वाले मकान की ऊपरी मंजिल के दो कमरों में जहाँ प्रेमचंद की हजारों की संख्या में बहुमूल्य पुस्तकें थीं, गाँव के ही एक चतुर-चालाक व्यक्ति ने गायब कर दीं। यहाँ तक कि देख-रेख करनेवाला कोई नहीं रहने के कारण प्रेमचंद के आवासीय भवन और उनके निजी उपयोग की सामग्री फर्नीचर आदि की भी लूट-खसोट और बहुत बर्बादी हुई और मकान तक वीरान

होकर धीरे-धीरे खँडहर में तब्दील हो गया।

'प्रेमचंद के जीवन का चरमोत्कर्ष और अवसान' शीर्षक सातवें अध्याय में लेखक ने प्रेमचंद के जीवन के अंतिम वर्ष 1936 की घटनाओं का विस्तृत एवं जीवंत चित्रण किया है। तदंतर आठवें अध्याय में प्रेमचंद की अंतिम कहानी 'कफन' के उर्दू और हिंदी पाठों में अंतर को लेकर उपजे विवाद पर लेखक ने प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने कफन कहानी हिंदी में स्वयं लिखी थी, उर्दू से अनुवाद किसी से नहीं कराया था। उर्दू में कफन कहानी जामिया के दिसंबर 1936 अंक में और हिंदी में कफन कहानी चाँद के अप्रैल 1936 अंक में छपी थी और समय के इस अंतराल के फलस्वरूप दोनों भाषाओं के पाठों में थोड़ा-बहुत अंतर आना स्वाभाविक था, लेकिन यह कहना कि हिंदी में कहानी बिल्कुल बदल गयी है, सत्य से परे है'।

'क्या यही है हिंदी के गोर्की का स्मारक शीर्षक नवम अध्याय में लेखक ने बड़े ही निर्भीक ढंग से इस बात का भंडाफोड़ किया है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रेमचंद की प्रतिष्ठा के अनुरूप स्मारक बनाने का काम नहीं किया और यहाँ तक कि ऐतिहासिक तथ्यों को मिटाने या छिपाने की साजिश जारी है। इस पुस्तक के पृष्ठ-77 पर लमही स्थित उस पैतृक मकान का नक्शा दिया गया है जिसमें प्रेमचंद का जन्म हुआ था। अंत में, प्रेमचंद के हिंदी उर्दू और अंग्रेजी हस्तलेखों के नमूने भी प्रकाशित किये हैं। इस प्रकार महज सौ पृष्ठों की यह पुस्तक कोई महज-मामूली नहीं, बल्कि बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि यह प्रेमचंद-संबंधी कई नयी और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देती है। इससे सामान्य पाठकों के ही क्या, प्रेमचंद के विशेषज्ञ विद्वानों के भी ज्ञान-क्षितिज का विस्तार हुआ है। इस प्रकार यह पुस्तक महत्वपूर्ण शोध-प्रबंध है जिस पर कोई भी विश्वविद्यालय इसके लेखक को 'डाक्टरेट' की सम्मानोपाधि प्रदान करके स्वयं को गौरवान्वित कर सकता है। प्रेमचंद में रूचि रखनेवाले पाठकों को, विशेषज्ञों और विद्वानों को श्री राय की यह पुस्तक कम-से-कम एक बार भी अवश्य पढ़नी चाहिये। इस पुस्तक को पढ़े बिना प्रेमचंद के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्य विषयक कोई भी ज्ञान अधूरा है, असत्य है, अप्रामाणिक है। इस पुस्तक की प्रामाणिकता इस कारण भी विशेष बढ़ जाती है कि यह प्रेमचंद के भतीजे श्री राय द्वारा लिखी और प्रकाशित की गयी है जो प्रेमचंद-परिवार के परिष्ठतम जीवित सदस्य हैं।

ऐसी महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक पुस्तक से प्रेमचंद-विषयक ज्ञानवर्द्धक साहित्य की दुनिया में निश्चय ही एक नूतन प्रकाश-स्तंभ स्थापित हुआ है।

पुस्तक: "बीसवीं सदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद"
रचनाकार: कृष्णकुमार राय,वाराणसी
समीक्षक: प्रो०(डॉ०)दीनानाथ 'शरण'
दरियापुर, पटना

कोशीय आभा से मंडित कुरल चिंतन

भारतीय संत चिंतकों में तमिलभाषी कवि तिरूवल्लुवर अग्रगण्य हैं। आज से लगभग दो सहस्त्र वर्ष पूर्व तमिलनाडु राज्य में लोकावतरित इन उच्चाशय, मननशील धर्मप्राण सेवाव्रती ने वाग्देवी का जो साधना-अर्चन किया था उसका साक्ष्य है- तिरुक्कुरल जो उत्तरवेद, देवग्रंथ, गीता और बाइबिल की भांति समाहृत है। ऐसा सम्मान अन्य ग्रंथों को प्राय: प्राप्त नहीं होता। पिता भगवान और माता आदी के अन प्रतिभा पुत्र ने श्रृंगार, नीति, वैराग्य से संबंधित लगभग 1330 कुरलों (हिंदी के दोहे की तरह एक छंद) की रचना की जिनका संग्रह तिरुक्कुरल है। इस प्रख्यात ग्रंथ में तीन कांड हैं-धर्म, अर्थ और काम। धर्म कांड में 38 अध्याय हैं, अर्थ में 70 और काम में मात्र 24 हैं। वेद सदृश इस काव्य ने अपनी श्रेष्ठता से दस से भी अधिक टीकाकारों को अनुवाद कार्य के लिए प्रेरित किया। विश्व की अनेक भाषाओं में अनुदित इस 'ईश्वरीय काव्य' से मानव समाज में परिव्याप्त सामाजिक सांस्कृतिक प्रदूषण दूर हो रहा है। वल्लुवन द्वारा परिपासित, जुलाहे के व्यवसाय से दो जून की रोटी जुटानेवाले तिरूवल्लुवर संस्कृति कवि भर्तृहरि और हिंदी के प्रखर-प्रौढ़ चिंतक कवि कबीर के समतुल्य हैं।

तमिलभाषी हिंदी प्रेमी त० शि० क० कण्णन ने हिंदी भाषियों के लिए तिरूक्कुरल के कुछ कुरलों का अनुवाद 'कुरल चिंतन' पुस्तक में प्रस्तुत किया है जिसे तमिल भाषा अकादमी, चेन्नै ने प्रकाशित कर राजभाषा हिंदी के प्रति अपूर्व निष्ठा का परिचय दिया है। निर्विवाद: यह सारस्वत प्रयास स्तुत्य है, सराहनीय है और संग्रहणीय भी।

इस आलोच्य ग्रंथ में कुल 22 अध्याय हैं। ईश्वर स्तुति, प्रभु-महिमा, सच्चा साधु, धर्म-सार, धर्म-लक्षण, पत्नी कीर्ति, पुत्र-रत्न, प्रेम मैत्री भाव, अतिथि सेवा-सत्कार, प्रियवाणी का महत्व, उत्तम ग्रहस्थ, सत्य-धर्म, क्षमा-महिमा, ईर्ष्या-अग्नि, क्रोध-दमन, लोभ त्याग, पाप कर्म, मितभाषिता, लोकोपकारिता, लोक कल्याण, परोपकार, दान-धर्म आदि से संबंधित कुल 85 कुरल हैं। अनुवाद कुशल श्री कण्णन ने तिरूवल्लुवर रचित कुरलों का हिंदी लिप्यंतरण कर उनकी विस्तृत व्याख्या की है जिसमें वेद, पुराण, महाभारत, गीता, कौटिल्य रचित अर्थ, पंचतंत्र, धम्मपद, आदि अनेक ग्रंथों से चुन-चुनकर रत्न भी संग्रहीत हैं। इस प्रकार यह पुस्तक कोशीय आभा से मंडित तो हुई ही है, अनुवादक श्री कण्णन के अधीती विद्वान होने के साक्ष्य भी उपस्थित हुए हैं।

यह कहना अनुचित नहीं कि हिंदी पाठक तमिल के प्राचीन साहित्य के गहनीय गौरव ग्रंथों से आज भी अपरिचित हैं। निश्चय ही, हिंदी के ज्ञान-पिपासु आस्वादक, तिरूल्लुवर के प्रोज्ज्वल अवदान से अवगत होंगे अपितु अपनी चित्रवृत्ति का परिसंस्कार एवं परिमार्जन करेंगे। अनुवादक और प्रकाशक-दोनों इस के लिए अतुंत साधुवाद के पात्र हैं।

पुस्तक: कुरल चिंतन
रचनाकार: त० शि० क० कण्णन,
प्रकाशक: तमिल भाषा अकादमी,
नं०-5, आलवार पेट
स्ट्रीट, आलवार पेट,
चेन्नै- 600018
समीक्षक: डॉ० राजनारायण राय,
देहरादून (उत्तरांचल)
मूल्य: 150 रु०(प्रथम संस्करण)

भारतीय संसद की 50 वीं वर्षगांठ पर

भारतीय संसदः कल और आज

❑ सिद्धेश्वर

आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली (Democratic Parliamentary System) अपनाई। इस प्रणाली के तहत सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के निकाय में निहित है जिसे संसद कहते हैं। यह वह धुरी है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। 26 जनवरी, 1950 से लागू भारतीय संविधान के अन्तर्गत संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है जिसके राज्यसभा और लोकसभा दो सदन हैं। नए संविधान के अनुसार वर्ष 1951-52 में हुए प्रथम चुनाव के बाद मई, 1952 में राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ। 1952 में पहली बार गठित राज्यसभा एक निरंतर रहनेवाला स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। हर दो वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक पाँच वर्ष पर होता है। 1952 में बनी प्रथम लोकसभा के बाद दूसरी लोकसभा मई, 1957 में, तीसरी अप्रैल 1962 में चौथी मार्च 1967 में, पाँचवी मार्च 1971 में छठी मार्च, 1777 में, सातवीं जनवरी, 1980 में, आठवीं जनवरी 1985 में, नवीं दिसम्बर 1989 में, दसवीं जून 1991 में, ग्यारवीं जून, 1996 में और बारहवीं 2001में।

इस प्रकार मई 1952 में बनी पहली लोकसभा के बाद आज उसकी स्वर्णजयंती मनाई जा रही है। भारतीय संसद ने अपनी 50वीं सफर यात्रा के दौरान काफी उतार चढ़ाव देखा। आज जब संसद की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, हम भारतवासियों को यह आकलन करना होगा कि यह अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से कर पा रही है या नहीं।

विगत कुछ दशकों में भारत में संसदीय आचरण व गरिमा को लेकर सर्वत्र चिन्ता बढ़ गयी है। संसद के दोनों सदनों एवं राज्यों के विधानमंडलों में जनप्रतिनिधियों का आचरण अत्यंत पीड़ा पहुँचाता रहा है। उनकी भाषा और वाद-विवाद के स्तर से आम आदमी की संसदीय लोकतंत्र में आस्था घटी है। खासकर जब से संसद एवं विधानसभाओं की कार्यवाही का दूरदर्शन के चैनलों पर सीधा प्रसारण होने लगा है तब से भारतीय जनता को संसद के अंदर अपने प्रतिनिधियों के आचार-व्यवहार को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उससे उसके मन में लोकतंत्र की एक धुमिल छबि बनती जा रही है जो हमारी संसदीय प्रणाली के लिए एक खातरनाक संकेत है। क्या जनप्रनिनिधियों ने कभी इस बात पर गौर किया कि उनके असंसदीय आचरण एवं व्यवहार का कितना बुरा असर जनता-खास तौर पर भारत की युवा पीढ़ी पर पड़ता है? ऐसा भी नहीं कि विश्व के अन्य देशों की संसद ऐसी प्रवृत्तियों से अछूती हैं, पर भारतीय संसद में हमारे प्रतिनिधियों के आचरण से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वह निश्चित रूप से संसद की गरिमा पर ग्रहण लगाती है।

हम सब इस बात से अवगत हैं कि भारत में संसद कानून बनानेवाली संस्था है और इसका कार्य है सरकार पर राजनीतिक तथा वित्तीय नियंत्रण रखना, जनता का प्रतिनिधित्व करना और उसकी शिकायतें व्यक्त करना, संघर्षों का समाधान करना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। संसद की बैठकें, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, प्रश्नकाल और प्रस्ताव, बजट और विधायी प्रक्रिया के कार्यकरण में संसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन कहाँ तक कर पा रही है इस पर एक नजर डालना हमारा आपका दायित्व बनता है ताकि आम आदमी को अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में ज़ानकारी मिल सके। हालांकि संचार माध्यमों की सुविधा के चलते खासकर इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के आ जाने से घर बैठे ही संसद की कार्यवाही को आज जनता अपनी आँखों देख और सुन रही है। संसदीय शिष्टाचार और संसदीय विशेषाधिकारों की चर्चा प्राय: आए दिनों उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से सुनने को मिलती है।

क्या जनप्रनिनिधियों ने कभी इस बात पर गौर किया कि उनके असंसदीय आचरण एवं व्यवहार का कितना बुरा असर जनता-खास तौर पर भारत की युवा पीढ़ी पर पड़ता है?

अभी अभी कुछ दिनों पूर्व संसद के नवनिर्मित पुस्तकालय परिसर में मनाई गयी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वर्ण जयंती

के अवसर पर राज्यसभा के सभापति कृष्णकांत ने कहा कि केंद्र और राज्यों में एक ही दल के वर्चस्व का दौर समाप्त होने एवं साझा सरकारों के गठन से राज्यसभा की भूमिका और दोनों सदनों के संबंधों से एक नया आयाम मिला है। नवनिर्वाचित लोकसभाध्यक्ष मनोहर जोशी महात्मा गाँधी और भारतीय गणराज्य के अन्य महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि उनके लिए देश सेवा से कोई भी बलिदान बड़ा नहीं था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने उद्गार में कहा कि संसद हमारी जीवनदायिनी शक्ति है। प्रगति के पथ पर इसी लोकतंत्र के बलबूते आगे बढ़ रहे हैं। अबतक हमने जो सामाजिक परिवर्तन किए हैं वह संसद के माध्यम से ही किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र की चक्की धीमी चलती है पर महीन पिसती है।

आज से पचास वर्ष पहले प्रथम लोकसभा को जी०वी० मावलंकर जैसा अध्यक्ष मिला था जिस पर सारे राष्ट्र को आज भी गर्व होता है, कारण कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का हर भारतवासी कायल है। इस बीच लोकसभा तथा राज्यसभा में क्रमश: अध्यक्ष और सभापति के साथ-साथ एक से बढ़कर एक अप्रतिम व्यक्तित्व के सदस्य आए, जिन्होंने आम आदमी की समस्याओं, उसके जीवन-स्तर एवं सहूलियतों आदि की सदन में सार्थक चर्चा की तथा लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया। सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कल के हमारे जनप्रतिनिधि वक्त की कसौटी पर खरे उतरते थे और राजनीतिक एकीकरण की पेचीदगियों से जूझ रहे भारत की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया। आखिर तभी तो भारत के प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप उभरने के 50 साल बाद भी हम बड़े फक्र से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक होने का आज हम दावा करते हैं। आपात काल के दौरान लोकतंत्र की सारी कोशिशों को विफल कर ताकतवार लोगों को उनके ऊँचे पायदानों से उतार दिया गया था।

हमारे भारतीय संसद की यात्रा में 50वीं वर्षगांठ का पड़ाव आते-आते न जानें संसद की वह गरिमा, जिसे तत्कालीन संसद सदस्यों ने सहेज कर बरकरार रखी थी कहाँ खो गई और वह बुलंद इरादा भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया। संसदीय शिष्टाचार और संसदीय आचरण ने इन 50 वर्षों में गजब का करवट लिया। अस्तित्व में आई संसदीय व्यवस्था के बारे में हमें पता चल गया कि वह अनियंत्रित और स्वार्थपरक है। समय बीतने के साथ ही यहाँ के लोगों ने इस व्यवस्था से जो बड़ी-बड़ी उम्मीदें बाँध रखी थीं बिखरने लगीं और एक ऐसा मुकाम आ गया जहां वे कम से कम उम्मीद करने लगे, लेकिन व्यवस्था उसे-भी पूरी नहीं कर पा रही है।

अभी-अभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद को गरीबों के आँसू पोछने का माध्यम बनाने की बात की है। भारतीय संसद के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री की यह बात कितना मधुर लगता है। किन्तु आज संसद में बहस का जो स्तर गिरा है और जिस तरह हमारे जनप्रतिनिधि आचरण करते हैं उसके मद्देनजर क्या संसद गरीबों के आँसू पोछने के लिए सार्थक माध्यम बन सकी है? लाखों रुपये खर्च कर जो व्यक्ति सांसद बन जाता है क्या उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह गरीबों की पीड़ा, भूख और उसकी मजबूरी का अहसास कर सकेगा? संसद तथा संसद के बाहर जनप्रतिनिधियों का लगातार अमर्यादित होता संसदीय आचरण और राजनीति में अपराधी चरित्र के लोगों के प्रभावी होते जाने की जो रफ्तार जारी है, उससे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि देश के निर्धनतम व्यक्ति के आँसू कभी पोछ पाएंगे।

संसद के साठ के दशक की वह बहस जो संसद की लाइब्रेरी में पड़ी है, आज के कितने सांसदों ने उसे पढ़ने का कष्ट उठाया है? डॉ० लोहिया और नेहरू के छह आने बनाम सवा रुपये की बहस आज भी लोकसभा के इतिहास की बहुमूल्य निधि है। एक तरफ डॉ० राम मनोहर लोहिया के छह आने का तर्क रोज की आमदनी के पक्ष में था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आकड़े सवा रुपये रोज की वकालत कर रहे थे। इस बहस के बाद गरीबी दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजना में कई परिवर्तन किए गए और सरकार ने इस दिशा में ईमानदार प्रयास भी किए। कल के इस बहस के बाद संसद में आज तक गरीबों के प्रति हमारे सरोकार और उसके संभावित परिणामों पर कोई जोरदार बहस नहीं हुई। यह हाल है हमारे भारतीय संसद का और यदि यही हाल बरकरार रहा तो क्या भारतीय लोकतंत्र की संसदीय पद्धति राष्ट्र की जीवनदायिनी शक्ति बनी रह सकेगी? आजादी के जिन सपनों को लेकर हमारे देश में संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था अपनायी थी, उन सपनों का पूरा होना तो दूर सच तो यह है कि पिछले डेढ़-दो दशक में तो उनसे उल्टी दिशा में ही देश को धकेला जाता रहा है और इसका असर संसदीय जनतंत्र के खोखले होते जाने के रूप में सामने आ रहा है। बढ़ती न्यायिक सक्रियता इसी शून्य को भरने की हड़बड़ाहट भरी-कोशिश है। गुजरात के मामले में सारी बहस के बावजूद, संसद का किसी प्रभावी अर्थ में हस्तक्षेप न कर पाना इसी की एक आँखे खोलने वाली मिसाल है। इस मुद्दे पर कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने जिस तरह की तिकड़मबाजी और पेतेरेबाजी की है वह यह दिखाता है कि इस संकट के सामने संसद को पंगु बना दिया गया है। राज्यसभा में गुजरात में हस्तक्षेप का प्रस्ताव स्वीकार करने के बावजूद, केंद्र सरकार वास्तविक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में विफल रही।

क्या भारतीय संसद हमारी अपेक्षाओं पर कभी-खरी उतरेगी? क्या हमारे राजनीतिक दल जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में कभी कोई पहल करेंगे? यह सवाल आज हर विचारवान लोगों के मानस में कौंध रहा है जिसका जवाब हर हाल में हमें ढूढ़ना होगा।

रिश्वतखोरी में सिद्धू सिरमौर

विचार कार्यालय, दिल्ली

'रिश्वत दो-नौकरी लो' सिद्धांत में सिद्धस्त पंजाब लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष रविन्दपाल सिंह सिद्धू का आखिरकार राज्यपाल जे०एफ०आर० जैकब ने उनके पद से निलंबित किया। इसके पूर्व राष्ट्रपति के०आर०नारायणन ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले की जाँच करायी थी। राज्यपाल जैकव ने संविधान के अनुच्छेद-317 की धारा-एक के तहत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था।

उल्लेखनीय है कि पंजाब के आबकारी निरीक्षक भूपजीत सिंह से सिद्धू को पंजाब सिविल सेवा मे चयन कराने को लेकर हुए सौदे के पेशगी के तौर पर पाँच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विगत 25 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि यह सौदा दलाल के माध्यम से कथित रूप से 35 लाख रुपये में तय हुआ था। इस मामले से संबंधित एक कथित हवाला आपरेटर जी० एस० मनचंदा और पशु चिकित्सक शमशीर सिंह अभी भी फरार है। किन्तु मनचंदा की पत्नी सुरिंदर कौर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नौकरियाँ बेचने के इस घोटाले का भंडाफोड़ करनेवाला ब्यूरो तब से लेकर अब तक सिद्धू और उसके रिश्तेदारों द्वारा एकत्रित की गई 25 करोड़ रुपये की अकूत संपत्ति का पता लगा चुका है। इस घोटाले से सहज रूप में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार पंजाब प्रशासन के अंग-अंग में व्याप्त है। इस दौर में सिद्धू सिरमौर निकला।

–सुधांशु, दिल्ली से

उमर अब्दुल्ला की ताजपोशी की तैयारी

भारत सरकार के विदेश राज्यमंत्री और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला को राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी जोर-सोर से चल रही है। ऐसी आशा की जा रही है कि ताजपोशी के इस भव्य समारोह पर लगभग 50 लाख रुपये खर्च होंगे। 12 जून को श्रीनगर में आयोजित इस समारोह में नेशनल कांफ्रेंस के विभिन्न क्षेत्रों के करीब 8000 प्रतिनिधि भाग लेंगे और पहली बार उमर अब्दुल्ला को पार्टी का कमान सौंपने के फैसले का प्रतिनिधियों के सम्मेलन में अनुमोदन होगा। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में आर्थिक, राजनीतिक और शोक के तीन प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए अधिक स्वायत्तता की माँग भी की जाएगी। शोक प्रस्ताव के तहत पिछले 12 वर्षों के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए पार्टी क विधायकों और कार्यकर्त्ताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

शेरे-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे फारूख अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की सत्ता संभाली और फारूख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को पार्टी का प्रमुख बनाकर सत्ता के करीब लाया जा रहा है। परिवार वाद कस इससे अच्छा नमूना शायद ही कहीं मिलेगा। दरअसल नेहरू ने जिस परिवारवाद की नींव डाली उसे प्राय: आज देश की सभी राजनीतिक पार्टियाँ तथा उसके अध्यक्ष बखूबी पालन करते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्य मंत्री की गद्दी सौंपकर तथा अपने दो साले साधू यादव और सुभाष यादव को विधायक बनाकर जो उदाहरण पेश किया है उससे दूसरे दल वाले भी पीछे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी अपने सुपुत्र अशोक यादव को लोकसभा का सदस्य बनाकर परिवारवाद की शुरूआत कर दी है। भाजपा और समता पर यह इलजाम अभी नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार जद(यू) भी इससे बचा है। कितु लोकजनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान तो परिवारवाद की गिरफ्त में पूरे तौर पर आ चुके हैं। अपने भाई रामचंद्र पासवान को लोकसभा भेजकर तथा अपने परिवार के पशुपति पारस तथा पुनीत राय के अतिरिक्त कई रिश्तेदारों को विधायक की कतार में खड़ा कर लोकतंत्र की सेवा करने में अग्रणी हैं।

इसलिए अगर फारूख अब्दुल्ला ने भी अपनी गद्दी सुरक्षित बनाने के लिए अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को कश्मीर की राजनीति में लाना चाहते है तो अब यह बूरी बात नहीं समझी जाएगी। वेसे भी उमर अब्दुल्ला ने विदेश राज्य मंत्री के रूप में अपनी अलग छाप छोड़ी है। नेशनल कांफ्रेंस में एक ऐसे युवा व्यक्तित्व की जरूरत है, जो राज्य की तीसरी पीढ़ी के दुख-दर्द को समझता हो और जिसकी नुमाइंदगी वह बखूबी कर सकता है। उमर अब्दुल्ला इस काम में पूरी तरह कामयाब होंगे ऐसी आशा की जाती हैं।

राष्ट्रपति के पद पर अब डॉ० अब्दुल कलाम

❑ सुधीर रंजन

अधिसूचनानुसार भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव 15 जुलाई को होगा। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में जबरदस्त सरगर्मी बढ़ गयी है। देश में खंडित जनादेश मिलने के बाद से राष्ट्रपति के चुनाव में हलचल स्वाभाविक है। देश की इस सबसे बड़ी कुर्सी के लिए इस समय दर्जनों नाम हवा में उछल रहे हैं। इसके पूर्व के राष्ट्रपति के चुनाव में यही हाल रहा था किंतु अतंत: राष्ट्रपति के पद पर के०आर० नारायणन विराजमान हुए। इस बार दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी पर स्थित राष्ट्रपति भवन में कौन प्रवेश करेगा, यह लगभग अब तय हो चुका है।

राष्ट्रपति पद के लिए सांसदों-विधायकों के कुल मतदाताओं की संख्या 11 लाख है। काँटे की लड़ाई हुई, तो जीतेगा वही जिसे साढ़े पाँच लाख से जयादा मत प्राप्त होंगे। वोट के अंकगणित ऐसे हैं कि भाजपा और उसके भरोसेमंद सहयोगी दलों का कुल वोट यदि जोड़ दिया जाए तो वह आज की तारीख में 5 लाख से कम ही है। निर्दलीय एवं अन्य छोटे-छोटे दलों के पास कुल 95 हजार वोट हैं। विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास सांसदों की संख्या कम तो है किंतु उसकी 15 राज्यों में सरकारें हैं। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या करीब दोगुनी है। 11 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। उ०प्र० में बसपा के साथ सरकार में भाजपा शामिल जरूर है, पर वहां भी सबसे ज्यादा विधायक मुलायम सिंह यादव की सपा के हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी एक उम्मीदवार पर आम सहमति नहीं बनी तो फिर चुनाव होना तय है।

रिपोर्ट लिखे जाने की तारीख तक प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम का नाम भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों द्वारा तय पाया जा रहा है जबकि विपक्ष के कांग्रेस की ओर से के०आर०नारायणन का नाम उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए उछाला गया था किन्तु कलाम का नाम आने पर सोनिया तथा मुलायम सिंह यादव भी सहमत हो चुके है। लोक मोर्चा ने भी अब्दुल कलाम को समर्थन करने का निर्णय लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के अनुसार भी के०आर०नारायणन अभी तक सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति में से एक हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा कायम रखते हुए विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय भी कायम रखी है। उन्होंने उत्कृष्टता के साथ राष्ट्रपति के पद को संभाला है। इसलिए श्री सिंह के अनुसार उन्हें दुबारा अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा के०आर०नारायणन को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती थी कारण कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को छोड़ दोबारा राष्ट्रपति बनाने की परंपरा नहीं रही है। वैसे भी के०आर० नारायणन ने हस्तक्षेप करके वर्तमान सरकार की नीतियों की धारा को जरा संभल कर चलने को अगाह किया था। यही कारण है कि सत्ताधारी पार्टी उनके महत्व के कारण ही उन्हें अलग करने पर तुली।

कहा तो यहाँ तक जाता है कि कलाम के पहले पी०सी० एलेक्जेंडर को भाजपा इसलिए चाहती थी क्योंकि वे इसाई हैं और इस कारण आगे आनेवाले लोकसभा चुनाव के बाद सोनिया गाँधी को प्रधानमंत्री पद इसलिए नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि वे भी इसाई हैं और देश के दोनों सर्वोच्च पदों पर एक धर्म के लोगों को नहीं बैठाया जा सकता। हालाँकि इस तर्क में मुझे कोई दम नहीं दिखता क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और इसके अभाव में अगले लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उसका नेता ही प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। इस अधिकार से लोकसभा के सदस्यों और बहुमत प्राप्त करनेवाले दल को भला प्रधानमंत्री बनाने से कैसे रोका जा सकता है। इसलिए यदि यह सोच किसी कोने में था तो वह बेबुनियाद और असंवैधानिक था जिसका कोई सिर-पैर नहीं।

वैसे भी भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च सम्मान और संवैधानिक श्रेष्ठता का पद है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होता है। इस दृष्टिकोण से आम सहमति एक आदर्श परंपरा होगी। ऐसा करने से भारत की दुनिया में साख बढ़ेगी। राष्ट्रपति पद के चयन में किसी व्यक्ति की सेवा, उसका समर्पण, राष्ट्र के प्रति त्याग, मानसिक-बौद्धिक क्षमताएं और उसकी देशभक्ति देखी जानी चाहिए। वर्तमान परिवेश में भारत के राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक सर्वोच्चता, मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए देश को आज ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है जिसमें देश की एकता और अखंडता परिलक्षित हो। आम देशवासी जिसकी छबि में भारत और भारतीयता की तस्वीर देख सके। यदि कोई उम्मीदवार भारतीय संविधान का ज्ञाता, अनुभवी और दूरदर्शी हो, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से के०आर०नारायणन खरे उतरते लेकिन मौजूदा हालात में डॉ० कलाम भी एक योग्य और सक्षम व्यक्ति है। हालाँकि श्री नारायणन द्वारा पुन: राष्ट्रपति बनने की इच्छा रिपोर्ट लिखने की तारीख तक जाहिर नहीं की गयी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर उनके नाम पर आम सहमति बने तो उन्हें कोई एतराज नहीं। राष्ट्रपति किसी देश का अभिभावक होता है। उन्हें जाति, धर्म, और संप्रदाय में बाँटना अच्छा नहीं। इसके चलते देश के सर्वाधित मर्यादित पद की गरिमा गिरेगी।

मँहगा पड़ेगा दोनों देशों को पाँचवां युद्ध

भारत पाक के बीच अब तक चार युद्ध हो चुके हैं। 1947-48 में हुए युद्ध में कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर पर हमला बोल दिया था। जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा अपने राज्य को पाकिस्तानी सेना से बचाने के लिए भारत में विलय करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ा इसी बीच 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम सीमा कायम हुई।

अप्रैल 1965 में कच्छ-सीमा पर तैनात भारत-पाक फौजी टूकड़ियों के गोलीबारी से स्थिति विस्फोटक हो गयी। बाद में कुछ स्थिति शांत होने पर अगस्त में पुन: पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर धावा बोल दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ।

1971 में पूर्वी पाकिस्तान द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की माँग के लिए चलाए गए आंदोलन का भारत ने समर्थन किया। स्थिति इतनी भयावह हो गयी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गयी। पाकिस्तानी सेना के 90 हजार से अधिक जवानों ने आत्मसमर्पण किया। 6 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का यह क्षेत्र बांग्लादेश के नाम से एक अलग राष्ट्र बन गया।

1999 में करगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। करीब एक माह तक यह लड़ाई चली। अंतत: पाक सेना को मुंह की खानी पड़ी और भारत को विजय मिली।

इस बार भारत आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना सीमा पर सतर्क है। पिछले चारों युद्ध में हमने भारी नुकसान उठाया। किन्तु इस बार हम उसे अहसास करा देना चाहते हैं कि अब हम इस नुकसान को सहन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 110 विकल्प हैं और उनमें से किन्हीं दो-तीन पर कार्य शुरू कर देंगे। ऐसा कहना है भारत के पूर्व वायुसेनाध्यक्ष ए०वाई० टिपणिस का। जहाँ तक परमाणु हथियार के प्रयोग का प्रश्न है पाकिस्तान को एहसास है कि भारत का थोड़ा सा नुकसान होने पर उसे तीन गुना अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए परमाणु युद्ध की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसका प्रभाव सीमा के दोनों तरफ होगा। परमाणु युद्ध होने की स्थिति पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान हफ्ता दस दिन से अधिक युद्ध के मैदान में ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इससे ज्यादा दिनों की युद्ध सामग्री ही नहीं है। पाँचवा युद्ध पिछले चारों युद्धों के मुकाबले कहीं ज्यादा हाहाकारी होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि वह अपनी लड़ाकू विमानों का रख-रखाव भी ठीक से नहीं कर सकता।

समूचे विश्व में इस वक्त मंदी का दौर है। ऐसी स्थिति में यदि भारत-पाक के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। पाकिस्तान की तो सारी अर्थव्यवस्था अनुदान और कर्ज पर आधारित है। उसके बजट का 50 प्रतिशत विदेशी कर्ज के भुगतान में और 30 प्रतिशत रक्षा पर खर्च हो जाती है। भारत के साथ लाचारी यह है कि यदि वह आगे बढ़कर दुश्म को करारा सबक नहीं सिखाती है तो रोज सैकड़ों निदोर्षों की हत्या होती है।

हम भारतीय हैं, भारतीय ही रहेंगे कश्मीरियों ने दो टुक शब्दों में कहा

मोरी इंटरनेशनल का सर्वेक्षण रिपोर्ट

कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान के तमाम दावों को खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि वे भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। उन्होंने साथ ही जम्मू-कश्मीर में पिछले एक दशक से जारी आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस तथाकथित जेहाद ने कश्मीरी हितों को क्षति पहुंचायी है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे कश्मीर विवाद का स्थायी हल तलाशने के लिए दोनों देशों के बीच युद्ध के खिलाफ हैं।

जम्मू-कश्मीर में मोरी इंटरनेशनल नामक स्वतंत्र मार्केट रिसर्च ग्रुप की ओर से किये गए एक सर्वेक्षण से यह तथ्य उभयकर सामने आया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने कश्मीरी पाकिस्तानी नागरिक बनना चाहते हैं, उससे 10 गुना अधिक कश्मीरी भारतीय नागरिक बने रहना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर में इस तरह का यह पहला सर्वेक्षण है। गैरतलब है कि मोरी इंटरनेशनल सर्वेक्षण करने वाली दुनिया की सर्वाधिक पेशेवर और प्रतिष्ठित एजेंसियों में से एक है। इस संगठन ने 20 से 28 अप्रैल के बीच यह सर्वेक्षण किया। इसके तहत जम्मू और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों, श्रीनगर तथा लेह के निवासियों के बीच सर्वेक्षण किये गए। श्रीनगर क्षेत्र के 76 प्रतिशत कश्मीरियों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समस्या के स्थायी हल के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए। सर्वेक्षण के अनुसार जम्मू-कश्मीर कुल दो-तिहाई कश्मीरियों की राय थी कि पिछले 10 वर्षों से कश्मीर में पाकिस्तान की लिप्पता का काफी खराब परिणाम सामने आया है। सिर्फ 15 प्रतिशत कश्मीरियों ने पाकिस्तान की लिप्तता की लिप्तता को अच्छा बताया और 18 प्रतिशत कश्मीरियों ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता के सवाल पर 61 प्रतिशत कश्मीरियों ने कहा कि वे भारतीय नागरिकता चाहते हैं, क्योंकि इससे राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनकी स्थिति बेहतर रहेगी। सिर्फ छह फीसदी कश्मीरियों ने पाकिसतानी नागरिक बनने की इच्छा जातायी। सर्वेक्षण में शामिल कुल 33 प्रतिशत कश्मीरियों ने नागरिकता के सवाल पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया।

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकतर कश्मीरी कश्मीर विवाद का स्थायी हल तलाशने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के खिलाफ हैं। अधिकतर कश्मीरियों का यह भी मानना है कि लोकतांत्रिक चुनावों, हिंसा पर लगाम और आर्थिक विकास के माध्यम से कश्मीर में शांति बहाल करना सबसे अच्छा तरीका होगा। अस्सी फीसदी कश्मीरियों की राय है कि विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित घर लाया जाना चाहिए जिससे शांति कायम करने में मदद मिलेगी। कश्मीरियों का यह भी मत है कि इस क्षेत्र की एक जैसी सांस्कृतिक पहचान दीर्घकालीन के समाधान के लिये सुरक्षित रखना चाहिए।

शेष पृष्ठ 48 पर

मुंबई में कई घुसपैठिए अधिकारी बने
राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा महत्व वोट बैंक को

विचार संवाददाता, मुंबई

महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय की एक ताजा चौंकानेवाली रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कम से कम 20 नागरिक विशेष कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश कुर्ला और मालवानी में तैनात हैं। इस क्षेत्र में बांग्लादेशियों की बहुतायत है।

आश्चर्य तो इस बात का है कि इन पदों पर नियुक्ति उम्मीदवारों की नागरिकता की छानबीन और उसकी पुष्टि के बाद ही होती है। यही नहीं नियुक्ति से पहले सरकारी नौकरी के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र पेश किए जाते हैं और फिर इनकी पड़ताल की जाती है। इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन और पुलिस क्लियरेंस के बाद इसकी तसदीक उन्हें किसी मंत्री से करानी होती है। इसके बाद ही उन्हें परिचय पत्र दिया जाता है। निश्चित रूप इन प्रक्रियाओं की जाँच में कहीं न कहीं गलती हुई है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा महत्व वोट बैंक को दिया जाता है। सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए 15 मई को महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं० 1701/170 के अनुसार थानों में तैनात वरिष्ठ इंस्पेक्टरों और जन संपर्क अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे इन विशेष कार्यकारी अधिकारों की पड़ताल कर सरकार को विस्तृत जानकारी सौंपे। ऐसा समझा जाता है कि आईएसआई के कुछ एजेंट इन विशेष पदाधिकारियों के ओहदे मं घुसपैठ कर सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।

ऐसी आशंका है कि उत्तर 24 परगना के बनगांव सीमा से बांग्लादेशी नागरिक गैरकानूनी ढंग से प्रवेश कर मुंबई आने से पहले दूसरे जिलों में फैल जाते हैं और शाम के छुटपुटे में भारत में प्रवेश कर जाते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि यह धंधा पश्चिम बंगाल के स्थानीय सियासत दानों की देखरेख में फल-फूल रहा है। वे इन घुसपैठियों को नकली प्रमाण पत्र और राशनकार्ड बना कर देते हैं। बाद में ये सभी मुंबई कूच कर जाते हैं। इस तरह का धंधा मुंबई की तमाम बांग्लादेशी कॉलोनियों में भी फल-फूल रहा है। खासकर रिए रोड, अंशल हिल, डाक-यार्ड रोड और ट्रांबे के निकट चीता कॉलोनी में नए बांग्लादेश घुसपैठिए प्रायः रोज आते हैं और यहाँ रह रहे अपने नागरिकों के यहाँ शरण लेते हैं।

घुसपैठियों का यह मामला अत्यंत संगीन है जिसकी उच्चस्तरीय जाँच कर दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और उन विशेष कार्यकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर उन पर आदालती मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

पूर्वी दिल्ली, यमुनापार के विद्यालयों ने किया कमाल
दशवीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम शत प्रतिशत

विचार कार्यालय, दिल्ली

पूर्वी दिल्ली, यमुनापार के कई विद्यालयों ने इस बार दशवीं की बोर्ड परीक्षा में काफी बेहतर परिणाम देकर कमाल किया है। स्कूल ब्लॉक, शकरपुर स्थित विद्या बाल भवन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ने जहाँ दशवीं कक्षा में शत प्रतिशत परिणाम देकर दिल्ली के आधे स्कूलों मे अपना दबदबा बना रखा है वहीं अन्य विद्यालयों में भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास की है। इसी प्रकार इंद्रप्रस्थ विस्तार स्थित मयूर पब्लिक स्कूल तथा मयूर विहार फेज एक स्थित ए०एस० एन० पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा है।

इन विद्यालयों के कई छात्र-छात्राओं ने कला एवं विज्ञान के विभिन्न विषयों में 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त कर स्कूलों का नाम रोशन किया है। लक्ष्मीनगर के बाल भवन पब्लिक स्कूल की दशवीं कक्षा की छात्रा मितू चड्ढा ने 91प्रतिशत अंक पा कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार पब्लिक स्कूल इस वर्ष भी सरकारी स्कूल पर भारी पड़े हैं।

पृष्ठ 47 का शेषांश

हम भारतीय हैं ....

सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 65 प्रतिशत कश्मीरियों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में भाड़े के विदेशी आतंकवादियों से कश्मीरी हितों को नुकसान पहुंचा है जबकि लगभग शेष कश्मीरियों का मानना है कि इससे न तो नुकसान हुआ है और न ही कश्मीरी हितों को आगे बढ़ाने में कोई मदद मिली है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणामों से भारत का यह दावा भी मजबूत होता है कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। 92 फीसदी से भी अधिक ने कश्मीर को धर्म के आधार पर बांटने का विरोध किया है। 91 फीसदी से भी अधिक ने ऐसा फोरम बनाने का समर्थन किया जो समय समय पर नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के सामान्य हितों पर विचार-विमर्श करें

सर्वेक्षण में शामिल 65 प्रतिशत कश्मीरियों का मानना है कि हिंसा जारी रहते जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनाव है कि हिंसा जारी रहते जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कराना संभव नहीं है कि जबकि 34 प्रतिशत कश्मीरी इससे सहमत नहीं हैं।

दया प्रकाश सिन्हा सम्मानित

संगीत नाटक अकादमी दिल्ली ने नाट्य लेखंन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चर्चित नाटककार तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी दयाप्रकाश सिन्हा को गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय अकादमी के एक समारोह में 40 हजार रुपये के अतिरिक्त ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया। यह जानकारी संस्कार भारती दिल्ली के एम. मलिक से मिली।

उल्लेख्य है कि श्री सिन्हा के अब तक एक दर्जन से अधिक नाटक प्रकाशित हो चूके हैं जिनका अनेक महानगरों में सफल मंचन भी हुआ है। गुवाहाटी के सम्मारोह में इनके नाटक सीढ़ियों का मंचन हुआ। इस अवसर पर श्री दया प्रकाश सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करना उनके लेखन का उद्देश्य रहा है। उन्होंने जन-सामान्य से कट रहे नाटक की वर्तमान स्थिति पर चिंता, व्यक्त की। श्री दया प्रकाश जी को विचार दृष्टि परिवार की ओर से हार्दिक बधाई!

विचार कार्यालय, दिल्ली से

मोती बीए को साहित्य अकादमी पुरस्कार

भाजेपुरी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए प्रथम साहित्य अकादमी अवार्ड भोजपुरी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान मोती बीए को अगस्त में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। 80 वर्षीय मोती बीए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा भोजपुरी में समान रूप से लिखते हैं और 50 से अधिक भोजपुरी व हिंदी फिल्मों के गीत लिख चुके हैं।

उ०प्र० के देवरिया जिले में बरहज के रहनेवाले श्री मोती को विचार दृष्टि परिवार की ओर से हार्दिक बधाई।

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कारों की घोषणा

डॉ० कमल किशोर गोयनका एवं डॉ०विवेकी राय को राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार

उ०प्र० के आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रो० नित्यानंद पांडे द्वारा पहली बार आगरा में संस्थान के हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कारों की घोषणा की गयी। हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा दिए जानेवाले ये पुरस्कार हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण, हिंदी पत्रकारिता, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य, खोज एवं संधान तथा विदेशों में हिंदी में उपयोगी कार्य करने के लिए दिए जाते है। अब तक सिर्फ एक लाख रुपये दिए जा रहे पुरस्कार की राशि को ढाई लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

हिंदी में खोज एवं संधान करने तथा यायावरी के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार के लिए इस बार जाने-माने साहित्यकार डॉ० कमल किशोर गोयनका और डॉ० विवेकीराय का चयन किया गया है। हिंदी प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए गंगाशरण सिंह पुरस्कार डॉ० एम० के० भारती, रमणाचार्य अरिबत, घनश्याम शर्मा, बी० चिन्नैयन तथा डॉ० मुरलीधर वंशीलाल शाहा को मिलेगा। हिंदी पत्रकारिता का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार बालेश्वर अग्रवाल, तथा शिवकुमार गोयल को देने की घोषणा की गयी। इसी प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य और उपकरण विकास का आत्माराम पुरस्कार डॉ० महायण मेहरोत्रा और डॉ० गोपाल काबरा को दिया जाएगा। हिंदी के विकास के लिए सुब्रह्मण्य भारती पुरस्कार गोविंद मिश्र, डॉ० कन्हैया सिंह तथा कृष्णवल्लभ द्विवेदी को मिलेगा।

अरुण कुमार भगत, दिल्ली से

श्रीकृष्ण कला साहित्य अकादमी इंदौर का सम्मान समारोह

बी० एस० शांताबाई सहित देश के 93 व्यक्ति सम्मानित

इंदौर के श्री कृष्ण कला साहित्य अकादमी के सम्मान 2001 समारोह में महिला हिंदी सेवा समिति, बैंगलोर की महासचिव श्रीमती बी०एस० शांताबाई को राष्ट्रीय पुरस्कार रधुनन्दन वाधवानी सम्मान शाल एवं अभिनंदन पत्र तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के कुल 93 सहित्यकारों,

कलाकारों एवं समाज सेवियों को भगवान सिंह यादव सम्मान स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि साहित्यकार को बिना फल की चिंता किए साहित्य साधना का अपना कर्म एक निष्ठ होकर करते जाना चाहिए।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए अकादमी के अध्यक्ष रमेश यादव ने अकादमी की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर श्याम यादव ने अपने गीत से उपस्थित श्रोताओं को सराबोर किया। मंच का संचालन किया अकादमी के उपाध्यक्ष नरेन्द्र वाधवानी ने।

रमेश यादव, इंदौर से

तेजी से बिखरते गांवों के सपने

❑ यतेन्द्र सिंह

भारत गांवों में बसता है। देश की कुल आबादी की 70 प्रतिशत जनता आज भी गांवों में रहती है। स्वाधीनता के बाद जनता ने सपना देखा था। वह सपना था गांवों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने का जिससे गांव के लोग अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होंगे। वे खुशहाल होंगे, उनके रहन-सहन का स्तर उत्कृष्ट होगा और वे सहज जीवन जीयेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के पिछले पचपन वर्षों में गांवों की ओर ध्यान तो दिया गया पर उन्हें उजाड़ने के लिए। विकास की अंधी दौड़ में कभी 'विकास' तो कभी 'शहरीकरण' कभी औद्योगीकरण या फिर कथित 'जनहित' के नाम पर गांवों की जमीन, जंगल, खेत, खलिहान छीन लिए गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये और उनका ग्राम्य जीवन चौपट हो गया। पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी जमीन व जंगल से गुजर-बसर करने के हक से बेदखल हो गये। और इस तबाही के बदले उन्हें क्या मिला? थोड़ा-सा मुआवजा जो उनकी भूमि पैतृक धरोहर, रोजी-रोटी की सुरक्षा देने वाली जमीन की धूल की कीमत तो हो सकता था पर उनकी जमीन की नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, संस्कृति और पर्यावरण सभी कुछ तो हमारे गांवों के मजबूत कंधों पर टिका है। इसीलिए तो गांधी जी हमें बार-बार चेतावनी देते रहते थे 'यदि गांवों का विनाश होता है तो भारत का भी विनाश हो जाएगा। ग्रामविहीन भारत नहीं रहेगा।'

गांवों में रोजगार के मुख्य रूप से दो-तीन साधन ही हैं। कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग। रोजगार के इन साधनों से गांव के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती करना अब आसान नहीं है खासकर मझोले कृषकों के लिए। नई आर्थिक नीतियों के चलते नये-नये बीज एवं खादों से फसल उगाना बहुत खर्चीला हो गया है। जहां एक ओर कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करने से अनाज उत्पादन में वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस वृद्धि से किसानों एवं इस क्षेत्र से जुड़े खेतिहर मजदूरों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आमतौर पर कृषक फसल तैयार करने में लगाई गई पूंजी एवं उससे प्राप्त प्रतिफल का मूल्यांकन नहीं कर पाता है। इस दौर में नये तरीके एवं तकनीक से की गई खेती से जहां अनाज उत्पादन में वृद्धि हो रही है वहीं कृषक एवं उससे जुड़े मजदूर कर्ज में डूब रहे हैं। विगत वर्षों में ऐसी अनेकों घटनाएं प्रकाश में आई हैं कि देश के कई राज्यों में किसानों ने कर्ज अदा न कर पाने की नाकामी के कारण आत्महत्यायें की हैं। किसानों एवं खेती से जुड़े मजदूरों की पीड़ा वातानुकूलित कमरों में बैठ कर महसूस नहीं की जा सकती है। शिक्षित व अनुभवी किसानों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि नये-नये खाद एवं बीज भूमि की उपजाऊ शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। भूमि बंजर हो रही है और उसमें नाईट्रोजन की मात्रा घट रही है, वहीं पशुधन से दुग्ध उत्पादन भी घाटे का सौदा ही साबित हो रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों ने संगठित होकर नारा दिया है 'विदेशी बीज,' विदेशी खाद, करते खेती को बर्बाद।' 'कर्ज न हो तो खेती कर लो।' खेती को व्यवसाय से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की मेहनत का प्रतिफल भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पूंजी संकट की वजह से वे महाजनों से कर्ज लेकर खेती में लगाते हैं। फसल तैयार होकर घर आते ही कर्ज को चुकाने में चली जाती है। सुविधा संपन्न एवं महाजनों का गांवों में आज भी वर्चस्व है। वे मनमानी ब्याज दर पर कर्ज बांटते हैं। यह ब्याज दर 5 से 10 रुपये प्रतिशत मासिक होती है यानी एक या दो वर्ष में कर्ज की रकम दुगुनी हो जाती है। यह चुकता न करने की स्थिति में एक ही चारा होता है, उनके घर एवं जमीन से हाथ धोना।

गांवों के विकास के नाम पर अनेकों योजनाएं बनाई गई पर ज्यादातर ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, एवं सफाई जैसे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गांवों की ही सर्वाधिक अनदेखी की गई जहां न रोजगार के अवसर बढ़ सके न शिक्षा का स्तर सुधर सका और ना ही आवास, स्वास्थ्य और सफाई के लिए कोई 'भगीरथी' प्रयास किया गया। इसके अलावा विनाशकारी बड़ी परियोजनाओं के विरोध में तो संघर्ष भी हो रहा है। लोगों के संघर्ष के लिए संगठित भी किया जा रहा है बह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन नई आर्थिक नीतियों के कारण अदृश्य रूप से निरंतर बहते नदी के जल की धारा की भांति गांवों से शहरों एवं महानगरों की ओर पलायन हो रहा है उस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। एक आंकडे के अनुसार जब से उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है तब से 6 लाख उद्योग-धंधे बंद हो चुके हैं तथा 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गये हैं।

सरकार गांवों की खुशहाली एवं कल्याण के लिए परंपरागत कुटीर उद्योग धंधों के विकास के लिए सस्ती ब्याज दर पर आर्थिक मदद का दम भरती नहीं अघाती पर सरकार की इच्छाशक्ति के अभाव तथा प्रशासन एवं बिचौलियों की मिलीभगत के कारण इन योजनाओं के तहत मिलने वाली वास्तविक मदद जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है और यदि कुछ लोगों तक पहुंचती है तो इसका बड़ा हिस्सा, प्रशासन तंत्र एवं बिचौलियों की जेब में चला जाता है।

भूमि अधिग्रहण कानून को अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के स्वार्थ बनाया था पर अपनी सरकार ने इस कानून का अंग्रेजी सरकार से कहीं ज्यादा दुरूपयोग किया है। थोड़ा-बहुत फेरबदल के बाद यह कानून ज्यों का त्यों है। अब हमारी सरकार देश के कानूनों में परिवर्तन कर जल, जंगल, जमीन को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करने का षडयंत्र कर रही

है। आत्मनिर्भर होने के बावजूद खाद्य तेल, दाल, दूध व घी विदेश से आयात किया जा रहा है जिसमें केवल खाद्य तेलों पर करीब, 40,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ताकि किसानों की कमर तोड़ी जा सके।

हमारी सरकारों ने गांवों की ओर ध्यान तो दिया पर महज उनका वोट लूटने के लिए। विपक्षी राजनैतिक दलों ने भी उनका वोट हासिल करना ही अपना धर्म समझा। अनेक नेता आज भी अपने को किसान का बेटा बतलाने से नहीं चूकते जब कि उन्होंने गांव की ओर मुड़कर नहीं देखा। गांवों का महज वोट की राजनीति के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्रों में तमाम राजनैतिक दलों ने गांवों से बड़े-बड़े वायदे किये परंतु कोई अपवाद ही होगा जिसे किसी ने पूरा किया हो। गांव की पृष्ठभूमि से निकल कर राजनीति में कदम रखते ही नेता गांवों का पथ ही भूल जाते हैं या फिर उन गरीब, अनपढ़ एवं गंवार लोगों से मिलना - जुलना पसंद नहीं रहता पर वे यह बतलाने से मुंह नहीं छिपाते कि वे गांव की पृष्ठभूमि में पले-बढ़े हैं और वे गांव की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। ग्रामवासी कहते हैं कि नेता हमारे गांव आते हैं पर वे केवल चुनावों के दौरान कोरे वायदे एवं झूठे आश्वासन देने आते हैं और फिर अगले चुनाव के वक्त ही उनके दर्शन हो पाते हैं। गांव के लोगों के वोट लूटने के लिए राजनीतिक पार्टियां एवं नेता सांप छछुंदर का खेल बखूबी खेलते हैं। एक दूसरे के ब्याह-शादी एवं दूसरे संस्कारों के मौके पर शरीक होने में उनका धर्म एवं जाति आड़े नहीं आते। यदि व्यक्तिवाद के दंश से कुछ हद तक बच पाये हैं तो वे केवल गांव ही हैं जहां अपने हित के साथ-साथ पूरे ग्रामीण समाज के हित का ध्यान रखा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत उनकी धार्मिक एवं जातिगत भावनाओं को भड़काकर उनके बीच आपसी टकराव पैदा करने का ही काम लिया ताकि वे अपने राजनीतिक रोटियां सेंककर सत्ता पर कब्जा कर सकें।

किसानों को सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत

केन्द्रीय कृषि मंत्री अजित सिंह ने कहा कि वह कृषि सब्सिडी जारी रखने के इसलिए पक्षधर हैं जिससे किसानों को सही मायने में लाभ पहुंचे। उनका मानना है कि सब्सिडी की राशि बढ़ायी जानी चाहिए जिससे हमारे किसान विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति को जारी रखने के भी पक्ष में हैं ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के विविधिकरण को प्रेरित करने के प्रयास के तहत तिलहन एवं दलहन जैसी फसलों पर उच्चतम समर्थन मूल्य दिये जा रहे हैं।

'फसलों के विविधिकरण' विषय पर उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक के उपरांत संवाददाताओं से बात करते हुए अजित सिंह ने कहा कि सब्सिडी न केवल जारी रहना चाहिए बल्कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के तहत किसानों को विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होने में मदद मिले।

उन्होंने कहा कि अमरीका ने 1998 में 65 अरब डालर की कृषि सब्सिडी दी थी जिसे इस वर्ष 11 प्रतिशत बढ़ाकर 72 अरब डालर कर दिया जो भारत के कुल घरेलू उत्पादन से अधिक है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भारतीय कृषक कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि किसान केवल उत्पादन कर सकते हैं और उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह विपणन का काम भी सुचारू ढंग से कर लें। इसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और बाजार सूचना के आलावा अन्य जानकारियां उनके लिए आवश्यक हैं इस दिशा में सहकारिता क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय धन केवल उन्ही राज्यों को दिया जाएगा जो सहकारिता सुधार लागू करेंगी क्योंकि सहकारिता राज्य के विषयों में आता है।

बीस हजार करोड़ के मुनाफे से किसान वंचित : देवेन्द्र

पहले से बदहाल बिहार के किसानों को राज्य सरकार की उदासीनता के कारण इस वर्ष गेंहू के विक्रय में बीस हजार करोड़ रुपये के मुनाफे से वंचित होना पड़ रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी उपभोक्ता मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने पिछले दिनों कहा कि बिहार में प्रशासनिक स्तर पर गेहूं क्रय के प्रति उदासीनता है। राज्य के 41 में से केवल 18 क्रय केन्द्रों पर ही गेंहू की खरीद हो पाई।

समिति के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य देवेन्द्र प्रसाद यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में इस वर्ष ढाई लाख मैट्रिक टन गेंहू की खरीद का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 30 मई तक केवल 12 हजार मैट्रिक टन गेंहू की खरीद हो पायी। इसी प्रकार बिहार में एक लाख 32 हजार मैट्रिक टन धान की खरीद हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासनिक स्तर पर अनाज खरीदने में उदासीनता बरते जाने के कारण किसान अपने अनाज को बिचौलियों के हाथों औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। श्री यादव ने कहा कि पंजाब को तरह बिहार सरकार को भी समिति तथा भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण सहयोग करने की प्रवृति को बढ़ावा देना चाहिए।

श्री यादव ने कहा कि केन्द्रीय भंडारण निगम ने राज्य के सात स्थानों त्रिवेणीगंज, फतुहा, मधुबनी, बेगूसराय, हाजीपुर, दलसिंहसराय एवं साहेबगंज में शीतगृह और गोदाम के निर्माण के लिए राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था लेकिन राज्य सरकार इस काम में विफल रही।

उन्होंने कहा कि इस बार भी राज्य के मुख्य सचिव ने चार माह कि अन्दर शीतगृह और गोदाम के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करा देने की बात दोहरायी है। श्री यादव ने कहा कि अनाज भंडारण के लिए गोदाम उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की विफलता के कारण ही बिहिया, रामगढ़, कोचस, नटवा, चिरैया, अरवल, जहानाबाद आदि स्थानों पर अनाज की खरीद नहीं हो पा रही है।

दीपक कुमार, पटना से

महाराष्ट्र में देशमुख सरकार संकट में

विचार कार्यालय, मुंबई

महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख के नेतृत्व में बनी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार इन दिनों संकट में पड़ गयी है। राज्य की यह राजनीतिक संकट अहम के टकराव की वजह से है। हुआ यों कि वामपंथी घटक महीनों से यह मांग कर रहे थे एनरान सौदे की समुचित जाँच की जाए और गरीब विरोधी करों को वापस लिया जाए किंतु जिला परिषद के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री देशमुख ने दरार को पाटने के बजाय अपने निर्णय से उसे और भी गहरा कर दिया। इस बीच राकां के अध्यक्ष शरद पवार के चहेते मंत्री सुनील टाटकरे को इस्तीफा देना पड़ा किंतु पवार के जोर देने पर पिछले माह श्री टाटकरे को पुनः मंत्रिमंडल में शामिल करना भी श्री देशमख के लिए काफी मंहगा साबित हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर शेतकरी और कामगार पार्टी के आठ विधायकों ने भी समर्थन वापस ले लिया जिससे देशमुख सरकार अल्पमत में आ गयी है। राज्यपाल ने उन्हें दस दिनों के भीतर उनसे अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा। इस बीच असंतुष्ट विधायकों में से तीन को मंत्री बनाकर स्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया। फिर भी संकट टल गया नहीं दिखता है। विधायकों के बीच शह-मात का खेल जारी रहा।

इस अवधि में कांग्रेस के 40 विधायक बैंगलूर तथा राकांपा के 53 विधायक इंदौर चले गए। विलासराव देशमुख को कांग्रेस के विधायकों के मनुहार में बैंगलूर का भी दौरा करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस ने अपने विधायकों पर सेंध रोकने तथा दलबदल से बचने के लिए ही बैंगलूर भेजा था। यदि सरकार बचाने के लिए खरीद-फरोख्त का सहारा लिया गया तो इससे विलासराव देशमुख की व्यक्तिगत छबि तो गिरेगी ही, कांग्रेस की छबि भी धुमिल होगी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हित इसी में है कि वे जिम्मेदार राजनीतिक दल का परिचय दें। इन दोनों दलों ने अपने अपने विधायकों को बैंगलूर और इंदौर भेजकर अपनी पार्टी के साथ-साथ लोकतंत्र की भी खिल्ली उड़ाई। छोटे दलों तथा निर्दलीय विधायकों ने भी जिस तरह का पाला बदला उससे उन्होंने स्वयं को एक 'बिकाऊ माल' के रूप में ही प्रस्तुत किया।

दुर्भाग्य यह है कि इस देश के राजनीतिक दल जनप्रतिनिधियों को खरीदने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधि दलबदल निरोधक कानून से बचने के लिए नए-नए तरीके निकाल ही लेते हैं। जब कानून बनानेवाले ही कानून को ढेंगा दिखाने के लिए तैयार बैठे हों तब भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा?

नेपाल में माओवादियों पर सेना का कहर

❑ **संजय सौम्य**

पड़ोसी देश नेपाल में आपातकाल के दौरान सैनिक आपरेशन में अबतक करीब दो हजार से अधिक माओवादी मौत की नींद सो चुके हैं। इस सैनिक अभियान में सेना और पुलिस के भी लगभग दो सौ जवान मारे जा चुके हैं।

सेना की इस जबरदस्त कार्रवाई से पस्त माओवादी एक बार पुनः शांतिवार्ता को उत्सुक नजर आ रहे हैं। नेपाली सेना को सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिली जब उसने रोल्पा जिले की लिसने नामक पहाड़ी स्थान पर माओवादियों के एक बड़े और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर को ध्वस्त कर दिया। विश्वस्त सूत्र के अनुसार यहाँ एक हजार माओवादी गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। कहा जाता है कि यह स्थान माओवादियों की गतिविधियों का संचालन केंद्र भी था। सेना की इस सफलता ने माओवादियों की कमर तोड़कर रख दी है।

ध्यातव्य है कि नेपाल सरकार ने माओवादी विद्रोहियों की बढ़ती हिंसक गतिविधियों से त्रस्त होकर 26 नवम्बर 2001 को देश में आपातकाल लागू कर दिया था तथा माओवादियों के विरूद्ध सेना व पुलिस का संयुक्त आपरेशन प्रारंभ कर दिया था। इस अभियान में सबसे कद्दावर समझेजाने वाली शाही सेना का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपातकाल की अवधि समाप्त होने पर देश के मौजूदा हालात को देखते हुए पुनः 27 मई को आपातकाल को अगले तीन माह के लिए विस्तार दे दिया गया है। इधर 31 मई को माओवादियों के शीर्ष नेताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से वार्ता फिर शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरी तरफ नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक माओवादी हथियार नहीं डाल देते तथा विद्रोह का रास्ता छोड़ शांति और जनतांत्रिक तरीके को अपनाने पर राजी नहीं हो जाते हैं तब तक सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं करेगी।

मानसरोबर पार्क, दिल्ली

वरिष्ट कवि बहजाद फातमी:
जिसने किलास्की शायरी की रिवायत को जिंदा रखा

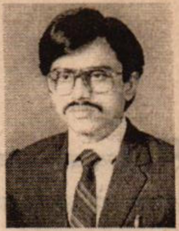

❑ डॉ० शाहिद ज़मील

सैयद सुलतान अहमद 1 अक्टूबर सन् 1917 ई० को अजीमाबाद (पाटलिपुत्र) के शाद मंज़िल में पैदा हुए। यह जमाना उनके दादा महानकवि सैयद अली मुहम्मद शाद अजीमाबादी की शुहरतों मकबूलियत की प्रकाष्ठा का था। शाद मंज़िल इल्मों अदब का मान्यता प्राप्त केन्द्र था, जिसके आँगन में अनीस लखनवी का सिक्का प्रचलित था और जहाँ किलास्की शायरी की स्वस्थ्य परंपरा परवान चढ़ रही थी। आए दिन छोटे-छोटे स्तर पर मुशायरे आयोजित होते जिसमें स्थानीय और राष्ट्रीय शायर शरीक होते। शागिर्दों और जान निछावर करनेवालों से देर रात तक आँगन भरा रहता। बौद्धिक बहसें छिड़तीं। साहित्य जंग होती, उच्च कोटि के शायरों-साहित्यकारों और सियासतदानों का तांता लगा रहता। पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की बारिश सी होती। सैयद सुलतान अहमद को कमसिनी के बावजूद उन महफिलों में जगह मिल जाती।

फ़नकार सख्त आजमाइशों से गुजर कर ही कुन्दन बनता और एक खास मुकाम जाता है। हो सकता है इसी सबब खुदा ने कच्ची उम्र में ही सैयद सुलतान अहमद को प्रतिकूल परिस्थितियों और समस्याओं के तपते रेगिस्तान में नंगे पाँव खड़ा कर दिया था। अभी उन की उम्र ने मात्र चार बसंत देखी थी कि माँ हुस्ने आरा बेगम की ममता से वंचित हो गए। उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बलबूते जार्ज एम० ई० स्कूल, पटना से मिडिल की परीक्षा उच्च अंकों से पास की तो पटना सिटी स्कूल में प्रवेश मिला, दस रुपये महवार वजीफा मुकर्रर हुआ और स्कूल फीस माफ कर दी गई। उन्हें सैयद रज़ीउद्दीन अहमद, सैयद हसन नबाव, खाजा मसूद इलियास सिद्धीकी, सैयद अनबार इसहाक, फसीदउद्दीन अहमद, सैयद मुनाजिर आलम और जमील अहमद जैसे मित्र मिले और अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू का अध्ययन-गृह के साथ खेल का मैदान भी मिल गया। आठवीं जमात में पहुंचे तो दादा की सरपरस्ती छिन गई। शाद अजीममाबादी के मृत्यु के बाद मंजिल की सारी जिम्मेदारियाँ उनके एकमात्र पुत्र सैयद हुसैन खाँ के कंधों पर आ पड़ीं। उन्होंने शाद मंजिल की पूर्व परम्पराओं को जिन्दा रखा, पिता मरहूम की साहित्यिक सरमाए को सुरक्षित रखने की कोशिश के साथ-साथ अपने बच्चों का तालीमी सिलसिला जारी रखा।

सयद सुलतान अहमद ने मैट्रिक की परीक्षा अव्वल दर्जा से पास की तो उन्हें पटना कॉलेज में प्रवेश मिला, जहाँ प्रो० अब्दुल मननान और प्रो० श्मस मनेरी जैसे उर्दू-फारसी के उस्ताद और सैयद रजानकवी वाही और यहिया नकवी जैसे दोस्त मिले। आई० ए० के दूसरे साल में थे कि सैयद हुसैन खाँ का इंतिकाल हो गया। उनके वहमोगुमान में भी न था कि पिता की मृत्यु के बाद दुश्मनों को खुली छूट मिल जाएगी। शाद मंजिल की तेज-प्रतिष्ठा जाती रहेगी, सामाजिक-आर्थिक कष्ट सहना पड़ेगा और बीते दिनों की यादें गौरव मात्र के लिए रह जाएंगी--

मैं उसी सहने चमन का फूल ऐ सुलतान हूँ जिस चमन का बागबाँ, उस्ताज कामिल शाद था

1934 ई० भूकम्प ने शाद मंजिल की बुनियाद ही हिला कर रख दी। पिता की मृत्यु का गम अभी ताजा ही था कि उन्हें चाचा सैयद नसीर हुसैन ख्याल को भी कब्र में उतारना पड़ा--- **पानी कहीं न साया कोई रहगुजर में था**

सिर पर कड़ी थी धूप मुसाफिर सफ़र में था

ऐसी नाजुक घड़ी में शाह फजल हुसैन ने अपनी पुत्री खबाबबानों की शादी सैयद सुलतान अहमद से करके उन्हें भी अपनी सरपरस्ती में ले लिया तो तालीमी सिलसिला पुनः जारी हुआ। उन्होंने बी०एन० कॉलेज में दाखिला लिया। बन्द वजीफा जारी हुआ और सैयद शाह अताकर्रहमान अताकाकोवी जैसे उस्ताद मिले। पटना कॉलेज से भी रिश्ता कायम हुआ, फारसी में प्रथम वर्ग से बी०ए० परीक्षा पास कर प्रो० श्मस मनेरी के और प्रो० अख्तर उरैनवी के मश्विरे पर एम० ए० उर्दू में दाखिला लिया। लेकिन जब घरेलू जिम्मेदारियों ने उन्हें आशाभरी-नजरों से देखना शुरू कर दिया तो रोजगार की फिक्र में लग गए। अन्ततः 1943 ई० में बिहार सिविल सर्विस में कामयाब होकर आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर प्रथमतः भागलपुर में पदस्थापित हुए।

सैयद सुलतान अहमद बहजाद फातमी जन्मजात कवि हैं। खुदा ने उन्हें शायर का दिल, दार्शनिक का मस्तिष्क और मूवी कैमरे जैसी दृष्टि प्रदान की और शाद अजीमाबादी की शानदार साहित्यिक विरासत का तंहा उत्ताधिकारी बनाया। उन्होंने जिन्दगी की विविधताओं को चीते की नजर से देखा और दुखों की सलीव को कंधों पर उठाए लम्बा सफर किया है। यही कारण है कि उनके कलाम में मखसूस दर्दो तासीर है, जो दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ग़ज़ल के विषय विशेष होते हैं- प्रेमिका की बेवफाई और जुल्म का शिकवा, प्रेसी-मिल के आनन्द का उल्लेख, बसंत, गुल-गुलशन और बुलबुल का जिक्र, शराबों शबाब की बातें, मुल्ला उपदेशक से छेड़-छाड़, तहाइ-मौत और वीरानी का दुखरा आदि-आदि। परन्तु एक बड़ा शायर उन्हीं में नवीनता पैदा कर अपने कलाम को विशेषता-विशिष्टता, फन पर पकड़ समसामयिक मामलों पर नजर, अन्दाजे ब्यान में दिलकशी और गायकी का जादू बहजाद फातमी को अन्य शायरों से अलग मुकाम अता करते हैं। यह एक रेखांकित करनेवाली बात है कि उन्होंने शाद अजीमाबादी जैसे अजीम शायर की पृष्ठभूमि में भी अपनी अलग पहचान कायम कर रखी है। उर्दू की तरक्की पसन्द तरही ने उन्हें भी प्रभावित किया परन्तु उनके यहाँ नाराबाजी घनगरज और लहजे में कटूता नहीं। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि बहजाद फातमी ने किलास्की शायरी की रिवायत को जिन्दा रखा और गुलिस्ता ने ग़ज़ल में खुश रंग गुल-बूटे खिलाए और सुंदर कियारियों का इजाफा भी किया।

सैयद सुलतान अहमद बहजाद फातमी की पहचान उनका कलाम है। आइए उनके कलाम का लुत्फ उठाएं।---- जिंदा रहा बहजाद तो पूछा न किसी ने.....
सुनते हैं कि मर जाने पे कुहराम बहुत है। बदल जाते हैं चिहरे जब हवा का रूख बदलता हैबहुत देखा है ऐ बहजाद हमने अहले दुनिया को।

संपर्क: प्रचार सचिव, राष्ट्रीय विचार मंच
क्वा०नं०-सी-6, रोड नं०-5,
आर०ब्लॉक, पटना-1

काव्य और विज्ञान

❑ डा० ए०बी० साई प्रसाद

साहित्य का पर्यायवाची शब्द काव्य और विज्ञान में आविनाभाव संबंध है। अगर साहित्य समाज का दर्पण है तो विज्ञान काव्य का अर्पण है। इस बात की ओर लोगों की धृष्टि को आकर्षित करते हुए बीसवीं सदी के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक ऐनस्टैन ने एक बार कहा था कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा हे और विज्ञान के बिना धर्म लंगडा है। धर्म का अर्थ सामान्यत: काव्य से लगाया जाता है। रामायण और महाभारत को आज भी हम धार्मिक ग्रंथ ही मानते हैं। धर्म और विज्ञान की तरह काव्य और विज्ञान भी एक दूसरे के पूरक है।

अपनी रचना के प्रेरणा श्रोतों का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसी दास लिख़ते हैं: "नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्‌ रामायणे निगदित क्वचिदन्यातोपि "। यहाँ क्क्चिदन्यतोपि। अर्थात कुछ 'अन्यत्र से' सार्थक प्रयोग है। अन्यत्र से का अर्थ विज्ञान से लगाया जा सकता है। वाल्मीकि और हनुमान की बन्दना करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है-"वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ।" भार्गव आदर्श हिन्दी कोशके अनुसार विज्ञान का अर्थ किसी विषय के सिद्धांतों का विशेष ज्ञान है। **सीताश्च चरितम्** लिखने वाले वाल्मीकि का सीध ा सबंध पंचतत्वों में मुख्य तत्व माटी या भूमि से है तो अंजनासुत हनुमान के पिता स्वयं वायु है। पूरी रामायण की कथा माटी, से जलसे, अग्नि से और आकाश से जुड़ी हुई है। पूरा रामचरित मानस पंच तत्वों का काव्य है। इस बात की चर्चा के लिए कारण यह है कि भारत को छोड़कर अन्य देशों में प्रीस्टल के आगमन तक-सन् 1774 तक-लोग सिर्फ चार तत्वों को ही मानते थे। पर हमारे स्त्रष्टा और द्रष्टा ऋवि तुलसी दास इस बात से परिचित थे। सुन्दरकाण्ड में समुद्र के मुँह से तुलसी कहलवाते हैं: गगन समीर अनल जल धरनी। तुलसी इन तत्वों के स्वभाव का विवरण देते हुए कहते हैं: इन्हं कह नाथ सहज जड करनी।

ब्रिस्टल विश्वविद्यरलस के शिशु स्वास्थय संस्था के शोधकों का मत हैं कि धूल में खेलने वाले मट मैले लड़के स्वास्थ्य सिद्धांतों के पालन कंरने वाले लड़कों से ज्यादा आरोग्यवान होते हैं। इस बात का पता पश्चिम में अब चला है पर तुलसी और सूर इस बात को खूब जानते थे। बालकाण्ड में तुलसी बालक राम का वर्णन करते हुए कहते है: धूसर धूरि भरें तनु आये। जब इस प्रकार राम आते हैं तो भूपति दशरथ उन्हें बिहसि गोद बैठाकर पुचकारतें है। महराज दशरथ के पुत्र राम के शरीर पर धूल जमने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी तुलसी इसलिये लिखते हैं क्योंकि वह बालकों के लिये अच्छा है। तुलसी की तरह सूरभी इस वैज्ञानिक राज को जानते थे। अपने पद शोभित कर नवनीत लिये में आगे लिखते हैं: घुटुरनि चलत रेणुतन मण्डित मुख दधि लेप कियो ये उदाहरण साफ बता देते हैं कि सूर और तुलसी बाल मनोविज्ञान के साथ साथ बाल स्वास्थय को भी जानते थे। सूरदास ऊर्जा संबंधी सिद्धांत से परिचित थे। ऊर्जा की न सृष्टि हो सकती है और न ही नाश। जैसे गीताजी में आत्मा के बारे में कहा गया है- नकोई अस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि उसे जला सकती है। अर्थात् ऊर्जा या आत्मा अगर एक रूप में नष्ट होते है तो दूसरे रूप में उभर पड़ते है। इस बात को अपने निराले ढंग से सूर अपनी एक गोपिका से कहलवाते हैं। इन कालों पर विश्वास मत करो। काले बादलों को देखो। समुंदर से पानी ग्रहण करते हैं पर बरसते हैं जमीन पर। सूर जानते थ कि ऊर्जा पानी से मिल सकती है इसलिए पानी की बात करते हैं।

क्रम विकासवाद (Theory of Evolution)से संबंधित हमारी धारणाये काफी मौलिक हैं। हमारे प्राचीन कवि दशावतार के द्वारा क्रम विकासवाद का निरुपण कर चुके हैं। हमारे सिद्धांतों की सचाई को जानने के लिए पश्चिम के वैज्ञानिकों को कई हजार साल लगे हैं।

शिकागो विश्वविद्यालय के स्टैनली मिलर ने सन् 1952 में कल्पना की है कि पहले पहल पृथ्वी पर हाइड्रोजन अमोनिया और मिथेन थे। आक्सीजन पानी से अलग मुक्त रुप में नहीं थी। उनका विचार है कि नयी ठंडी हुई पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई घटना घटी होगी और इस तरह जीवन के उदय का आरंभ हुआ होगा। हमारे यहाँ कवि जानते थे कि पहले पूरा संसार जलमय था और आक्सीजन पानी में ही थी। इसीलिए मछली के अवतार की कल्पना की गई है। जब जल पीछे हटकर पृथ्वी दिखायी देने लग गयी तो उभयचर कछुवा उभर आया। जब जयदेव जयजगदीश हरे अष्ट पदि में दशावतारों का वर्णन करते हैं तो वे इसी अंश को साबित करते हैं। भागवत के सभी अनुवादकों ने इस का वर्णन किया है। दशावतार और दशरथ हमारे कवियों के संख्याज्ञान और दिशा ज्ञान को साबित करते हैं।

गेलीलियों और कोलबंस ने दुनिया को गोल कहा है। शायद तब से दुनिया गोल है बात चल पड़ी है। पर बूमिरांग मैक्रोवे वटेलेस्कोप द्वारा अंटार्किटा की ऊंचाइयों पर बलून द्वारा किये गये शोध से पता चला है कि यह विश्व समतल है या चटाई है। यह शोध और लोगों को अवश्य चौंकायेगा पर हमको नहीं। हिरण्य कशिपु का भाई हिरण्याक्ष ने भूमि को चटाई की तरह लपेट

कर समुंदर में फेंक दिया था। भगवान ने इसका संहार कर भूमि को बचाया था।

वर्तमान पीढ़ी से भविष्य की पीढ़ी बहुत बुद्धिमान होगी। जहाँ तक बुद्धि का सवाल है लड़का बाप से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा। आजकल इस बुद्धिमत्ता को हम एक क्यू नाम से बुलाते हैं। इसका भी परिचय हमको दशावतारों से मिलता है। परशुराम अवतार से राम का अवतार बेहतर अवतार माना जाता है। इसीलिए राम के मंच पर आते ही परशुराम परदे के पीछे चले जाते हैं। भक्ति काल में तुलसी के राम और सूर के कृष्ण को लेकर उन दोनों के अनुयायियों में काफी झगड़े हुए थे। बारह कलाओं वाले राम को कोई बड़ा मानता तो कोई सोलह कलाओं के कृष्ण को। यह झगड़ा आजकल के ऐ-क्यू या ई-क्यू की ओर इंगित करता है।

बीसवी सदी में आकर ऐनस्टैन ने न्यूटन के(1642-1727) लास आफ मोषन जो है उन को कुछ हद तक गलत साबित किया है। प्रकाश वेग से आगे बढ़ने वाले या एलेक्ट्रान के आकार वाले कण अर्थात पार्टिकल्स पर न्यूटन के लास् आफ मोषन लागू नहीं होते। हमारे कवि जानते थे कि भूमि का गुरुत्व आकर्षण अंतरिक्ष में काम नहीं करेगा। इसीलिए कंस जशोदा के कोख से उत्पन्न शिशु मांया को जब आकाश में फेंकता है तब वह शिशु न्यूटन के मुंह पर कालिख पोत कर अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। वास्तव में वह शिशु भूमि के गुरुत्व आकर्षण शक्ति की परिधि के बाहर पहुंच जाता है। इसलिए वह भूमि पर लौट नहीं आता है। रीतिकाल के घनानंद फिर भी न्यूटन के लास् आफ मोषन के तीसरे सिद्धांत को अपने एक सवैये में यों सिद्ध करते हैं। तुम कौन धौं पाटी पढ़े हो। लला, मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। यहाँ घनानंद न्यूटन के पूर्व ही कहते हैं हम जितना लेते हैं उतना हमको देना पड़ेगा। न्यूटन ने इस बात को बदल कर कहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक समान और विपरीत होते हैं। संत कबीर विज्ञान से अपरिचित थे ऐसा हमें नहीं मानना है। वे जानते थे कि उत्प्रेरक क्या काम करता है। कटालिस्ट खुद न बदलकर बदलने की क्रिया में सहायता पहुँचाता है। कबीर गुरु को एक अच्छे उत्प्रेरक के रुप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं: बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय। गुरु अपने ही स्थान पर डटे रह शिष्य को गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताता है। तुलसी बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड में गुरु का वर्णन कुछ इसी अंदाज से करते हैं।

पीसा चर्च में टंगे एक झूलते हुए लालटेन को देखकर गलीलियो ने सिम्पुल लास आफ पेन्डुलमू का आविष्कार किया था। उनसे कम से कम तीन सौ पचास साल पहले ही कबीर जानते थे कि l/t जोहोता है वह हमेशा स्थिर रहता है।

छिनाहे चढ़ै छिन ऊतरै सो तो प्रेम में होय। अघट प्रेम पिंजर बसै प्रेम कहावै सोय। प्रेम को स्थिर रहने के लिए कहते हुए वे सिम्पुल लास् आफ पेन्डुलम के तीसरे ला l/t स्थिर को साबित करते हैं। इस दोहे के द्वारा वे यह भी बता देते हैं कि भविष्य में पारे के उतरने चढ़ने के द्वारा हम ज्वर की तीव्रता को थर्मामीटर के द्वारा माप सकते हैं।

लगता है तुलसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से परिचित थे। पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश से अपना आहार बना लेते हैं। वे पेड़ पौधे-वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में संसार को आक्सीजन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जिक्र तुलसी सुन्दर काण्ड में करते हैं। जब रावण सीता से कहता है: कह रावनु सुनु सुमुरिव सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करउँ पन मोरा एकबार बिलोकु मम ओरा हाथ में तिनका लेकर उस के माध्यम से सीता इस कुप्रस्ताव का जवाब देते हुए कहती हैं:सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहूँ कि नलिनी करइ बिकासा। खद्योत प्रकासा और नलिनी करइ बिकासा प्रमाणित करते हैं कि तुलसी एक पहुँचे हुए वैज्ञानिक भी थे। निश्वास के कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास के आक्सीजन में बदलने वाले पेड़ की तुलना संत से कर तुलसी कहते हैं कि संत अपकारी को भी उपकारा करने वाले होते हैं। 'तुलसी संत सुअंग तरु' दोहे में कहते है: 'इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत।' कार्बन डाइऑक्साइड पाहन है तो बदले में पेड़ हमको फल आक्सीजन देते हैं।

गागर में सागर भरने वाले बिहारी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एक अच्छे चित्रकार की तरह वे रंगों के सुन्दर मिश्रण को भी जानते थे और साथ ही साथ आर्किमेडीस सिद्धांत को भी। जब किसी पदार्थ को द्रव्य में आंशिक रुप से डुबोते है तब वह उसे छितराता है। यह छितराया गया अंश उस पदार्थ के वजन के बराबर होता है। इस सिद्धांत को कृष्ण भक्ति पर लागू करते हुए बिहारी कहते हैं: या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहिं कोइ ज्यों ज्यों बूड़ स्याम रंग त्यों उज्जवल होय यहाँ ज्यों ज्यों और त्यों का प्रयोग आर्किमीडीस सिद्धांत को साबित करता है। अपने, कहा भयौ जौ बीछुरै मो मन तो मन साथ उडी जात हुँ गुडी, तऊ उडायक हाथ दोहें के द्वारा बिहारी आजकल के रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं।

एरकंडीषनर्स के आविष्कार के बारे में यह चुटकुला काफी प्रसिद्ध है: जब रेलकोड कार की खिड़कियों को लोग खोल नहीं पाये तो उन्होंने एरकण्डीषनर्स का आविष्कार किया। कहने का मतलब है कि काव्य और विज्ञान दोनों हर कठिन समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेते हैं।

संपर्क: w-58,मैत्री 8thस्ट्रीट
B-सेक्टार, अण्णा नगर वेस्ट
एक्स्टेनशन, चेन्नै-600101

अल्ट्रासाउंड द्वारा लिंग निर्धारण कानूनन अपराध

❑ सुनीता रंजन

भारत सरकार ने गर्भवती औरतों पर अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल कर लिंग निर्धारण करने पर रोक लगा दी है क्योंकि मादा भ्रूणों के पता चल जाने पर उसे गिराने का सिलसिला चल पड़ा है। हालाँकि वर्षों की खोज के बाद चिकित्सा जगत द्वारा गर्भणियों को दी जाने वाली सुविधा से सिर्फ इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि रूढ़िवादी समाज उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। सच तो यह है कि आज समस्या यह है कि सामाजिक कुरीतियों व पारंपरिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठायी जाए किंतु राजनीतिक धुरंधर उसके विरूद्ध अपनी जुबान हिलाना नहीं चाहते।

भारत सरकार द्वारा कानून बनने के बाद औरतें अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकेंगी, इससे औरतों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता बरतनेवाले हर उस शख्स को झकझोरेगी जो औरतों के प्रति तनिक भी खुले विचार रखते हैं। चिकित्सा जगत का एक महत्वपूर्ण अंग-अल्ट्रासाउंड की यह पद्धति तमाम औरतों के लिए सुविधाजनक प्रसव का मार्ग प्रशस्त करती है। अपंग-अपाहिज सिलसिला थमा नहीं है। देश भर में होनेवाले कुल गर्भपातों में 98 प्रतिशत मादा भ्रूण गिराने के लिहाज से किए जाते हैं। कोई औरत अपनी कोख सिर्फ इसलिए नहीं उजाड़ सकती कि उसमें मादा पल रही है। बेटी की माँ को अपमानित करनेवाली व्यवस्था ही उसे बेटे का दीवाना बनाती है। कुछ भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्ट्रासाउंड मशीनों ने औरतों की कोखों को टटोल-टटोल कर उन्हें पारंपरिक परिवारों में जीने का सहारा दिया है। यह सहारा अब छीनने ही वाला है।

गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउंड कराने पर रोक लगाने से ज्यादा बेहतर है, लड़कियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए, उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएं और दकियानुसी विचारधारा को उखाड़ फेंकने के प्रति प्रतिबद्धता बरती जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास और तरह-तरह के संक्रमणों से बचाव के लिए पूरी गर्भावस्था के दौरान एकाध मर्तबा अल्ट्रासाउंड अनिवार्य होता है। इस कानून के बाद प्रसूताओं को मौत के मुँह में जाने के जोखिम से बचाने की एक अहम चिकित्सा पद्धति से हम हाथ धो बैठेंगे।

रचनाकारों से

(1) रचना भेजने के लिए कोई शर्त नहीं है, सभी रचनाकारों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उदीयमान रचनाकारों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किए जाने का प्रयास रहेगा।

(2) राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित तथा वैचारिक रचनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) रचना एक तरफ/कम्प्यूटर पर कम्पोज्ड अथवा सुवाच्य स्पष्ट लिखी होनी चाहिए।

(4) रचना के अंत में उसके मौलिक अप्रकाशित व अप्रसारित होने के प्रमाण पत्र के साथ रचनाकार, नाम व पूरा पता अवश्य लिखा होना चाहिए।

(5) रचना के साथ पासपोर्ट/स्टाम्प आकार की स्वेत एवं श्याम तस्वीर की दो प्रतियाँ अवश्य संलग्न करें।

(6) प्रकाशित रचनाएँ वापस नहीं की जाती, कृपया उसकी प्रति अवश्य रख लें।

(7) प्रकाशित रचनाओं पर फिलहाल पारिश्रमिक देने की कोई व्यवथा नहीं है, हाँ, रचना प्रकाशित होने पर अंक की प्रति अवश्य भेजी जाऐगी।

(8) किसी भी विधा की गद्य रचनाएं 1500 शब्दों अथवा दो पृष्ठों की मर्यादा में ही स्वीकार्य होंगीं।

(9) समीक्षार्थ पुस्तक की दो प्रतियां भेजना आवश्यक है।

(10) रचनाएं कम्प्यूटर पर कम्पोज्ड कराकर उसे इन्टरनेट पर भेजें जिसका E-mail - vicharbharat@hotmail.com

डॉ० शिवनारायण, कार्यकारी सम्पादक, विचार दृष्टि
'बसेरा' पुरन्दरपुर, पटना-1
दूरभाष: (612) 228519

सिद्धेश्वर, सम्पादक, विचार दृष्टि
दृष्टि 6, विचार बिहार, यू-207, शकरपुर, विकास मार्ग
दिल्ली-92, दूरभाष: (011) 2230652

भारतीय सामाजिक संरचना बीच दलित जीवन

❑ ज्योतिशंकर चौबे

प्राचीन मराठी शब्द 'दलित' आज हमारे भारतीय समाज का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़ा दलित वर्ग सदियों से सामाजिक विकास की प्रक्रिया के परिपेक्ष्य में अनेकों आश्वासनों के बीच समाज में सम्मानजनक स्थान पाने की अपेक्षा करता आ रहा है। फिर भी वह लुभावने कल्पनातीत, अव्यवहारिक पयरिवेश के परिदर्शन के बीच अभी तक असहाय ही है।

19वीं सदी के अंत में ज्योति बा फुले की सामाजिक क्रान्तिकारी अवधरणाओं के परिपेक्ष्य में पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ। जिसके प्रचलन का श्रेय बाबा साहब अम्बेदकर को जाता है। हालांकि सार्वजनिक मान्यता तथा व्यापकता इसे उस समय मिली जब 'दलित पैंथर' नामक संस्था वजूद में आई। दलित आन्दोलनों के अभियान के स्वरूप के साथ इसकी व्यापकता ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्वरूप लिया। लेकिन सदियों पुरानी चली आ रही पारम्परिक सामाजिक मान्यता के सायों आज तक यह झूलता ही रहा है। दलित आन्दोलनों के अपने 150 वर्षो के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य मे सामाजिक,धार्मिक, समाजिक अवधारणाओं के बीच इस वर्ग ने समानता एवं सत्ता में प्रतिनिधित्व को प्रमुख मुद्दा बनाकर सत्ता तक पहुंचने की चेष्टा की । निराशा के वातावरण में शक्ति प्रदर्शन भी किये । परन्तु आज भी यह सत्य एवं सत्ता के द्वन्द सेबाहर नहीं आ सका । शासक दल एवं शासक वर्ग के अन्तर को अपने वर्ग की बीच वह परिभाषित नहीं कर सका । आरक्षण के परिवेश में मान्य मान्यतायें भी इस वर्ग के प्रकृति प्रदत्त क्षमता को यथास्थान तक विकसित करने में कोई सराहनीय सफलता नहीं पा सकी हैं । 2 करोड़ के लगभग सरकारी नौकरियों में 45 लाख से अधिक का समायोजन आरक्षण योजना के तहत सम्भव नहीं है । फिर भी अव्यवहारिक प्रयासों के बीच काल्पनिक परिवेश में आजतक ठगा ही जाता रहा है । राष्ट्र विकास एवं समानता की खोज के परिदृश्य में यह सदा अभिशाप ही रहा । सरकारी नौकरियों से बाहर निजी संस्थाओं की अपार सम्पदा की ओर का आकर्षण भारतीय संस्कृति से निकटता एवं उस पर वर्चस्व दलित वर्ग के उत्थान एवं समाजिक आर्थिक विकास तथा सत्ता तक पहुंचने के लिये प्रथम सोपान एवं स्वस्थ सशक्त, अविचल सोच हो सकती थी । लेकिन कूटनीतिक परिवेश ने उन अवधारणाओं से इस वर्ग को अलग ही रखा । उदारीकरण मान्यताओं के बीच इस वर्ग को उत्थान एवं विकास की झलक दिखाने का प्रयास किया गया, परन्तु उसका नकारात्मक स्वरूप ही सामने आया । इस वर्ग के कुछ व्यक्ति विशेष ने अपनी क्षमता एवं सामाजिक सूझ-बूझ से उच्च पद तथा से उच्च पद तथा सम्मानित आलोक में पहुचने में सफलता पायी, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद उनके मौलिक आधार से सम्बन्ध विच्छेद तथा सामन्ती परिवेश में घुल मिल जाने से दलित वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सका । और वर्ग की स्थिति यथावत बनी रह गयी ।

भूमिहीन, कृषि मजदूर, अशिक्षित , सामाजिक परित्यक्त एवं दो रोटी के जुगाड़ से जूझते मानव वर्ग के लिये शासक दल का स्वरूप प्राप्त करना आत्म संतोष एवं कल्पना की उड़ान हो सकता है । सम्पूर्ण वर्ग के लिये व्यवहारिक नहीं हो सकता सर्व प्रथम इस वर्ग को शिक्षा, सामाजिक समानता, अपनत्वता, आर्थिक-सामाजिक शोषण मुक्त जीवन से सम्मान एवं अपनत्वता सहज हो जाया करती है । पूरे विश्व में अल्प संख्यकों का शासन ही रहता आया है । लेकिन इसके परिवेक्ष्य में शोषण मुक्त समाजिक जीवन एवं समानता तथा अपनत्वता का अतीत है । भारतीय राजनैतिक जीवन में सत्ता तक पहुंचने के लिये इस वर्ग की भागीदारी सोपानके रूप रहती आयी है । परन्तु सत्ता की भागीदारी से इसे सदा दूर रखने का प्रयास किया गया है । कूटनीतिक प्रयासों से अनभिज्ञ यह वर्ग सदा भूमक परिस्थितियों का ही शिकार रहा है ।

बाबा साहब अम्बेदकर ने दलित आन्दोलनों को सामाजिक परिपेक्ष्य में उस समय सशक्त बनाने का प्रयास किया जब दलित उत्थान गांधी दर्शन से जुड़ा हुआ था । बाबा साहब ने गांधी दर्शन का इस परिपेक्ष्य में जोरदार विरोध किया लेकिन पराक्ष में आन्दोलन उनकी मूक सहमति पर आधारित था । सत्ता की भागीदारी भी साथ थी । अपने आन्दोलन में बाबा साहब ने कभी घृणा एवं प्रतिशांध को प्रश्रय नहीं दिया । भारतीय सामाजिक संरचना की मानसिकता-व्यवहारिकता तथा ब्राहमणद की सशक्त आलोचना की और विरोध के बावजूद ब्राहमणों के विरोध में वह कभी नहीं रहे । ब्राहमण कुल मे जन्मी सविता जी को जीवन संगिनी बना था। तथा एक सहभागी के रूप में जन मानस के सम्मुख हरान्त रखा । भ्रमित जीवन की सोच तथा अवधारणायें उन्हें ग्राहा ग्राहा नहीं थी । लेकिन दलित वर्ग की वत्तर्मान स्थिति एवं सोच से परिदर्शित होता है कि सम्भवत: बाबा साहब की मान्ताओं के अनुकूल अपने को ढालने का इस वर्ग ने अभीतक सफल प्रयास नहीं किया है । इस वर्ग की ही नहीं भारतीय समाज की वर्तमान मन: स्थिति की आज यह विशेषता बना चुकी है । राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़कर सामाजिक समानता, अपनत्वता के साथ दलित वर्ग के उत्थान की अवधारणों को राष्ट्रीय चिन्तन एवं दृष्टिकोण ही सही दिशा निर्देश दे सकता है । साथ-साथ चलना, दु:ख दर्द झेलना, हम सफर रह गुजर को अपना बना देता है । शासक दल एवं शासक वर्ग के अन्तर को इस वर्ग के बीच सही रूप में परिभाषित करना होगा । कोरी भावनात्मक एवं काल्पनिक आश्वासनों से अलग हटकर इस वर्ग की प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी । परिवर्त्तन से डरकर दलित वर्ग के करोड़ों लोगो के प्रति अन्याय नहीं किया जा सकता । वर्तमान कई दलीय नेतृत्व को सत्ता प्राप्ति के परिपेक्ष्य में ही उत्थान एवं विकास की झलक दिखाई देती है । लेकिन अभीतक के परिदृश्य से अस्थिर, अनैतिक, अविश्वसनीय वातावरण को ही बढ़ावा मिला है। अतीत के 5 हजार वर्षों की जातीय संरचना का ऐतिहासिक परिवेश कुण्ठा, जीवन में निराशा पिछड़ापन तथा प्रतिशोधात्मक, घृणित अवधारणाओं का प्रतीक रहा है । जिससे असमाजिक, सामन्ती वर्चस्व से वर्ग विशेष त्रस्त एवं अपमानित होते आये हैं । और असुरक्षा की स्थिति बनती आयी है । हमें सही परिदृश्यों के आलोक में अपने वर्त्तमान को मानवीय दृष्टिकोण के परिवेश में सहज एवं विकसित करने का प्रयास करना चाहिए । हमारे सही राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही अपने बीच अविकसित समाज को अपना सहभागी बनाकर सशक्त राष्ट्रीय निर्माण में सहायक हो सकते हैं ।

12-13 जनवरी 2002 को मध्य प्रदेश के दलित, बुद्विजीवी, जननेताओं के एक सम्मेलन द्वारा 21 सूत्री दलित उत्थान योजना का दस्तावेज स्वीकार कर सराहनीय प्रयास किया गया है। हमें इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर चिन्तन एवं बहस का अवसर देकर एक राष्ट्रीय दस्तावेज तैयरा करना चाहिए । जिससे सर्वमान्य राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया जा सके । 'यदि जली आग की बुझी राख से वारूद की चिनगारियाँ निकलने लगे तो उसमें विक्षुब्ध, प्रतिशोधत्मक, क्रान्तिकारी मानसिकता का आभास एवं अघोषित आक्रोश की झलक देखना चाहिए । अन्यथा सामाजिक संरचना का ध्वस्त स्वरूप निकट आता जायेगा'।

ज्योतिशंकर चौबे
एम. आई. जी. 83
हनुमाननगर, पटना 800020
दूरभाष 351042

न्यायमूर्ति पुण्यश्लोक बनवारी लाल यादवः संस्कृत और संस्कृति के अनन्य उपासक

❑ डॉ० शिववंश पाण्डेय

संस्कृत के एक शीर्षस्थ एवं कीर्तिलब्ध विद्वान् न्यायमूर्ति बनवारी लाल यादव का नाम तो वर्षों से सुनता आ रहा था पर उनके निकट संपर्क एवं सामीप्य का सुखद लाभ तब मिला जब वे इलाहाबाद उच्च० न्यायालय से स्थानान्तरित हो पटना न्यायालय में आये। मैं बिहार-संस्कृत-सञ्जीवन-समाज का महासचिव था और आज भी हूँ। यह संस्था विगत 116 वर्षों से संस्कृत भाषा एवं साहित्य तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए सन्निष्ठ भाव से काम कर रही है। संस्कृत साहित्य के प्रकाशन के अलावे इस संस्था द्वारा "संस्कृत- सञ्जीवनम्" संज्ञक संस्कृत शोध पत्रिका का भी नियमित प्रकाशन किया जाता है। संस्था के प्रत्येक वार्षिकोत्सव के अवसर पर संस्कृत-विद्वानों को सम्मानित करने का भी सारस्वत कार्यक्रम इस संस्था द्वारा निर्बाध रूप से चलाया जाता रहा है। जहाँ तक मुझे स्मरण है समाज के एक सौ चौदहवें वार्षिकोत्सव के अवसर पर सम्मान के लिए समाज की कार्यकारिणी द्वारा न्यायमूर्ति बनवारी लाल यादव जी का चयन किया गया था। इसी संदर्भ में मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज के महासचिव के रूप में मुझे उनके यहाँ सम्मान-ग्रहण की स्वीकृति तथा सम्मान-समारोह में उपस्थित रहने की उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा ा।

न्यायमूर्ति यादव जी बेली रोड स्थित सरकारी आवास में रहते थे। दूरभाष पर समय लेकर मैं उनके आवास पर गया। यादव जी बैठक-कक्ष में पहले से ही मेरी प्रतीक्षा में बैठे थे। उन्हें मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही बैठा देखकर मुझे 5 मिनट विलम्ब से वहाँ पहुँचने का मन ही मन बड़ा क्षोभ हुआ यद्यपि उनकी ओर से इस आशय के शाब्दिक या सांकेतिक किसी प्रकार के भाव नहीं व्यक्त किये गये थे। बरामदे में घंटी के लिए लगी स्विच को दबाते ही वे सामने खड़े दिखे। जिस शालीनता, विनम्रता और आडम्बरहीनता के साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया वह उनकी विद्वता, सहृदयता, निष्कपटता तथा अंतरंगता का परिचायक था। मुझे तत्क्षण 'गीता' का यह श्लोक स्मरण हो आया-

विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी।
शुनिचैव श्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः॥

सम्मान-समारोह संबंधी आवश्यक वार्ता के बाद जब मैंने उनसे संस्कृत भाषा एवं साहित्य के बारे में जिज्ञासा की तो उन्होंने जिस गहराई और तीक्ष्णप्रज्ञ दृष्टि से संस्कृत साहित्य की विभूतियों एवं संपदा को रेखांकित किया उसे सुनकर तो मैं स्तब्ध रह गया। पाणिनि, पतंजलि से लेकर आज तक के संस्कृत विद्वानों के संपूर्ण जीवन-वृतान्त एवं कृतियाँ उनकी जिह्वा पर विद्यमान दिखे। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद्, पुराण, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भगवद्गीता आदि का वार्ता-क्रम यथाप्रसंग उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिन लोगों को इन ग्रन्थों की महत्ता का ज्ञान नहीं है वे भारतीय संस्कृति को ठीक से समझ ही नहीं सकते। धर्म के संबंध में उनके स्पष्ट विचार थे कि जो धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोधी होता है वह धर्म नहीं कुमार्ग है। धर्म वही है जिसका किसी भी दूसरे धर्म से विरोध नहीं होता-

'धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुवर्त्म तत्।
अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः॥

स्व. यादव प्रख्यात न्यायविद् तो थे ही पर संस्कृत, साहित्य और भाषा के इतने प्रकाण्ड विद्वान थे, इसकी सम्यक् जानकारी मुझे नहीं थी। मैं तो इतना ही जानता था कि उन्होंने इलाहाबाद उच्चन्यायालय में कई निर्णय संस्कृत में दिए थे जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों से होती रही थी पर शब्द-शास्त्र और व्याकरण के इतने प्राज्ञप्रौढ़ विद्वान् थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। हमने प्रसंगतः हिन्दी में निर्मित हो रही विधि-शब्दावली की कठिनाइयों की ज्योंही चर्चा शुरु की उन्होंने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वाक्यपदीय, शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्यम्, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आदि का उल्लेख करते हुए बताया कि यदि हम संस्कृत में उपलब्ध शब्द-सम्पदा का समुपयोग करें तो विधिक शब्दावली की कोई समस्या ही नहीं उठ खड़ी होगी। मुझे स्मरण है कि शब्दशक्ति की व्याख्या करते हुए उन्होंने भर्तृहरिकृत 'वाक्यपदीयम्' यह श्लोक उद्धृत किया था-

'न सोडस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्र्दन भासते॥

संस्कृत में उनके द्वारा लिखे गये निर्णय के बारे में जब मैंने जिज्ञासा की तो उन्होंने बताया कि उन्हें अंग्रेजी के समान ही संस्कृत और हिन्दी में भी उच्चन्यायालय में निर्णय लिखवाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, केवल काम बढ़ जाता है क्योंकि विद्यमान सवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसका अंग्रेजी रूपान्तरण भी देना पड़ता है। काफी अनुनय- विनय कर मैंने उनके द्वारा संस्कृत में लिखे गये एक निर्णय की फोटो प्रति प्राप्त की। निर्णय एक सिविल मामले से संबंधित था जिसमें अनेक विधिक पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग हुए थे पर बिना कोष्ठक में मूल अंग्रेजी शब्द दिए उन्होंने संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग करते हुए निर्णय को सर्वांगपूण बनाया था। बाद में बिहार-संस्कृत-सञ्जीवन समाज ने उसकी फोटो-प्रतियां तैयार कराकर वार्षिकोत्सव के अवसर पर वितरित भी किया था।

व्यवहार, बातचीत, रहन-सहन, वेश-भूषा सब में ध्यानाकर्षी सादगी। पाखंड, आडम्बर से सर्वथा प्रविरत इस संस्कृति-पुरुष के निरंहकारी, प्रचार शून्य व्यक्तित्व को देखकर श्रद्धाभिभूत हो मैं मन ही मन गुनगुना उठा-

"विद्या ददाति विनयं विनयादयाति पात्रताम्।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धंम ततः सुखम्॥"

संस्कृति-पुरुष बनबारी लाल यादव के महाप्रयाण से न्यायिक जगत् की जो भी क्षति हुई हो पर संस्कृत और संस्कृति-संसार तो अपने एक ऐसे रहनुमा से वंचित हो गया जो अहर्निश इनके हितसाधन और उन्नयन के लिए चिन्तातुर एवं क्रियाशील रहता था।

उनकी पावन समृति को शत-शत नमन।

संपर्कः लीलाधाम 3/307,
न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी,
पटना-800013

आध्यात्मिक चिंतन के वे आनंदप्रद अभिव्यजंक थे

न्यायमूर्ति बी० एल० यादव के निधन से

मंच व विचार दृष्टि को अपूरणीय क्षति

24 मार्च 2002 को इलाहाबाद में **न्यायमूर्ति बनवारी लाल यादव** का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से न केवल **राष्ट्रीय विचार मंच** तथा **विचार दृष्टि** पत्रिका को अपूरणीय क्षति हुई है बल्कि यह सम्पूर्ण भारत की बौद्धिक व न्याय जगत की भी क्षति है। बी०एल० यादव एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। मंच तथा विचार दृष्टि को वैचारिक धरातल पर खरा उतारने के लिए उन्होंने सतत एवं सफल प्रयास किया। सम्पूर्ण न्याय जगत भी उनकी न्यायप्रियता तथा हिंदी एवं संस्कृत के प्रति उनकी निष्ठा का लोहा मानता था। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विचार दृष्टि के संरक्षक एवं विधि सलाहकार के रूप में जो सराहनीय सेवाएं उन्होंने अर्पित की उसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे।

तुम्ही सो गएं दास्तां कहते-कहते

इतिहास की सार्थकता इसी में है कि वह अपने में विस्तार को समाहित कर लेता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो न्यायमूर्ति बनवारी बाबू ने इतिहास को विस्तार दिया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा तथा समय की आवश्यकतानुसार प्रवहमाण धारा को नई दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। हिंदी एवं संस्कृत के मर्मज्ञ थे। न्यायमूर्ति यादव व्यक्गित रूप से सत्यं, शिवं और सुंदरम की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनकी गौरांग, स्वस्थ और सुन्दर काया महामानव के दिव्य आलोक से अभिमण्डित थी। उनकी सहज एवं मृदुल मुस्कान में उषाकालीन लालिमा मुखरित होती रहती थी। न्यायमूर्ति यादव न्याय जगत के गौरवमय शिखर होकर भी सहृदय इंसान थे। वे स्वाभिमानी थे किन्तु मिथ्या अहंकारी नहीं। आध्यात्मिक चिंतन के वे आनंदप्रद अभिव्यजंक थे।

सच मानिए, विश्वास नहीं होता कि अब वे हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन सच को स्वीकारना होगा क्योंकि कालचक्र से कौन बचा है- **आया है सो जाएगा राजा, रंक, फकीर**
एक सिंहासन चढ़ि चले, एक बँधा जंजीर।

एक सहृदयी मार्गदर्शक स्वर्गीय होकर अपने जीवित हमराही को खंडहर बना देता है- टूटी संवेदनाओं की अनुगुंजित स्मृतियाँ और लुढ़क-लुढ़क कर आँसुओं की अविराम श्रृंखला की धार। विगत सात-आठ वर्षों के वे जीवंत और मुखर क्षण स्मृतियों की घाटियों में अनवरत गूँज जाते हैं। स्मृतियों के झरोखे से जब उन्हें झाँकने की कोशिश की जाती है तो बरबस इन पंक्तियों की याद आती है--

"बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना
तुम्ही सो गए दास्तां कहते-कहते।"

उनकी मौत से एक युग का अंत हो गया जिसकी पूर्ति आनेवाले समय में होगी या नहीं, कहना मुश्किल। मंच तथा पत्रिका परिवार उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृति को नमन करता है।

-सिद्धेश्वर

वेलायुधन नायर ने हिंदी प्रचार अभियान को एक नया आयाम दिया

❑ डॉ० एन० नील लोहित दासन नाटार

केरल हिंदी प्रचार सभा के मंत्री एम० के० वेलायुधन नायर का विगत 14 अप्रैल को तिरुवनंतपुर के रिजनल कैंसर सेंटर में निधन हो गया। 67 वर्षीय स्व० नायर ने अ० भा० हिंदी संस्था संघ के कोषाध्यक्ष व सचिव तथा विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान किया। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ने उन्हें गंगाशरण सिंह पुरस्कार, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने नकद पुरस्कार तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ने साहित्य महोपाध्याय एवं साहित्य वाचस्पति की मानक उपाधियाँ प्रदान कर सम्मानित किया था।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम के अधिवक्ता वषुत कक्राट नरेन्द्रन की अध्यक्षता में विगत 15 अप्रैल, 2002 को केरल हिन्दी प्रचार सभा की ओर से तिरुवनंतपुरम में आयोजित शोक सभा में स्व० नायर के असामयिक देहावसान पर गहरा दुख प्रकट करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने श्रद्धांजलि अर्पण में केरल सरकार के पूर्व मंत्री डॉ० एन० नील लोहित दासन नाटार ने कहा कि स्व० नायर ने हिंदी प्रचार अभियान को एक नया आयाम दिया। आपने हिंदी प्रचार को सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को अपना अभिन्न अंग बना लिया। केरल हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से केरल के सरकारी कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों आदि में संघ की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में आपने गणनीय योगदान दिया।

मलयालयम तथा हिंदी के ख्यातिप्राप्त रचनाकार तथा राष्ट्रीय विचार मंच की केरल इकाई के अध्यक्ष डॉ० एन० चन्द्रशेखरन नायर ने स्व० नायर के व्यक्तित्व की प्रभावोत्पादकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में वे अपने सुझाव बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते थे। मंच के राष्ट्रीय महासचिव तथा राष्ट्रीय चेतना की वैचारिक हिंदी पत्रिका 'विचार दृष्टि' के संपादक सिद्धेश्वर के केरल आगमन पर उनके सम्मान में विगत 4 सितंबर को करेल हिंदी प्रचार सभा की ओर से **भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति और राष्ट्रीय नीति** विषय पर स्व० बेलायुधन नायर ने अपनी अध्यक्षता में एक जीवंत विचार संगोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में भारतीय भाषाओं के अवदान पर उन्होंने विद्वतापूर्ण उद्‌गार व्यक्त कर सुधी जनों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। यही कारण है कि दक्षिण के साथ-साथ उत्तर भारत के हिंदी प्रेमियों के मानस-पटल पर उनकी यादें आज भी ताजी हैं।

शोक सभा में मलयालम के प्रमुख हास्य कवि चेम्मनम चाक्कों ने एक अच्छे पड़ोसी के रूप में स्व० नायर के मैत्रीपूर्ण व्यवहार का स्मरण किया। केरल हिंदी प्रचार सभा के हिंदी अध्यायक, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ० मावेलिक्कुरा अच्युतन ने स्व० नायर के धैर्य एवं सहिष्णुता की प्रशंसा की। प्रो० विष्णुनारायण नंपुतिरि ने भारतीय भाषा समनवय के क्षेत्र में स्व० नायर के योगदान को विशेष उल्लेखनीय बताया। केरल सरकार के भाषा विशेषज्ञ डॉ० एषुमट्टूर राजराजवर्मा ने कहा कि मित्रतापूर्ण व्यवहार स्व० नायर के व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण था। आकाशवाणी के पूर्व समाचार वाचक मावेलिक्करा रामचंद्रन ने कहा कि वे हर अच्छे प्रयत्न को प्रोत्साहित करते रहे। राजनेता बी० के० शेखर ने स्व नायर को अच्छा संगठनकर्त्ता बताया। पूर्व सांसद ए० संपत ने कहा कि स्व० नायर द्वारा आयोजित हर कार्यक्रम में उनके विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप रहती थी। जे०आर० बालकृष्ण नायर, प्रो० कल्लयम सुकुमारन नायर, प्रो० आर० सुकुमरान नायर, मुरुकुपुषा राजेन्द्रन चन्द्रिका देवी तथा प्रो० पन्मना रामचन्द्रन ने भी स्व० नायर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रस्तुति: डॉ रति० सक्सेना, ब्यूरो प्रमुख
विचार दृष्टि, के०पी०-9/624,
चित्तीकुन्नू, वैजयंत मेडिकल
कॉलेज पी०ओ०,
तिरूवनंतपुरम-695011 (केरल)

मेहनत व काबिलियत के प्रतीक थे जत्ती

विचार कार्यालय, बैंगलूर

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति बी०डी० जत्ती का पिछले 8 जून को बैंगलूर के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्व० जत्ती के सम्मान में कर्नाटक सरकार ने राज्य में तीन दिनों का राजकीय शोक रखा। कॉंग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू कर जत्ती ने अपने मेहनत और काबिलियत के बल पर भारत के उपराष्ट्रपति का पद 1975 से 1979 तक संभाला। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। आपातकाल के तूफानी दौर के बाद पहली बार केंद्रीय सत्ता से कांग्रेस का बेदखल होने पर जब जनता पार्टी के हाथों देश की बागडोर आयी, कार्यवाहक राष्ट्रपति की अवधि में जत्ती की नैतिकता आड़े आ गयी, किन्तु उन्होंने उन नौ विधानसभाओं को भंग करने के मोरारजी देसाई सरकार के फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया जिनका कार्यकाल आपातकाल के दौरान पाँच साल से ज्यादा कर दिया गया था।

स्व० जत्ती अपने पीछे तीन पुत्रों और एक पुत्री सहित हजारों की संख्या में शुभेच्छु छोड़ गए। विचार दृष्टि परिवार जत्ती को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

संजय प्रकाश, बैंगलूर से

कलम का सच्चा सिपाही सो गया

प्रतिवादी सोच के उर्दू गीतकार तथा इंकलाबी शायरी के आखिरी नुमांइदे अख्तर हुसैन रिजवी उर्फ कैफी आजमी का विगत 10 मई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पिछले पाँच दशक तक जिस शख्स ने अपने फिल्मी गीतों और क्रांतिकारी शायरी की आवाज बुलंद की तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी कलम से तीखी चोट की उस कलम का सच्चा सिपाही सदा के लिए सो गया। आज के दौर के गालिब, कैफी आजमी के निधन से फिल्म और कला जगत को अपूरणीय क्षति हुई।

सांसद शबाना आजमी के पिता तथा मशहूर पटकथा लेखक और शायर जावेद अख्तर के श्वसुर कैफी आजमी जीवन भर सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित रहे। उ०प्र० के आजमगढ़ जिले के मिजवां गांव में जन्में कैफी आजमी ने छात्र जीवन से ही साम्यवादी राजनीति से जुड़कर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कट्टर मार्क्सवादी विचारधारा के कारण उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा। नाट्यकर्मी शौकत से निकाह के बाद जीवन यापन के लिए कैफी ने फिल्मों में गीत लेखन को जरिया बनाया और 1948 में शहीद लतीफ की फिल्म 'बुजदिल' में उन्होंने पहला गाना लिखा। **हकीकत** फिल्म के लिए, *कर चले हम फिदा जानो-तन साथियों/अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों* जैसा देशभक्ति गीत लिखकर वे अमर हो गए।

उनकी ***अवारा सजदे*** पुस्तक को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1973 में ही पद्मश्री से सम्मानित, 1975 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार के ज्ञानेश्वर पुरस्कार तथा एशियन राइटर्स लोटस पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया।

कैफी आजमी ने न केवल मजलूमों और मजदूरों की आवाज को अपनी आवाज दी बल्कि शराफत, इंसानियत एवं तहजीब की हमेशा मिशाल पेश की। अदब की रोशनी कैफी आजमी के निधन पर मुझे इन्द्रदेव भारती की ये पंक्तियाँ याद आती हैं- ***हिंदू न मुसलमान था, सच्चा वो इक इंसान था/अदब की था मिसाल, वो जमीं पर आसमान था।***

गीतकार कैफी आजमी ने अपने लेखन में निरंतर अन्याय और शोषण का विरोध किया तथा जिन मूल्यों की वकालत की उन्हें अपने जीवन में उतारा जो आज विरले देखने को मिलता है। चीन के भारत पर पहले हमले के बाद मोहम्मद रफी का गाया हुआ जो तराना भारत की फिजाओं में सबसे ज्यादा गूंजा था, वो कैफी आजमी ही का था-----

"आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है
जाग उठो ए दुनिया वालों हिंदोस्तान हमारा है।"

कैफी आजमी की याद को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि सांप्रदायिकता और मजहब के नाम पर भेदभाव और तंगनजरी के सख्त खिलाफ आवाज उठाई जाए।

सत्यानंदन, बुम्बई से

राष्ट्र निर्माण में खेल की भूमिका

❑ डॉ० सी० रा०प्रसाद

आज अपने देश की खेल नीति क्या है? शिक्षा विभाग और युवा खेल एवं संस्कृति विभाग भी संशय में है। नतीजतन, खेल के महाकुंभ ऑलंपिक में भारत की उपस्थिति शर्मनाक है। विद्यालयों, महाविद्यालयों में खेल एक मखौल की स्थिति में प्रतीत होता है। ग्रामीण स्कूलों के बच्चे क्या खेलें इसकी चिंता न तो सरकार को है और न ही समाज को। आज भी खेलकूद से ज्यादा महज पढ़ाई-लिखाई पर अभिभावक का ध्यान होता है। आज भी एक कहावत मशहूर है "पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे होगे खराब।" परिणामत: विद्यालयों में बच्चों की पीठ पर पुस्तकों-बस्तों का बोझ बढ़ता जा रहा है और गाँव के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में छीजन बढ़ता जा रहा है। बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, नाक-भौं सिकोड़ते हैं। वे विद्यालय को आकर्षक नही पाते हैं। गाय, बकरी, बैल, भैंस के बीच वे ज्यादा आत्मियता महसूसते हैं। जारन-झूरी बिनने, सितुआ-घोंघा, प्लास्टिक बिनने में लगे रह जाते हैं। छीजन का एक कारण दरिद्रता है। स्कूलों में कम खर्च वाले भारतीय खेलों को बढ़ावा दिया जाय, सामान्य राष्ट्रीय खेल नीति बनायी जाय। प्रत्येक राज्यों मे उसे संजीदगी से लागू किया जाय, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ खेल में प्रशिक्षित किया जाय तथा ग्रामीण खेलों को राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित किया जाय तो निश्चित रूप से समाज, व्यक्ति व देश का कल्याण होगा। वस्तुत: खेल व्यक्तित्व निर्माण का संवाहक होता है। खेल से अनुशासन, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्कूली पाठ्यक्रम, धैर्य, इच्छाशक्ति, हारकर भी जीतने का मनोबल- विकसित होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था- "यदि तुम 'गीता' का रहस्य जानना चाहते हो तो पहले फूटबॉल खेलना सीखो"। खेल राष्ट्र निर्माण में और देशभक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एक सही राष्ट्रीय खेल नीति के अभाव में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत हॉकी और क्रिकेट के सिवा महत्वपूर्ण स्थान अन्य खेलों में नहीं प्राप्त कर सका है। यह जुदा बात है कि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रयासों से प्रकाश पादूकोण, (बैडमिंटन), लियंडर पेस एवं महेश भूपति (टेनिस), विश्वनाथन आनंद (शतरंज), गीत सेठी (स्नूकर)में अपना जौहर दिखा सके। किन्तु, खेल नीति-निर्धारकों को कम खर्चीले, अति कम खर्चीले खेलों को राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों में महत्व देना होगा और उसकी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान देनी होगी।

तमाम भारतीय खोलों तथा निशानेबाजी, कबड्डी, खो-खो, लंगड़ी-कबड्डी पतंगबाजी, गुल्ली-डंडा, छूआ-छूअंत, आइस-पाइस, दोलाहा पाती जैसे खेलों को बढ़ावा देना होगा। स्कूलों में दंड-बैठक, कसरत, कुश्ती-व्यायाम, तलवारबाजी, भारोत्तोलन, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो, भालाफेंक, लम्बी कूद, ऊँची-कूद, सौ मीटर की दौड़, मेराथन दौड़, बाधा दौड़ जैसे खेलों की एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी जो राष्ट्रीय खेल नीति होगी। जो गाँव-गाँव के स्कूलों तक सख्ती से लागू होगी। ऐसे खेल, देशी खेलकूद की प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में उत्प्रेरक सिद्ध हो सकते हैं जो बच्चों को ड्रॉप आऊट होने से रोक सकते हैं। क्रिकेट, हॉकी जैसे खर्चीले खेल ग्रामीण बच्चों, स्कूलों एवं देश का कालाकल्प नहीं कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय खेल नीति के अभाव मे ग्रामीण बच्चे वही खेल खेलते हैं जो शिक्षक चाहते हैं। ऐसे कोई खेल नहीं खेले जाते हैं स्कूलों में जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सपना बच्चा और अभिभावक पाल सके। वे बच्चे को पढ़ा-लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, कलक्टर, अध्यापक, क्लर्क बनाने का स्पप्न तो पालते हैं, लेकिन कोई ऐसा भारतीय खेल नहीं है जिसमें गाँव का बच्चा-बच्चा हर विद्यालय में खेलने के लिए मजबूर हो। आज खर्चीले खेलों में बाजारवाद का प्रवेश हो चुका है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ऐसे खेलों को प्रायोजित करती हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ ऐसे खेलों का सामान तैयार करती हैं। आज मैदान महँगे खेलों की ओर अग्रसर है। फुटबॉल और बॉलीबाल को उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है जितना खर्चीले खेल हॉकी और क्रिकेट को। यह सब राष्ट्रीय खेल नीति के अभाव एवं बाजारवाद का ही फल है। बेचारा ग्रामीण बच्चा महँगे खेलों की नकल करने में जुटा है। फटी बाँस का विकेट और किसी लकड़ी के चौड़े टुकड़े का बल्ला और तरह-तरह की गेंद लेकर गाँव का बच्चा भी क्रिकेटरों की नकल करने में डटा है। उनके जुबान पर तेन्दुलकर, गांगुली, कुम्बले सहज ही मौजूद हैं। भोला-भाला, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला बच्चा उनके सपने ही देखता रह जाता है। एक मास्टर पर चलनेवाला खंडहर में तब्दिल विद्यालय का भवन, पथ, पानी, बिजली विहिन गाँव, उग्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद फटेहाली में डूबे समाज का बच्चा क्रिकेट और हॉकी के चकाचौंध में डूबता-उतराता रह जाता है। खेल नीति के अभाव में समाज का बहुत बड़ा हिस्सा खेलों से वंचित रह जाता है। इससे कुंठा, सामाजिक बुराईयाँ, डकैती, छीनैती, चोरी, असामाजिकता. .... परोक्ष रूप से बढ़ती है। आज खेलों का विकास शहरोन्मुखी है। गाँव दरिद्र है। गरीब बच्चों के लिए खर्चीले खेलों में कोई जगह नहीं। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर क्रिकेट!! और गाँव का बच्चा मिट्‌टी, हरी पत्तियों, ताड़ के पत्तों की घिरनी, गुंजमार...........खेलता रह जाय तो उसके अंदर कुंठा और संत्रास पैदा होंगे ही!! स्कूल छोड़कर भागेगा ही। निर्धनता उसके पास है ही। वह बकरी चराना, सूअर चराना, प्लास्टिक चूनना, कूड़ा करकट बिनना, होटल में प्लेट माँजना, दारू चुआते माँ-बाप के दरवाजे पर पियक्कड़ों के लिए चना-चबेना लाना ज्यादा पसंद करेगा। आज ग्रामीण बच्चों की ओर खेल मंत्रालय का कोई ध्यान नहीं है। देश की, बदहाली का एक कारण यह भी है।

संपर्क- माता जी मंदिर के
सामने, आदर्श विहार,
रुकुनपुरा, बेली रोड,
पटना-800014

देवदासः जिसके दिल में दर्द हर घड़ी बना रहता है

फिल्म संवाददाता, मुंबई

पचास के दशक की सुपर हिट फिल्म 'देवदास' को अपने तरीके से पेश कर रहे निर्देशक संजय लीला भंसाली की बहुप्रतिक्षित ओर महत्वाकांक्षी फिल्म 'देवदास' का 28 जून को प्रदर्शन हुआ। इसके पूर्व सुप्रसिद्ध निर्देशक विमल राय निर्देशित फिल्म 'देवदास' को कोई आज तक भूला नहीं पाया है। उस फिल्म का स्मरण होते ही एक ऐसे बदनाम आशिक का चेहरा मानस पटल पर उभर आता है जिसके हाथ में शराब की बोतल और दिल में दर्द हर घड़ी बना रहता है।

तिसरी बार पुनः पचास करोड़ रुपये से अधिक वाली भंसाली की फिल्म 'देवदास' में माधुरी दीक्षित, शाहरूख खान सहित ऐश्वर्य राय मुख्य भूमिकाओं में हैं।

जैकी श्राफ ने भी फिल्म के एक रोचक किरदार चुन्नीलाल की भूमिका निभाई है। फिल्म में संगीत दिया है इस्मायल दरबार ने और गीतकार है नुसरत बद्र।

प्रारंभ से ही विवाद के घेरे में रही 'देवदास' फिल्म के पूर्व 1955 में स्वाधीनता सेनानियों की आयु के तपे-तपाए वयोवृद्ध सहगल वाली 'देवदास' भी लोगों ने देखा है। यानी भंसाली की यह 'देवदास' फिल्म तीसरी है। इन तीनों फिल्मों की विभिन्नताओं के बीच एक चीज जो अभिन्न, अक्ष्क्षुण और अपरिवर्तित रही वह है देवदास की कहानी और उसके कहानीकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। हर युग में प्रत्येक को देवदास पढ़कर अपना पहला-पहला प्यार कसक जाता है। 'पारो' की पोर-पोर में लड़कियाँ अपनी पीर देख लेती हैं। संसार की सभी प्रेम कहानियाँ इसी पीर की प्रतिछबि है। शरतचंद्र ने इस कहानी में भारतीय स्त्री की पीड़ा, प्रेम, आक्रोश और द्वंद को स्त्री-मन की अतुल गहराइयों में अत्यंत आत्मीयता से झांककर बड़ी मार्मिकता से उकेरा है।

भंसाली की 'देवदास' फिल्म दिलचस्प इसलिए हो गयी है कि ऐश्वर्य के साथ मुकाबलेबाजी में शादी के बाद माधुरी दीक्षित की महत्वपूर्व भूमिका है। ऐश्वर्य राय के लिए भी पारो का किरदार चुनौतीपूर्ण है। यूँ तो ऐश की खूबसूरती के साथ-साथ उनकी अभिनय क्षमता पर किसी को संदेह नहीं, लेकिन सफलता का आकलन क्षमता से ज्यादा हिट-फ्लॉप फिल्मों की परेड से होता है।

त्रिमूर्ति ज्वेलर्स त्रिमूर्ति अलंकार

बाईपास रोड, चास (बोकरो)
दूरभाष 65769, फैक्स 65123

त्रिमूर्ति पैलेस, (रूपक सिनेमा के पूरब)
बाकरगंज पटना 800004
दूरभाष – 662837

आधुनिक आभूषण के निर्माता नए डिजाइन सोने चाँदी के तथा हीरे के गहनों का प्रमुख प्रतिष्ठान

परीक्षा प्रार्थनीय
सुरेश, राजीव एंव सुनील

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH ECUCATION & RESEARCH

(Recognised by the Govt. of Bihar and RCI, Govt. of India)

Affiliated to Magadh University, Bodh Gaya

Health Institute Road, Beur (Near Central Jail), Patna

Ph.: 252999 Fax : 253290

A Perspective of New Building

Under Construction Site

ADMISSION NOTICE

Applications are Invited from eligible candidate of either ex for admission into following courses admission into following courses in the ***academic session 2002-2003***

BACHELOR DEGREES IN

1. PHYSIO THERAPY
2. OCCUPATIONAL THERAPY
3. AUDIOLOGY & SPEECH THERAPY
4. PROSTHETIC & ENGG
5. MENTAL RETARDATION

DIPLOMAS IN

6. PHYSIOTHERAPY
7. PROSTHETIC & ORTHOTIC ENGG.
8. MEDICAL LAB. TECHNOLOGY
9. X-RAY TECHINOLOGY
10. HOSPITAL MANAGEMENT

ELIGIBILITY

I.Sc. for course no 1 to 9, Graduation for Hospital Management

FORMS & PROSPECTUS

Can be obtained from the office against payment of Rs. 100/- Only. Send a D/D of Rs. 120/- Only in favour of 'Indian Institute of Health Education & Research' Patna for Postal delivery.

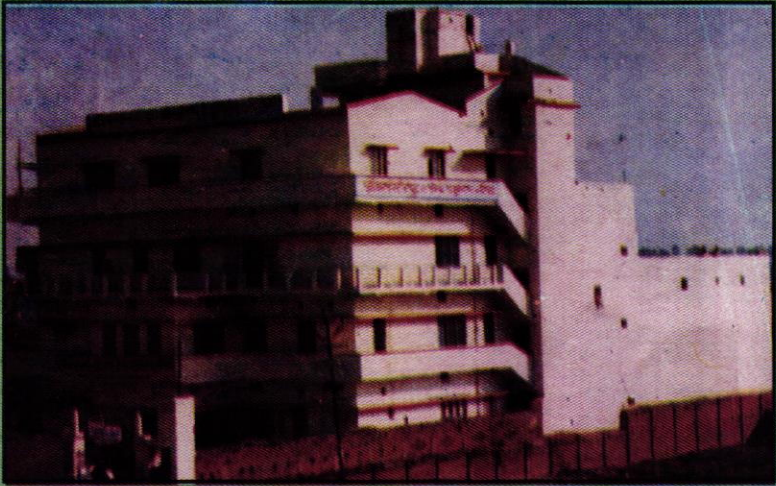

निम्नलिखित नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पधारें:

● स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श ● टीका करण ● फिजियोथेरापी ● अकुपेशनल थेरापी ● स्पीचथेरापी सभी प्रकार की विकलांगता पोलियों, लकवा, गठिया, हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जाँच एवं उपचार ● हकलाना–तुतलाना सहित गूंगे–बहरों की जांच एवं उपचार, हियरिंग–एड ● मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिमता–जांच एवं उपचार ● कृत्रिम हाथ, पैर, कैलीपर, पोलियो के जूते, वैशाखी सरवाइकल कॉलर, बेल्ट आदि का निर्माण एवं वितरण ● लाचार विकलांगों को तिपहिया साईकिल तथा व्हीलचेयर ● विकलांगों की शल्य चिकित्सा (सर्जिकल करेक्शन) ● रियायती दर पर पैथोलोजिकल ● जांच एक्स–रे तथा शल्य चिकित्सा

Anil Sulabh
Director-in-Chief

वर्ष : 4 अंक : 12 जुलाई-सितंबर : 2002 R.N.I.Regd.NO. DEL HIN/1999/791

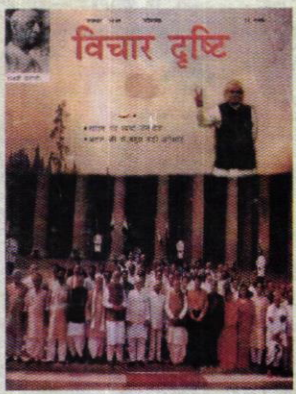

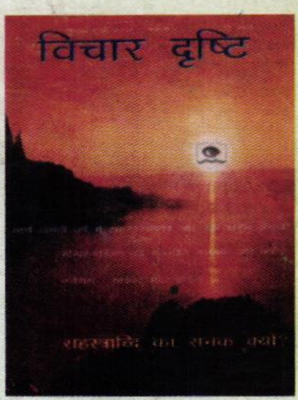

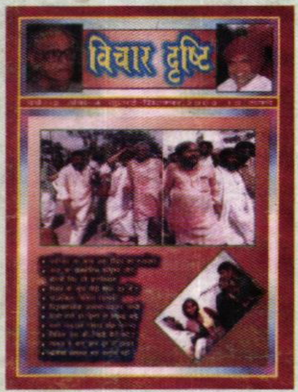

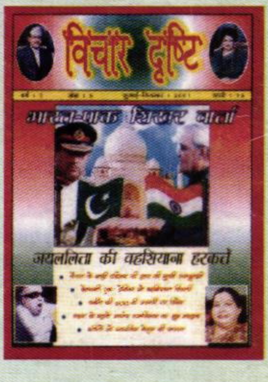

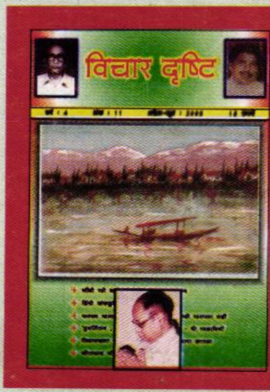

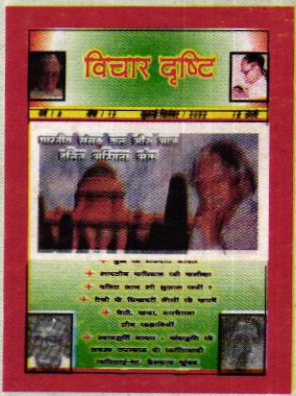

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी सिद्धेश्वर द्वारा यू-207, शकरपुर विकास मार्ग, दिल्ली-92 से प्रकाशित
एवं प्रोलिफिक इनकारपोरेटेड, एक्स-47, ओखला, फेज-2, नई दिल्ली-20 में मुद्रित। – सम्पादक : सिद्धेश्वर